लोक सभा

वाद विवाद

सोमवार,

६ सितम्बर, १९५४

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खंड ४, १९५४

(२३ अगस्त से २४ सितम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सप्तम सत्र, १९५४

(खंड ४, में अंक १ से अंक २५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

• विषय-सूची

(खंड ४—अंक १ से २५—२३ अगस्त से २४ सितम्बर, १९५४)

अंक १—सोमवार, २३ अगस्त, १९५४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७, १०, २४, ३१, ९, १२ से १७, १९, २१ से २३, २५ से २७, २९, ३२, ३३, ३५ . . १—४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६, ८, ११, १८, २०, २८, ३०, ३४ ४०–४५

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७ से १७ . . . ४५–५६

अंक २—मंगलवार, २४ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ३९, ४१ से ४३, ४५ से ५४, ५६ से ६०, ६२, ६३, ६५ से ७६, ७८ से ८१ और ८३ . . ५७–१०७

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १ से ३ . . . . . १०७–११५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४०, ४४, ५५, ६१, ६४, ७७, ८२ और ८४ ११५–११९

अतारांकित प्रश्न संख्या १८ से ३८, ४० से ४३ . . ११९–१३८

अंक ३—बुधवार, २५ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५ से ९०, १२७, ९१ से ९३, ९५ से १०३, १०५ से ११२, १२४, ११३ और ११४ १३९-१८२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ १८३-१८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४, ११५ से १२३, १२५, १२६, १२८ से १४० १८५-१९९

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४ से ४८, ५० से ५९, ६१ और ६२ १९९-२१०

अंक ४— बृहस्पतिवार, २६ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४१ से १४५, १४७ से १६१, १६३, १६५ से १७८ २११-२५६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ २५६-२५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६, १६२, १६४, १७९ से १८५ २५९-२६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३ से ७४ २६६-२७४

अंक ५— शुक्रवार, २७ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८६, २२७, १८७ से २०१, २०३, २०५, २१७, २०६, २०७, २०९ से २१६, २१८, २१९ . . . . २७५–३२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०२, २०४, २२०, २२१ से २२६, २२८ से २३० . . . . . ३२१–३२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७५ से १०५ . . . . . ३२८–३५०

अंक ६— सोमवार, ३० अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २३१ से २३४, २३६, २३८ से २४८, २५० से २५२, २५५ से २५७, २५९, २६०, २६२ से २६५ . . ३५१–३९५

	स्तम्भ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २३५, २४९, २५४, २५८, २६१, २६६ से २७१, २७३, २७४, २७६, २७७ से २७९ . . .	३९५–४०६
अतारांकित प्रश्न संख्या १०६ से ११७, ११९ से १२८ . . .	४०६–४२४

अंक ७— मंगलवार, ३१ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २८० से २८७, २८९ से ३०१, ३०४, ३०६, ३०८ से ३११, ३१३, ३१४, ३१६, ३१८ से ३२० . .	४२५–४७२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २८८, ३०२, ३०५, ३०७, ३१५, ३१७, ३२१ से ३३२	४७३–४८४
अतारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १५१ . .	४८४–४९८

अंक ८— बुधवार, १ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३३३, ३३५, ३३६, ३३८ से ३४३, ३४५, ३४७, ३४८, ३५८, ३४९, ३५०, ३५२, ३५३, ३५५, ३५६, ३५९, ३६०, ३६३ से ३६६, ३६९ से ३७२, ३७४, ३७६ से ३७८ . .	४९९–५४५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६	५४५–५४८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३३४, ३३७, ३४४, ३४६, ३५१, ३५४, ३५७, ३६१, ३६२, ३६७, ३६८, ३७३, ३७५, ३७९ से ३९५ . . .	५४८–५६४
अतारांकित प्रश्न संख्या १५२ से १५६, १५९ से २०० . .	५६४–५९८

अंक ९—बृहस्पतिवार, २ सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९६, ३९८ से ४०१, ४०३ से ४०७, ४०९, ४१०, ४१३ से ४१५, ४१८ से ४२०, ४२४, ४३८, ४२५ से ४२७, ४२९ से ४३२, ४३४, ४३५, ४३७, ५९९—६४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९७, ४०२, ४०८, ४११, ४१२, ४१६, ४१७, ४२१, से ४२३, ४२८, ४३३, ४३६, ४३९ से ४४१. . ६४३—६५१

अतारांकित प्रश्न संख्या २०१ से २१९. . . . ६५१—६६२

अंक १०—शुक्रवार, ३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४२, ४४५ से ४५६, ४५८, ४६० से ४६६, ४६८, ४७०, ४७१, ४७३, ४७५, ४७७ से ४८२ . . ६६३—७०७

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर—

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . ७०७—७११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न–संख्या ४४३, ४४४, ४५७, ४५९, ४६७, ४६९, ४७२, ४७४, ४७६, ४८३ से ५०४ . . . . ७११—७३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२० से २३३, २३४ से २४१ . . ७३०—७४४

अंक ११—सोमवार, ७ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०६, ५०७, ५०९ से ५१६, ५१९, से ५२१, ५२६, ५२८, ५२९, ५३३, ५३५, ५३९, ५४१, ५४७, ५४९, ५५०, ५५२ से ५५५, ५६१, ५६४, ५६५ ७४५-७९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५, ५०८, ५१७, ५१८, ५२२ से ५२५, ५२७, ५३० से ५३२, ५३४, ५३६ से ५३८, ५४०, ५४२ से ५४६, ५४८, ५५१, ५५६ से ५६०, ५६२, ५६३, ५६६ से ५७५ . . . . ७९०-८१४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २७४ . . . . ८१४-८३२

अंक १२—बृहस्पतिवार, ७ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७७, ५७९, ५८१ से ५८४, ५८६, ५८७, ५८९, ५९१ से ५९४, ६०२, ६०८, ६०६, ६०७, ६०९, ६१२, ६३४, ६३५, ६१३ से ६१५, ६२० से ६२६, ६२८, ६२९, ६३३ . . . . ८३३-८७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७६, ५७८, ५८०, ५८५, ५८८, ५९०, ५९५ से ६०१, ६०३, ६०४, ६१०, ६१६ से ६१९, ६२४, ६२५, ६२७, ६३० से ६३२ . . ८७३-८८७

अतारांकित प्रश्न संख्या २७५ से २८२, २८४ से २९१, २९३ से २९५ . . . . . ८८८-८९८

अंक १३— बुधवार ८ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३६, ६३८ से ६४०, ६४२ से ६४७, ६५०, ६५१, ६५५ से ६५७, ६६१ से ६६४, ६६७, ६६८, ६७० से ६७५, ६७७, ६७८, ६८१ से ६८४ . . ८९९—९४३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . . ९४४—९४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३७, ६४१, ६४८, ६४९, ६५३, ६५४, ६५८ से ६६०, ६६५, ६६६, ६६९, ६७६, ८७९, ६८०, ६८५ से ६९७ . . . . . ९४६—९६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३२६ . . . ९६२—९८४

अंक १४—शुक्रवार १० सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९८, ७०० से ७०३, ७०५ से ७१६, ७२०, ७१७, ७२२, ७२४, ७२५, ७२७, ७३० से ७३३, ७३८, ७४०, ७४१, ७४४, ७६२, ७४५, ७४६ . . . ९८५—१०३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . . १०३२—१०३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९९, ७०४, ७१८, ७१९, ७२१, ७२३, ७२६, ७२८, ७२९, ७३४ से ७३७, ७३९, ७४२, ७४३, ७४७, से ७६१, ७६३ से ७७१ . . . . १०३५—१०६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२७ से ३७९ . . . १०६२—१०९२

अंक १५—शनिवार, ११ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७२ से ७७५, ७७६ से ७८२, ७८५, ८०९, ७८८, ७८९, ७९१, ७९३, ७९५ से ७९७, ७९९ से ८०५, ८०७, ८११ से ८१३, ८१६ से ८१८ . . १०९३—११४०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . . . . ११४०—११४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७५, ७८४, ७८६, ७८७, ७९२, ७९४ ७९८, ८०६, ८०८, ८१० . . . . . ११४३—११४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८० से ३९८, ४०१ से ४०३ . ११४९—११६६

अंक १६—सोमवार, १३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८१९, ८२१ से ८३१, ८३३ से ८३५, ८३७, ८३९, ८४२ से ८४४, ८४७ से ८५६, ८५८, ८६० से ८६२ ११६७—१२०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२०, ८३२, ८३६, ८३८, ८४०, ८४१, ८४५, ८४६, ८५७, ८६३ से ८७५ . . . १२१०—१२२३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०४ से ४२९ . . . . १२२४—१२४२

अंक १७—मंगलवार, १४ सितम्बर, १९५४

	स्तम्भ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८७८ से ८८०, ८८३ से ८९०, ८९२, ८९३, ८९६, ९०१ से ९०७, ९१०, ९११, ९११क, ९१२ से ९१५, ९१७, ९१९, ९२०, ९२३, ९२४, ९२६, ८७७	१२४३—१२८६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८७६, ८८१, ८८२, ८९१, ८९४, ८९५, ८९७ से ९००, ९०८, ९०९, ९१८, ९२१, ९२२, ९२५ .	१२८६—१२९४
अतारांकित प्रश्न संख्या ४३० से ४[illegible]	१२९४—१३१४

अंक १८—बुधवार, १५ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२८, ९३०, ९३२ से ९४०, ९४४, ९४८ से ९५९, ९६१, ९६२, ९६४ और ९६५ . . .	१३१५—१३५९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२७, ९२९, ९३१, ९४१ से ९४३, ९४६, ९४७, ९६३, ९६६ से ९७९, ९८१ से ९८६, ७८३, ७९०, ८१४ और ८१५	१३५९—१३७६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६३ से ४८५, ४८७ और ४८८ .	१३७६—१३९२

अंक १९—बृहस्पतिवार, १६ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८७, ९९० से ९९६, ९९८, ९९९, १००२ से १००४, १०३६, १००५ से १००८, १०१०, १०१३, १०१६ से १०२५, १०२७ से १०२९	१३९३—१४४२
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ११	१४४२—१४४६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८८, ९८९, ९९७, १०००, १००९, १०११, १०१२, १०१४, १०१५, १०२६, १०३० से १०३५, १०३७ से १०४३ . .	१४४६—१४६२
अतारांकित प्रश्न संख्या ४८९ से ५११	१४६२—१४७८

अंक २०— शुक्रवार, १७ सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४४, १०४६ से १०५५, १०५७ से १०६०, १०६२ से १०६४, १०६७, १०६८, १०७१ से १०७८, १०८० से १०८५ . . . . १४७९—१५२४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . १५२४—१५२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५, १०५६, १०६३, १०६५, १०६६, १०७०, १०७६, १०८६ से ११०५ . . . . १५२७—१५४२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१२ से ५४६ . . १५४२—१५६६

अंक २१—सोमवार, २० सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०६ से १११०, १११२, १११४, ११२२, ११२४ से ११२६, ११२९, ११३१, ११३४, ११३६, ११३९ से ११४३, ११४५ से ११४७, ११४९, ११५०, ११३७, ११२७, ११३५, ११२१, ११२०, ११३८, ११२८ १५६७—१६१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११३, १११५ से १११७, १११९, ११२३, ११३०, ११४४, ११४८ ... ... १६१४—१६१८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५४७ से ५६७ ... १६१९—१६३४

अंक २२—मंगलवार, २१ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५१ से ११५३, ११५५, ११५७, ११५८, ११६०, ११६१, ११६३, ११६७ से ११७०, ११७३, ११७४, ११७६, ११७७, ११७९ से ११८७, ११८९ से ११९१, ११९४, ११९५, ११९८, ११९९, १२०१, १२०३ तथा ११५४ . . . १६३५—१६८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ . . . . १६८४—१६८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ११५६, ११५९, ११६२, ११६४, ११६५, ११६६, ११७१, ११७२, ११७५, ११७८, ११८८, ११९२, ११९३, ११९६, ११९७, १२००, १२०२ तथा १२०४ . . . १६८७–१६९६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ५९३ . १६९७–१७१४

अंक २३—बुधवार, २२ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२०६, १२०९, १२१०, १२१५, १२१७, १२१९, १२२०, १२२३ से १२२६, १२२८ से १२३०, १२३१ से १२३९, १२४१ से १२४५, १२४७ से १२४९, १२५१ से १२५३, १२५५ १२५७, १२५९ . . . . . १७१५—१७६१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . . . १७६१--१७६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०५, १२०७, १२०८, १२११, १२१३ से १२१४, १२१६, १२१८, १२२१, १२२२, १२२७, १२३१, १२४०, १२४६, १२५०, १२५४, १२५६, १२५८, १२६० . . १७६४—१७७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९४ से ६४८ . . . . १७७६—१८०८

अंक २४—बृहस्पतिवार, २३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६१, १२६३ से १२७०, १२७२, १२७६, १२७७, १२७९, १२८०, १२८४, १२८६, १२८८, १२८९, १२९१ से १३००, १२७५, १२७४ और १११८ . . . . . १८०९—१८५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६२, १२७३, १२७८, १२८२ से १२८३, १२९० . . . . . १८५५—१८६१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४९ से ६७९ . . . . १८६१—१८८४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१, १३०३, १३०५ से १३१०, १३१२ से १३१४, १३१६, १३१८, १३२०, १३२१, १३२३, १३२४, १३२६, १३२८, १३३०, १३३१, १३३३ से १३३६, १३३८ से १३४१, १३४३, १३४४ . . . . . १८८५—१९३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०२, १३०४, १३११, १३१५, १३१७, १३१९ १३२२, १३२९, १३३२, १३३७, १३४२ १९३३—१९३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७०६ ७०८ से ७१४ १९३९—१९६०

लोक-सभा

सोमवार, ६ सितम्बर, १९५४

लोक-सभा सवा आठ बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारतीय कृषि-गवेषणा परिषद्

***५०६. श्री बर्मन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इस वर्ष भारतीय कृषि-गवेषणा परिषद् की रजत जयन्ती मनाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां तो यह कब और कहां मनाई जायेगी ; और

(ग) उस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम कौन-कौन से होंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां।

(ख) नई दिल्ली में और दिसम्बर, १९५४ में यह मनाई जायेगी।

(ग) उत्सव के प्रमुख अंग यह होंगे :

(१) पिछले २५ वर्षों में कृषि-गवेषणा में जो प्रगति हुई है उस के सम्बन्ध में एक प्रदर्शनी ;

(२) इस विषय पर एक चलचित्र प्रदर्शन ;

(३) परिषद की फ़ार्म पत्रिका "इंडियन फ़ार्मिंग" के स्मृति अंक का निकाला जाना ;

(४) कुछ समाचार पत्रों द्वारा कृषि तथा पशुपालन गवेषणा के संबंध में एक परिशिष्ट का प्रकाशन ; इत्यादि।

श्री बर्मन : क्या कोई अन्य देश भी इस जयन्ती में भाग ले रहा है, और यदि हां, तो कौन-कौन से देश भाग ले रहे हैं ?

श्री किदवई : यह हमारी अपनी २५ साल की प्रगति के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन है। इस में किसी अन्य देश के भाग लेने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री बर्मन : क्या हम इस जयन्ती के अवसर पर गत २५ सालों की गवेषणा के परिणामों को जो कि भारत में हुए हैं, दूसरे देशों के मुकाबले में अधिमान देते हुए दिखायेंगे ?

श्री किदवई : यही विचार है।

भूमि अपक्षारण

***५०७. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों के लिये भूमि उपक्षारण का मुकाबला करने के हेतु कोई सहायता प्रदान की है ;

(ख) यदि हां, तो १९५३-५४ में किन राज्यों को सहायता दी गई ; और

(ग) १९५४-५५ में सरकार किन-किन राज्यों को सहायता देने का विचार रखती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां ; ऋणों और अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता दी गई है ।

(ख) १९५३-५४ में बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उत्तर प्रदेश, त्रावनकोर-कोचीन, भोपाल, कच्छ तथा विन्ध्य प्रदेश को सहायता प्रदान की गई ।

(ग) चालू साल में अभी तक बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मध्य भारत, हिमाचल प्रदेश, कच्छ तथा विन्ध्य प्रदेश के राज्यों को सहायता स्वीकृत हो गई है । हैदराबाद, उड़ीसा, पंजाब, सौराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में भूमि संरक्षण सम्बन्धी योजनाओं के वास्ते ऋणों और अनुदानों का अनुमोदन हो गया है ।

डा० राम सुभग सिंह : भूमि अपक्षारण का कुल कितने भूमि-भाग पर प्रभाव पड़ा, तथा १९५३-५४ में राज्यों को कितना अनुदान दिया गया और इस वर्ष कितनी धन-राशि प्रदान की जायेगी ?

श्री किदवई : गत वर्ष और इस वर्ष के लिये अनुदानों तथा ऋणों के सम्बन्ध में मैं एक विवरण पटल पर रख सकता हूं । परन्तु क्षेत्र के सम्बन्ध में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं । मैं माननीय सदस्य को यह दिलवा सकता हूं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस तथ्य को देखते हुए कि आसाम की भूमि अपक्षारण सम्बन्धी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्या मैं जान सकती हूं कि इस का क्या कारण है कि गत दो वर्षों में—माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई नवीनतम सूची को सम्मिलित करते हुए—हमने इस सम्बन्ध में आसाम राज्य का नाम नहीं सुना है ?

श्री किदवई : सम्भवतः इस का कारण यह है कि उस ने कोई मांग उपस्थित नहीं की ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये अनुदानों और ऋणों सम्बन्धी आंकड़ों में सामुदायिक परियोजनाओं तथा विस्तार सेवाओं द्वारा व्यय किया हुआ धन भी सम्मिलित है ?

श्री किदवई : जी नहीं, उन आंकड़ों का सम्बन्ध केवल इस विशिष्ट कार्य के लिये दिये अनुदानों और ऋणों से ही है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री देवेश्वर सर्मा ।

श्री टी० एन० सिंह : उस मामले में, क्या है .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति । श्री देवेश्वर सर्मा ।

श्री देवेश्वर सर्मा : प्रश्न के भाग (ग) के सम्बन्ध में क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने भूमि अपक्षारण के सम्बन्ध में वन-नाशन तथा जूम कृषि सम्बन्धी निदेश जारी किये ह अथवा जारी करने का विचार रखती है ?

श्री किदवई : क्या माननीय सदस्य अपना प्रश्न दोहरायेंगे ।

श्री देवेश्वर सर्मा : क्या सरकार ने भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में वन-नाशन तथा जूम कृषि सम्बन्धी कुछ निदेश जारी किये हैं अथवा जारी करने का विचार रखती है ?

श्री किदवई : निदेश जारी करने का कोई प्रश्न नहीं उठता । नीति सम्बन्धी चर्चा एक समिति में की जाती है जिस में सब राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व होता है । यदि कोई राज्य सरकार कोई मांग उपस्थित करना चाहती है, तो वह स्थिति के अनुसार ऋण

अथवा सहायता के लिये एक योजना प्रस्तुत कर सकती है ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

***५०९. सेठ गोविन्द दास** : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि **ऐसी संस्थाओं** की संख्या कितनी है, जिन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारने के लिये केन्द्रीय सरकार सहायता देती है, और १९५३-५४ में उन्हें कितनी सहायता दी गई ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : १९५३-५४ में केन्द्रीय सरकार द्वारा ६३ संस्थाओं को सहायता दी गई और अनुदान की कुल रकम २६,०४,२५१ रु० थी ।

सेठ गोविन्द दास : जिन संस्थाओं को सहायता दी गई उन में ऐसी कितनी संस्थायें हैं जोकि आयुर्वेद दवा का भी उपयोग करती हैं ?

राजकुमारी अमृत कौर : इंडियन कौंसिल आफ़ मैडिकल रिसर्च के द्वारा आयुर्वेद में रिसर्च हो रहा है, उन को ३७.५ लाख की ग्रांट दी गई जिस में से उन्हों ने छै लाख के क़रीब जामनगर में आयुर्वेद की रिसर्च के लिये दिया और एक, दो जगह और भी आयुर्वेद के लिये रुपया दिया गया है ।

सेठ गोविन्द दास : छब्बीस लाख रुपये में से कुल कितना रुपया आयुर्वेद की दवाओं की रिसर्च पर खर्च किया गया और कितना रुपया और दूसरी प्रणाली की दवाओं पर खर्च किया गया ?

राजकुमारी अमृत कौर : मैं इस का आगे भी जवाब दे चकी हूं । सैंतीस लाख रुपया आयुर्वेद वग़ैरह के लिये रक्खा गया है, कुछ जामनगर में खर्च हो रहा है और कुछ और जगहों पर भी खर्च हो रहा है और बाक़ी रुपया जैसे जैसे खर्च होता जायगा वह उन को दिया जायगा ।

बम्बई में रेल दुर्घटना

***५१०. श्री गिडवानी** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ४ जून, १९५४ को बम्बई में एक उपनगरीय गाड़ी तथा एक मालगाड़ी में जो भिड़न्त हुई उस दुर्घटना के परिणामस्वरूप कितनी सम्पत्ति की हानि हुई तथा मृतक एवं हताहतों की संख्या क्या थी ;

(ख) क्या कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि की गई है तो उस का परिणाम क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) मालगाड़ी के गार्ड व स्थानीय गाड़ी के मोटर चालक की मृत्यु हो गई तथा ११ अन्य व्यक्ति घायल हुए थे । रेलवे सम्पत्ति की लगभग ३५,६४२ रु० की हानि हुई थी ।

(ख) तथा (ग) बम्बई के सरकारी रेलवे इन्सपेक्टर ने दुर्घटना की विधिपूर्वक जांच की । उस का निष्कर्ष यह है कि भिड़न्त स्थानीय गाड़ी के चालक द्वारा खतरे के संकेत पर ऐसे सिगनल की प्रक्रिया का ठीक प्रकार से अनुसरण न करने के कारण हुई थी, जिस से गाड़ी अपने आप रुक जाती है ।

अध्यक्ष महोदय : जब तक कि ध्वनियंत्रों की खराबी को ठीक किया जा रहा है, क्या माननीय सदस्य कुछ ज़ोर से बोलने का कष्ट करेंगे ?

श्री गिडवानी : जनवरी से जून, १९५४ तक हुई दुर्घटनाओं की संख्या क्या है ?

श्री शाहनवाज़ खां : यह एक बिल्कुल भिन्न प्रश्न है । यदि माननीय सदस्य इस की पूर्वसूचना देंगे तो मैं उत्तर दे सकूंगा ।

श्री गिडवानी : क्या रेलवे बोर्ड के सदस्य, श्री एस० एस० वशिष्ट तथा प्रति-

निधिमंडल के दो अन्य सदस्यों ने, जिन्हों ने इस वर्ष के जुलाई मास में सोवियत संघ तथा अन्य स्थानों का भ्रमण किया था, रेलवे की दुर्घटनाओं को रोकने वाली ऐसी समस्याओं का अध्ययन किया है, और यदि ऐसा है तो क्या इस सम्बन्ध में उन्हों ने कोई उपाय बताये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : उन्हों ने इस समस्या का भी अध्ययन किया है, और हम उन से एक औपचारिक प्रतिवेदन की आशा कर रहे हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या स्टेशन में इंटरलाक यंत्र नहीं था ?

श्री शाहनवाज खां : जी हां, था, किन्तु एक निर्धारित सामान्य प्रक्रिया यह है कि जब सिगनल 'खड़ा' होता है, अर्थात् संकट की स्थिति में होता है तो गार्ड से यह आशा की जाती है कि गाड़ी को रोक दे तथा सीटी बजाये और दिन के समय एक मिनट के अवकाश के पश्चात् व रात्रि के समय में दो मिनट के अवकाश पर, यदि वह अगले विराम स्थल तक लाइन साफ देख सकता है तो गाड़ी को नियंत्रण में रख कर वह बड़ी सावधानी से आगे बढ़ सकता है । यही सामान्य निर्धारित प्रक्रिया है जिस का पालन इस घटना विशेष में नहीं किया गया ;

राष्ट्रीय पत्तन बोर्ड

***५११. श्री राधा रमण** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय पत्तन बोर्ड ने, जिस की हाल ही में पूना में बैठक हुई थी, किन्हीं पत्तनों के विकास के लिये कुछ सिफारिशें की हैं ;

(ख) यदि ऐसा है तो वे सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख) बोर्ड ने सिफारिश की है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय, परदीप पर एक मध्यम अथवा बड़े पत्तन के विकास के लिये तथा पूर्वी तट पर स्थित तूतीकोरिन के विकास व पश्चिमी तट पर स्थित माल्पे या मंगलौर पत्तन को बड़े पत्तनों में परिवर्तित करने की वांछनीयता एवं आवश्यकता के सम्बन्ध में जांच की जानी चाहिये ।

(ग) तूतीकोरिन तथा माल्पे के सम्बन्ध में इस विषय में प्रारम्भिक जांच के लिये प्रबन्ध किया जा रहा है । अन्य पत्तनों के सम्बन्ध में जांच चल रही है ।

श्री राधा रमण : भारत सरकार ने पत्तनों के विकास के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि स्वीकृत की है ?

श्री अलगेशन : अभी कुछ कहना समय से बहुत पूर्व होगा ।

गन्ने की पैदावार

***५१२. श्री नानादास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू फसल में कितने क्षेत्र में उर्वरकों की सहायता से गन्ने को खेतों को जाने का प्राक्कलन किया गया है; और

(ख) ऐसे उर्वरकों के प्रयोग से गन्ने की अतिरिक्त पैदावार क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) २.२ लाख एकड़ ।

(ख) १५ से २० प्रतिशत तक ।

श्री वी० पी० नायर : क्या कुछ क्षेत्रों में गन्ने के प्रति एकड़ उत्पादन में कमी का रुख है ?

श्री किदवई : इस के उत्पादन में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न रुख जान पड़े हैं।

श्री वी पी० नायर : गन्ने के इन क्षेत्रों में अधिकांशतः प्रति एकड़ कितनी पैदावार होती है ?

श्री किदवई : उत्तर प्रदेश व बिहार में पैदावार १३ टन प्रति एकड़, पंजाब में इस से कम और ज्यों-ज्यों हम दक्षिण की ओर बढ़ते जायें उत्पादन भी बढ़ता जायगा यहां तक कि कुछ क्षेत्रों में औसत उत्पादन ६० टन या इस से भी अधिक मिलेगा।

बच्चों में उपदंश सम्बन्धी रोग

*५१३. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के बच्चों में अरतिज उपदंश सम्बन्धी रोग फैलने के विषय का, जैसा कि यह मद्रास और अन्य राज्यों में एकप्रदेशीय उपदंश के रूप में प्रकट हुआ है, कोई अध्ययन किया है;

(ख) ये रोग कैसे फैलते हैं और विशेषकर बच्चों में कैसे फैलते हैं ; और

(ग) सरकार ने इसे रोकने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) नहीं।

(ख) यह घरेलू बरतनों और कम पढ़े लिखे और निर्धन लोगों के आपस में प्रत्यक्ष या परोक्ष सम्पर्क में आने से फैलता है।

(ग) रोकने के उपाय ये हैं—

(१) उन क्षेत्रों में जहां यह रोग अधिक फैलता है, रोगियों के इलाज के लिये सामूहिक आंदोलन करना और इस तरह उन की संख्या घटाना ;

(२) लोगों को लैक्चरों और पोस्टरों द्वारा और प्रशिक्षित कर्मचारियों की सलाह द्वारा शिक्षा देना।

श्री वी० पी० नायर : क्या भारत सरकार के पास यह जानकारी है कि मद्रास में कितने बच्चों को यह रोग है ?

राजकुमारी अमृतकौर : मैं कोई संख्या नहीं बता सकती किन्तु हाल में मद्रास में एकप्रदेशीय उपदंश के उदाहरणों की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को विदित है कि यदि रहने सहने का ढंग बदला जाये, तो यह रोग जारी नहीं रह सकता ?

राजकुमारी अमृतकौर : मैं बता चुकी हूं कि इस रोग का इलाज क्या है ?

चावल की खेती के जापानी ढंग

*५१४. **श्री डाभी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ५ मार्च १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६७१ के उत्तर के सम्बन्ध में सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में चावल उत्पादन के देशी तथा जापानी ढंगों के अन्तर्गत उत्पाद की मात्रा और उत्पादन परिव्यय के सम्बन्ध में तुलनात्मक आंकड़े दिये हुए हों ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १]**.

श्री डाभी : विवरण से जान पड़ता है कि सभी प्रकरणों में जापानी ढंग से प्राप्त औसत प्रति एकड़ उत्पाद देशी ढंग से प्राप्त औसत प्रति एकड़ उत्पाद से अधिक है, किन्तु इस के साथ ही, सभी प्रकरणों में, जापानी ढंग के अन्तर्गत अनुमित उत्पादन परिव्यय देशी ढंग की तुलना में अत्यधिक है। इस से ऐसा जान पड़ता है कि मानो

जापानी ढंग से जो कुछ भी लाभ होता है वह इस प्रकार समाप्त हो जाता है । क्या सरकार इस विषय पर कुछ प्रकाश डाल सकती है ?

श्री किदवई : यदि माननीय सदस्य विवरण को पढ़ेंगे और उत्पादन तथा परिव्यय का अनुपात निकालेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि जापानी ढंग के अन्तर्गत होने वाला उत्पादन परिव्यय देशी ढंग की तुलना में कम है ।

श्री डाभी : क्या माननीय मंत्री धान की खेती के जापानी ढंग की ऐसी मुख्य विशेषतायें बताने की कृपा करेंगे जो देशी ढंग से भिन्न हों ?

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत लम्बी प्रक्रिया होगी । यदि वे चाहें तो प्रतिवेदनों का अध्ययन कर सकते हैं ।

श्री साधन गुप्त : भिन्न राज्यों में जापानी और देशी ढंगों द्वारा होने वाले औसत उत्पादों में इतने अधिक अन्तर का क्या कारण है ?

श्री किदवई : मुख्यतः उर्वरकों का प्रयोग ।

श्री जेठालाल जोशी : कितनी भूमि पर जापानी ढंग से चावल की खेती की जा रही है और इस के लिये कितने टन उर्वरकों की आवश्यकता होती है ?

श्री किदवई : मेरे पास इस समय उस भूमि के बारे में आंकड़े नहीं हैं जिस पर इस वर्ष जापानी ढंग से खेती की जाने वाली है । अतः मैं इस प्रश्न का उत्तर पूर्वसूचना मिलने पर ही दे सकता हूं ।

श्री भागवत झा आजाद : विवरण से जान पड़ता है कि कई राज्यों में उपज में अत्यधिक वृद्धि हुई है । उदाहरणतया बिहार में यह १२ मन प्रति एकड़ से बढ़ कर ४० मन हो गई है, जबकि परिव्यय की वृद्धि १०० प्रतिशत से कुछ ही अधिक है, क्या मंत्रालय द्वारा इन आंकड़ों की पड़ताल की गई है ? क्या यह सत्य नहीं है कि अधिकांश राज्यों में यह आंकड़े बढ़ा चढ़ा कर दिखाये जाते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री किदवई : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य का अपने राज्य के बारे में क्या अनुभव है, किन्तु मैं तो इसे ठीक ही समझता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि उन का अभिप्राय यह है कि वह विवरण को ठीक समझते हैं ।

श्री किदवई : मैं बिहार सरकार से प्राप्त आंकड़ों को ठीक समझता हूं ।

श्री भागवत झा आजाद : अन्य स्थानों में भी ....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अगला प्रश्न ।

अन्तर्देशीय जल परिवहन

***५१५. श्री अच्युतन** : क्या **परिवहन** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा-ब्रह्मपुत्र नदियों सम्बन्धी अन्तर्देशीय जल परिवहन की तीन अग्रगामी परियोजनाओं में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या नौकाओं के रूपांकनों के बारे में अन्तिम निर्णय हो चुका है और क्या अन्य प्राथमिक व्यवस्था कर ली गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख) गंगा परियोजना के रूपांकनों के बारे में प्राथमिक कार्य पूर्ण हो चुका है । आशा है कि एक विशेषज्ञ के परामर्श से, जिस की सेवायें संयुक्त राष्ट्र ने हमें उपलब्ध करना स्वीकार

कर लिया है, नवम्बर, १९५४, तक रूपांकनों के बारे में अन्तिम निर्णय हो जायगा । एक पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है जो उक्त परियोजना का पूर्णरूपेण प्रभारी होगा । आसामी परियोजनाओं के सम्बन्ध में सर्वेक्षणों की कार्यान्विति की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री अच्युतन : नई योजना के अनुसार इस गंगा-ब्रह्मपुत्र परियोजना के पूरा हो जाने पर कुल कितने मील क्षेत्रफल इस के अन्तर्गत आ जायेगा, इस पर कितना व्यय हुआ है और इसी प्रयोजनार्थ कितना नियत किया गया है ?

श्री अलगेशन : गंगा पर प्रयोग के लिये पटना और इलाहाबाद के बीच का टुकड़ा लिया जायेगा . . . .

अध्यक्ष महोदय : इस के अन्तर्गत कितने मील क्षेत्र आ जायेगा ?

श्री अलगेशन : केवल गंगा पर पटना और इलाहाबाद के बीच दो सौ मील ।

श्री अच्युतन : क्या मेरी यह धारणा ठीक है कि सरकार ने 'एक एक कर के' के मूल सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है और उत्तर में कार्य पूरा होने के पश्चात ही दक्षिण में कार्य आरम्भ किया जायेगा ?

श्री अलगेशन : ऐसी बात नहीं है । हम दक्षिण भारत के लिये भी एक अन्तर्देशीय जल बोर्ड के लिये उत्सुक हैं और हम दक्षिण भारत के राज्यों से पत्र-व्यवहार कर रहे हैं । मुझे खेद से कहना पड़ता है कि अभी तक हमें उत्साहजनक उत्तर नहीं मिले हैं परन्तु हम इसे करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री देवेश्वर सर्मा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बाढ़ के समय उत्तरी बंगाल और आसाम की रेलवे लाइनें प्रायः टूटी रहती हैं क्या ब्रह्मपुत्र में अन्तर्देशीय जल परिवहन की कोई योजना है ?

श्री अलगेशन : जी हां, आसाम में डिहींग और सुबांसिरी नदियों पर एक अग्रगामी परियोजना का प्रयोग किया जायेगा । आसाम में एक डीज़ल से चलने वाली नाव चलाने की परियोजना क्रियान्वित की जायेगी । आसाम के लिये दो अग्रगामी परियोजनायें हैं ।

चीनी की कमी

*५१६. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और पश्चिमी बंगाल में चीनी की कमी को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या जून और जुलाई १९५४ में इन क्षेत्रों को आयात की गई चीनी बांट दी गई है ; और

(ग) उस समय बिहार और बंगाल में किस दर पर चीनी मिलती थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) भारत सरकार इन दो राज्यों को शेष देश के समान किसी भी रेलवे स्टेशन पर रेल भाड़े सहित एक ही दर पर चीनी देती है । पश्चिमी बंगाल सरकार के लिये २९ रु० प्रति मन की विशेष रियायती दर पर ८,००० टन मासिक कोटा निश्चित कर दिया गया है, क्योंकि राज्य सरकार स्वयं उपभोक्ताओं को निश्चित दर पर चीनी बांट रही है ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) १५ जून, १९५४ तक रेल भाड़े सहित चीनी की एक समान दर ३० रु० प्रति मन थी और उस के बाद से यह २९ रु० ८ आने प्रति मन हो गई है । पश्चिमी बंगाल सरकार को इस दर पर चीनी नहीं भेजी जा रही । उस की दर तो सदा २९ रु० प्रति मन ही रही है । सूचना मिली है कि स्थानीय

करों सहित चीनी के बाज़ार भाव इस प्रकार रहे हैं । यह एक लम्बी सूची है । क्या मैं इसे पढ़ कर सुनाऊं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में सारा ब्यौरा पढ़ कर सुनाने की बजाये आप इसे पटल पर रख

विवरण

इस तिथि को समाप्त होने वाले सप्ताह में	प्रति मन भाव कलकत्ता में	पटना में
५-६-५४	३३- ३-१०	३३- ०-०
१२-६-५४	३२- ६-१०	३३- ०-०
१९-६-५४	३२- ४- २	३२-१०-८
२६-६-५४	३१-१०- ५	३२- ८-०
३-७-५४	३१- ७- ४	३२- ८-०
१०-७-५४	३१- ४- ०	३२- ८-०
१७-७-५४	३१-३- ७	३२- ८-०
२४-७-५४	३१- ७- ६	३१- ८-०
३१-७-५४	३१-१३- १	३१- ४-८

श्री के० पी० सिन्हा : जून, १९५४ तक कुल कितनी चीनी का आयात किया गया और यह कैसे बांटी गई ?

श्री किदवई : मैं ने अभी वितरण बता दिया है । आज तक कुल ६,७०,००० या ६,८०,००० टन चीनी का आयात किया गया है, परन्तु मैं इस समय यह नहीं बता सकता कि जून की समाप्ति तक कुल कितनी मात्रा आयात की गई थी ।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या हम चीनी का आयात निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कर रहे हैं, और यदि हां, तो इस के भाव क्यों बढ़ रहे हैं ?

श्री किदवई : भाव नहीं बढ़ रहे हैं ; कुछ स्थानों पर यातायात की कठिनाइयों के कारण या अस्थायी कमी हो जाने के कारण एक दो दिन के लिये भाव बढ़ जाते हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह सच है कि चीनी की कमी को रोकने और गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार गन्ने का भाव बढ़ा कर इसे अधिक समय के लिये निश्चित करने का विचार कर रही है ?

श्री किदवई : अगली फसल के गन्ने के भाव पिछले वर्ष ही घोषित कर दिये गय थे । परन्तु जहां तक अगले वर्ष का संबंध है, क्योंकि खाद्यान्न के भाव कम हो गये हैं, इसलिये उसी अनपात से गन्ने के भाव भी गिर जायेंगे ।

मोटर परिवहन कर्मचारी

*५१९. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार मोटर परिवहन कर्मचारियों के काम के घन्टों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के निश्चय का अनुसमर्थन करने में विलम्ब क्यों कर रही है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : सम्भवतः माननीय सदस्य १९३९ में स्वीकृत काम के घंटे तथा विश्राम की अवधियां (सड़क परिवहन) अभिसमय की ओर संकेत कर रहे हैं । इस अभिसमय का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि भारत सरकार इस का अनुसमर्थन नहीं कर सकी । अब तक केवल दो देशों अर्थात् क्यूबा और उरग्वे ने इस का अनुसमर्थन किया है और अभी तक यह लागू नहीं हुआ है । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ इस अभिसमय के पुनरीक्षण का विचार कर रहा है ताकि अन्य सदस्य राज्य भी इस का अनुसमर्थन कर सकें । भारत सरकार इस अभिसमय के पुनरीक्षित होने के पश्चात

इस का अनुसमर्थन करने की सम्भावना पर पुनर्विचार करेगी ।

श्री ईश्वर रेड्डी : क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के निश्चय में भाग नहीं लिया था ?

श्री आबिद अली : भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ की सदस्य है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार ने इस अभिसमय में भाग लिया था ?

श्री आबिद अली : क्या इस ने मत दिया था या नहीं, इस के लिये मुझे पूर्व-सूचना चाहिये ।

रेलवे की शिकायतें

*५२०. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशनों पर रखी हुई शिकायत-पंजिकाओं में लिखी गई किसी प्रकार की शिकायतें सूचना के लिये रेलवे बोर्ड को भेजी जाती हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो रेलवे बोर्ड द्वारा निबटाये जाने योग्य विषयों को किस प्रकार निबटाया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो १९५३ में पूर्वोत्तर रेलवे से कितने मामले रेलवे बोर्ड के ध्यान में लाये गये ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं, (यह नियम नहीं है) ।

(ख) सामान्यतया रेलवे स्टेशनों पर रखी हुई शिकायत-पंजिकाओं में लिखी गई सब शिकायतें ऐसे विषयों के सम्बन्ध में होती हैं जिन के विषय में रेलवे प्रशासन कार्यवाही करने के लिये पूर्णतया सक्षम है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या शिकायत करने वालों को इस विषय में कोई पत्र भेजा जाता है कि जो शिकायतें की गई थीं उन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री शाहनवाज खां : कार्यवाही की जाती है, परन्तु, सामान्यतया शिकायत करने वाले को सूचना नहीं भेजी जाती ।

पंडित डी० एन० तिवारी : तो फिर जनता या शिकायत करने वाले को यह कैसे पता चले कि कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री शाहनवाज खां : क्योंकि वह शिकायत नहीं रहती ।

पंडित डी० एन० तिवारी : कुछ मामलों में जिस कार्य के विषय में शिकायत की जाती है वह जारी रहता है और बहुत समय तक उस के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जाती और लम्बा पत्र-व्यवहार होता है और उस का कोई उत्तर नहीं दिया जाता । ऐसी बातों के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री शाहनवाज खां : मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति की शिकायत की अच्छी प्रकार जांच की जाती है और उस पर उचित कार्यवाही की जाती है ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो तर्क करना है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या माननीय मंत्री को यह विदित है कि मैं ने स्वयं दो या तीन शिकायतें मंत्री जी को भेजी थीं, उन का कोई उत्तर नहीं दिया गया और न ही अभी तक उन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : मुझे स्मरण नहीं कि मैं ने माननीय सदस्य के किसी पत्र का उत्तर न

दिया हो। वास्तव में, कभी कभी, मैं यह अनुभव करता हूं कि मैं इस सभा के माननीय सदस्यों के पत्रों के उत्तर देने में अधिक समय लगाता हूं।

मानसिक रोग चिकित्सालय, रांची

*५२१. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) मानसिक रोग चिकित्सालय, रांची का प्रबंध केन्द्रीय सरकार ने कब संभाला था ; और

(ख) प्रबन्ध के बदलने के बाद से इस चिकित्सालय पर कितना धन व्यय किया जा चुका है और अब तक क्या-क्या सुधार किये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत-कौर) : (क) १ जून, १९५४ से।

(ख) जब से यह चिकित्सालय लिया गया है तब से इस पर होने वाले वास्तविक व्यय के आंकड़े चिकित्सालय के अधीक्षक से प्राप्त होने वाले हैं। सुधार करने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : इस मानसिक चिकित्सालय में कुल कितने व्यक्तिय के लिये स्थान है ?

राजकुमारी अमृतकौर : मुझे खेद है कि मेरे पास यहां इस के आंकड़े नहीं हैं।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीया मंत्राणी जी को ज्ञात है कि इसी सदन के एक माननीय सदस्य, श्री देवी दत्त पन्त, अच्छे होने से निराश हो चुके थे, परन्तु रांची के अस्पताल में इलाज कराने के बाद वे पूर्ण स्वस्थ हो कर वापस आ गये हैं ? क्या उन के अनुभवों से लाभ उठा कर दूसरे संसद सदस्यों को भी यह सुविधा देने पर विचार किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : इस में संसदीय कार्य का हित है।

राजकुमारी अमृत कौर : इन्तजाम सब के लिये किया जायेगा।

गन्ने की गवेषणा तथा विकास

*५२६. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति द्वारा भारत में गन्ना गवेषणा तथा विकास की वर्तमान व्यवस्था की जांच के लिये एक तदर्थ समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) यदि हां, तो समिति ने अभी तक क्या प्रगति की है ;

(ग) क्या उत्तर भारत के फैक्टरी क्षेत्र में गन्ने के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कोई विशेष कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या यह समिति उत्तर और दक्षिणी भारत में चीनी मिलों को उपलब्ध होने वाली सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी करेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकारों और चीनी की फैक्टरियों से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने के लिये समिति ने एक प्रश्नावली जारी की है ; अपेक्षित जानकारी प्राप्त होने के बाद समिति भारत के चीनी गवेषणा केन्द्रों और विकास केन्द्रों का भ्रमण आरम्भ करेगी।

(ग) हां। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल की २ लाख २० हजार एकड़ गन्ने की वर्तमान फसल के लिये अधिकतम मात्रा में उर्वरक काम में लाने के लिये एक आन्दोलन आरम्भ किया है।

(घ) जी नहीं।

श्री शिवनंजप्पा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या समिति के किन्हीं सदस्यों को गन्ने की खेती का अनुभव है अथवा क्या वे कहीं भी गन्ना उद्योग से सम्बन्धित हैं ?

श्री किदवई : वे सब गन्ने की गवेषणा या गन्ने के उद्योग अथवा गन्ना उत्पादकों से सम्बन्धित हैं ।

श्री शिवनंजप्पा : मैं जानना चाहता हूं कि इस गवेषणा और जांच के परिणाम-स्वरूप गन्ने की कोई मानक किस्में ढूंढी गई हैं ?

श्री किदवई : उन्हों ने जांच अभी आरम्भ ही की है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि गन्ने की गवेषणा मेन्डलवाद और मोरगनवाद के पुराने सिद्धांतों के अनुसार की जा रही है और नवीन गवेषणा काम में नहीं लाई गई है ?

श्री किदवई : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य गन्ना विकास के कार्यतकनीकी (टेकनीक) के विषय में मुझ से अधिक ज्ञान रखते हैं ।

जमा हुआ भोजन

*५२८. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सान्ताक्रूज़ विमान अड्डे पर लगभग ३०,००० रुपये की कीमत का जमा हुआ भोजन नष्ट कर दिया गया क्योंकि वह मानव उपयोग के लिये अयोग्य पाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस के नष्ट होने के क्या कारण थे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां ।

(ख) जमा हुआ भोजन एच० एस० हिमालय द्वारा लाया गया था ; यह बम्बई में १५ जून, १९५४ को डेढ़ म० प० बजे पहुंचा । ज्योंही स्टीमर ज्वार भाटा आने से पहले, जिस की उम्मीद संध्या के ४ बजे थी, बन्दरगाह से रवाना होने वाला था, मुसाफिरों का सामान और डाक उतारने के पश्चात अन्य सामान उतारने के लिये समय नहीं बचा क्योंकि सामान और डाक को प्राथमिकता देनी थी । अतः सामान कोलम्बो ले जाया गया जहां से एस० एस० "स्ट्रेथनावर" द्वारा उस में पुनः बम्बई के लिये यही सामान लाद दिया गया और ३० जून, १९५४ को वह गवेषणी को सौंप दिया गया । कोलम्बो में पड़ा रहने के कारण यह सामान सड़ गया होगा ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जानना चाहती हूं कि यह जमा हुआ खाद्य पदार्थ किस देश से आयात किया गया था ?

श्री राज बहादुर : मेरा विचार है यह ब्रिटेन से आयात हुआ था । इस में बाद में संशोधन किया जा सकता है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जानना चाहती हूं कि जब यह खाद्यपदार्थ श्रीलंका से रवाना हुआ था तो क्या अधिकारियों ने यह देखभाल की थी कि उक्त जहाज़ जमे हुए भोजन को ले जाने के लिये उपयुक्त था ?

श्री राज बहादुर : यह प्रश्न वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि जहाजों से सामान उतारने की व्यवस्था भारत सरकार के प्रबन्धाधीन नहीं है ।

भारतीय विमान निगम के विमान

*५२९. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हाल ही में इंडियन एअर कार्पोरेशन (भारतीय विमान निगम) के

विमान-चालकों के उडडयन-स्तर का निरीक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम हुए ; और

(ग) प्राप्त परिणामों को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार वर्तमान प्रणाली के अतिरिक्त कोई विशेष शिक्षण-प्रणाली चलाना चाहती है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) । निरीक्षण द्वारा जिस उडडयन-स्तर की सूचना मिली है वह सन्तोषजनक है । उस में जब कोई कमी पाई जाती है या निरीक्षण-प्रतिवेदन जब संतोषप्रद नहीं होता तब असैनिक-उड्डयन के महानिदेशक विमान-चालकों को विशेष शिक्षण हेतु, निगम के पास सिफारिश करते हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं जानना चाहता हूं कि इस के लिये क्या कोई विहित अवधि ह जिस के भीतर मंत्रालय द्वारा इस प्रकार के निरीक्षण होते हैं या परीक्षाएं ली जाती हैं ?

श्री राज बहादुर : हां, इस के लिये विहित अवधियां हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अनुसूची से बाहर की एअरलाइनों पर अधीक्षण कर सकती हैं ? क्या इस प्रकार की परीक्षायें उन एअरलाइनों पर भी ली जाती हैं क्योंकि हाल ही में हमें यह अनुभव हुआ है कि अनुसूची से बाहर की एअरलाइनों पर दुर्घटनायें बहुत होती हैं ?

श्री राज बहादुर : विशेष नियमों के अन्तर्गत असैनिक उडडयन के महानिदेशक द्वारा विमान-चालक की अनुज्ञप्तियां दी जाती हैं और नवीकृत की जाती हैं । प्रत्येक विमान-चालक को, चाहे वह अनुसूचित अथवा अनुसूची से बाहर की लाइन का हो, यह अनज्ञप्ति प्राप्त करनी पड़ती है तथा उस का नवीकरण कराना पड़ता है ।

श्री जी० एस० सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यहां के ये प्रमाप अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संघ द्वारा निर्धारित प्रमापों से मिलते हैं ?

श्री राज बहादुर : हां, श्रीमान् ।

हिन्दी टेलीप्रिंटर सेवा

*५३३. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि एक हिन्दी टेलीप्रिंटर सेवा आरम्भ की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सेवा से किन किन नगरों को लाभ प्राप्त हुआ है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) तथा (ख) । हिन्दी टेलीप्रिंटर सेवा अभी आरम्भ नहीं हुई है । प्रयोग के रूप में नई दिल्ली और पटना के बीच में एक समाचार एजेन्सी द्वारा प्रेस के काम के लिये यह चालू की गई है ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जो नई दिल्ली और पटना के बीच में लाइन स्थापित की गई है, उस की दरें अंग्रेजी की जो टेलीप्रिंटर सर्विस है उस से महंगी हैं या सस्ती हैं ?

श्री राज बहादुर : मैं ने जैसा निवेदन किया इम्तहानन उन को दो टेलीप्रिंटर दिये गये हैं ताकि जबलपुर में जो टेलीप्रिंटर हिन्दी के बनाये गये हैं उन का इम्तहान हो सके और यह मालूम हो सके कि वह कामकाज के लिये ठीक हैं या नहीं ?

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि गवर्नमेंट ने इस पर विचार किया है कि हिन्दी के टेलीप्रिंटर के रेट्स के कैलकुलेशन का तरीका ऐसा है जिससे

उस की दरें अंग्रेज़ी से कुछ सस्ती पड़ेंगी या नहीं पड़ेंगी तो उस को सस्ता करने का विचार है या नहीं ?

श्री राजबहादुर : जी हां, इस ओर ध्यान दिया जायेगा और दरें हिन्दी की जो लिपि है उस को ध्यान में रखते हुए मुक़र्रर की जायेंगी । इस समय तो केवल दस रुपये एक नामिनल चार्जेज़ की बैसिस पर दिया गया है ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि यह टेलीप्रिंटर सर्विस काफ़ी पापुलर हुई है ?

श्री राज बहादुर : जी हां, हम को अब तक जो रिपोर्ट्स मिली हैं उन से यह मालूम हुआ है जिन को हम ने ये टेलीप्रिंटर दिये हैं यानी हिन्दुस्तान समाचार एजेंसी, वह इन से बहुत सन्तुष्ट है और उन के लिये यह बहुत लाभप्रद सिद्ध हुई है ।

आंध्र में सिंचाई की छोटी योजनाएं

*५३५. **श्री बुचिकोटय्या** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र सरकार ने भारत सरकार से निवेदन किया है कि वह सन् १९५३-५४ की सिंचाई की छोटी योजनाओं के लिये निश्चित धन को व्यय करने की अवधि को बढ़ा दे ?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) हां ।

(ख) निवेदन इस शर्त पर स्वीकार कर लिया गया है कि इन योजनाओं के लिये उपबन्धित चालू वर्ष का ऋण तदनुसार कम कर लिया जायेगा ।

श्री बुचिकोटय्या : मैं जानना चाहता हूं कि दिये गये धन का कितना प्रतिशत समय पर व्यय हुआ और कितना नहीं ।

श्री किदवई : इस की मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री नानादास : मैं जानना चाहता हूं कि आंध्र सरकार द्वारा चालू की गई सिंचाई की छोटी योजनायें कौन-कौन से प्रकार की हैं ?

श्री किदवई : इस के लिये मुझे पूर्व-सूचना की आवश्यकता है ।

श्री सी० आर० चौधरी : मैं जानना चाहता हूं कि आंध्र राज्य में सिंचाई की छोटी योजनाओं के कार्यान्वित होने में विलंब के क्या कारण थे ?

श्री किदवई : जिस वर्ष के लिये जो धन दिया गया था उसे उस वर्ष व्यय करना संभव न हो सका । अतः उन्हें वह धन चालू वर्ष में इस शर्त पर व्यय करने की अनुमति दी गई है कि इस वर्ष जो कुछ भी दिया गया है उस में से वह राशि कम कर दी जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस विलम्ब के कारण जानना चाहते थे ।

श्री किदवई : वे उन कार्यों को समय पर न कर सके ।

श्री नानादास : मैं जानना चाहता हूं कि पूछे गये वर्ष में केन्द्रीय सरकार ने कितना धन दिया था ?

श्री किदवई : सन १९५३-५४ की सिंचाई की छोटी योजनाओं के लिये आंध्र सरकार को ३५,२५,७५६ रुपये दिये गये थे । ३० जून, १९५४ तक यह धन राज्य सरकार द्वारा व्यय किया जाना चाहिये था । १ मई, १९५४ को जब उन के १९५५ के 'अधिक अन्न उपजाओ' कार्यक्रम की चर्चा

हुई तब राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने समझाया कि केवल २१,८४,००० रुपये व्यय किये गये और शेष राशि काम में नहीं लाई गई ।

खड्डा तथा छितौनी रेलवे लाईन को खतरा

*५३९. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का ध्यान इस ओर गया है कि गंडक नदी के वर्तमान बाढ़ों में, रास्ता बदल लेने के कारण, उत्तर-पूर्वी रेलवे पर खड्डा तथा छितौनी के बीच की रेलवे लाइन को खतरा पैदा हुआ है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : जी हां । गंडक नदी के एक भाग ने, तट को छोड़ कर रेलवे लाइन के समानान्तर बहना प्रारम्भ कर दिया है । शीघ्र ही रक्षात्मक उपाय होने से अधिक हानि नहीं हुई है, तथा स्थिति की जांच की जा रही है ।

श्री विश्वनाथ राय : मैं जानना चाहता हूं कि भूतकाल में कई बार खतरे में पड़ जाने के कारण क्या सरकार इस रेलवे लाइन की स्थायी सुरक्षा के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री शाहनवाज खां : मैं प्रश्न समझ नहीं सका ।

अध्यक्ष महोदय : इस रेलवे लाइन की स्थायी सुरक्षा के प्रश्न पर क्या सरकार विचार कर रही है ?

श्री शाहनवाज खां : साधारणतया रेलवे लाइन की सुरक्षा तथा मजबूती के लिये हम रेलवे लाइन में कीलें और मेखें गाड़ते हैं तथा पत्थर के टुकड़े आस-पास डालते हैं । परन्तु बाढ़ों को रोकने के लिये बांध बनाने का कार्य राज्य सरकारों का है ।

श्री विश्वनाथ राय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि रेलवे लाइन के किनारे तक पानी के पहुंच जाने से पहले रेलवे अधिकारियों ने कोई सुरक्षात्मक कार्य-वाही नहीं की थी ?

श्री शाहनवाज खां : जहां कहीं भी पूर्वाभास मिल जाता है, वहां हम सुरक्षात्मक कार्य करते हैं परन्तु रेलवे को सभी बाढ़ों का पूर्वाभास मिलना असम्भव है ।

श्री विश्वनाथ राय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि जब उक्त रेलवे लाइन की सुरक्षा के लिये स्वयं प्रेरित श्रम भेंट किया गया तब रेलवे प्राधिकारियों ने उसे स्वीकार करने से इन्कार कर दिया ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : मुझे इस की सूचना नहीं है, परन्तु जो सूचना मुझे प्राप्य है उस के अनुसार प्रतीत होता है कि रेलवे ने वहां सराहनीय कार्य किया है तथा उस किनारे को दरार पड़ जाने से बचाने के लिये उन्हों ने दो लाख रुपया व्यय किया है । परिणामस्वरूप बाढ़ से एक बहुत बड़े भाग की रक्षा हो गई है ।

आन्ध्र में प्रयोगात्मक नल-कूप

*५४१. **श्री सी० आर० चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २२ फरवरी, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २२८ के उत्तर के सम्बन्ध में आंध्र के उन भागों के नाम बताने की कृपा करेंगे जहां प्रयोगात्मक नल-कूपों का निर्माण-कार्य प्रारंभ किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : आने वाले शासकीय वर्ष (१९५५-५६) में आन्ध्र में प्रयोगात्मक नल-कूपों का निर्माण-कार्य प्रारम्भ किये जाने का विचार है ।

नल-कूपों के निर्माण के लिये पूर्वी तथा पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर तथा नेलोर

जिले अन्तरिम रूप से चुने गये हैं। परन्तु, भारतीय सरकार टी० सी० एम० तथा राज्य सरकार के विशेषज्ञों की समिति भूतत्वीय अनुसन्धानों के आधार पर स्थानों का अन्तिम चुनाव करेगी ।

श्री सी० आर चौधरी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आन्ध्र राज्य के किसी भाग का भूतत्वीय-परिमाप किया गया है ?

श्री किदवई : भूतत्वीय भूपरिमाप किया जा चुका है तथा आन्ध्र राज्य, भारत सरकार और टी० सी० एम० के प्रतिनिधि उन स्थानों का अन्तिम चुनाव करेंगे ।

डा० रामा राव : मैं जानना चाहता हूं कि न प्रयोगात्मक नल-कूपों के निर्माण में इतनी देर क्यों हुई ?

श्री किदवई : इस कार्य को करने वाली कोई संस्था इस देश में नहीं थी । अतः हम एक केन्द्रीय संस्था स्थापित कर रहे हैं तथा इस कार्य को सफलतापूर्वक करने वाले यंत्रों को मंगा रहे हैं ।

श्री राघवैया : मैं जानना चाहता हूं कि आन्ध्र राज्य में प्रयोगात्मक नल-कूपों के निर्माण के स्थान चुनने के लिये किन-किन बातों का ध्यान रखा जायेगा ?

श्री किदवई सफल नल-कूप की भावना को ।

प्लेट फार्म टिकटों की पुनः बिक्री

*५४७. **श्री एच० एस० प्रसाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इस वर्ष भारत के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकटों को संगठित रूप से दुबारा बेचने की कोई घटनायें घटी हैं :

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनायें किन-किन क्षेत्रों में हुई हैं ;

(ग) क्या इस प्रकार के नीचतापूर्ण कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) ऐसी घटनाओं के कारण आय में कितनी हानि हुई ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) प्लेट-फार्म टिकटों की पुनः बिक्री के केवल तीन मामलों की रिपोर्ट मिली है ।

(ख) दो, सैण्ट्रल रेलवे पर बम्बई के विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन पर तथा एक उत्तर रेलवे पर दिल्ली स्टेशन पर ।

(ग) बम्बई के विक्टोरिया टर्मिनस के दो मामलों में दो व्यक्ति पकड़े गये तथा दण्ड के भागी हुए। दिल्ली का तीसरा मामला विशेष पुलिस दल की जांच में है ।

(घ) पहले दो मामलों में कुल धनराशि चार रुपये दस आने थी, तीसरा मामला अभी जांच में है, अतः धनराशि बताना सम्भव नहीं ।

श्री वेलायुधन : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को ज्ञात है कि रेलवे स्टेशनों पर यात्री जाली टिकट बेचते हैं।

श्री शाहनवाज खां : मैं प्रश्न समझा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार को ज्ञात है कि जाली टिकट बेचे जाते हैं ?

श्री शाहनवाज खां : हमें मालूम नहीं ।

श्री सी० आर० चौधरी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बात की जांच की जा रही है कि ये जाली टिकट कहां छपते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें मालूम नहीं कि ऐसे टिकट भी बेचे जाते हैं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच नहीं है कि बम्बई-पूना लाइन पर बेचे गये

हजारों रुपयों के ऐसे जाली टिकटों के छपने के स्थानों की जांच सरकार ने विशेष पुलिस दल से कराई थी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : जांच कराई गई तथा अपराधी पकड़े गये । मेरे विचार से एक मामले की जांच हो रही है ।

श्री बी० पी० नायर : आप के उत्तर से पैदा हुई बात के विषय में मैं जानना चाहता हूं कि क्या जांच द्वारा यह पता लगा कि रेलवे के कुछ उच्च पदाधिकारी भी इस में सम्मिलित थे ?

श्री एल० बी० शास्त्री : इस की हमारे पास कोई सूचना नहीं है ।

तिब्बती सीमा पर डाक भेजने की व्यवस्था

***५४९. श्री भक्त दर्शन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश की तिब्बती सीमा पर, विशेषकर गढ़वाल जिले की नीती घाटी में, हर तीसरे दिन ही डाक भेजी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में डाक की सुविधाओं में सुधार करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) उत्तर प्रदेश की तिब्बती सीमा पर स्थित सभी डाकघरों को प्रति दिन डाक भेजी जाती है---केवल नीती घाटी में स्थित बम्पा को हर तीसरे दिन डाक भेजी जाती है ।

(ख) इस प्रश्न की जांच की जा रही है कि बम्पा को प्रति दिन डाक भेजी जाय और उस सीमा पर अतिरिक्त डाकघर खोले जायें ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय कर दिया जायगा ?

श्री राजबहादुर शीघ्रातिशीघ्र ।

एक विदेशी पर्यटक की रेलगाड़ी में हत्या

***५५०. डा० रामा राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि २१ अगस्त, १९५४ को कलकत्ता-मद्रास मेल गाड़ी में एक विदेशी पर्यटक मरा हुआ पाया गया ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सिलसिले में और कौन से समाचार प्राप्त किये हैं ;

(ग) किस परिस्थिति में यह हत्या हुई ;

(घ) क्या यह सच है कि उस महिला पर्यटक पर दिन में ही आक्रमण किया गया था ; और

(ङ) विदेशी पर्यटकों की विशेष रक्षा के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) रिपोर्ट मिली है कि पूर्वी बंगाल स्थित केदारगंज के मिशन हस्पताल की एक यूरोपीय नर्स (उपचारिका) २१ अगस्त, १९५४ को कलकत्ता-मद्रास मेलगाड़ी में मरी हुई पाई गई ।

(ख) तथा (ग). बताया जाता है कि यह नर्स द्वितीय श्रेणी के महिला डिब्बे में कलकत्ता से कुनूर जा रही थी और वाल-टेयर पर गाड़ी के गार्ड, परिरक्षण निरीक्षक और टूनी उपाहार-गृह के एक बैरे ने इसे आखिरी बार देखा था । टूनी पर सामिष उपाहार-गृह के बैरे ने जो उसे मध्याह्न भोजन देने आया था, उस का डिब्बा अन्दर

से बन्द पड़ा देखा और जाते ही गार्ड को इस की रिपोर्ट कर दी। इस के पश्चात गार्ड तथा अन्य रेलवे पदाधिकारी दूसरी ओर से खिड़की के रास्ते इस डिब्बे में घुसे और उस महिला यात्री को कत्ल हुआ पाया इस की पूछताछ के लिये पुलिस ने कार्यवाही शुरू की।

(घ) जी हां।

(ङ) इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिये विविध राज्यों की पुलिस प्रत्येक संभव कार्यवाही कर रही है, और यात्रियों की संरक्षा के लिये रेलवे विभाग ने भी अपनी ओर से विशेष उपाय किये हैं।

श्री नानादास : मैं जानना चाहता हूं कि क्या गार्डों को इस तरह के अनुदेश दिये गये हैं कि वे इस बात का ध्यान रखें कि कोई यात्री डिब्बे में अकेला ही यात्रा न करे ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : इस प्रकार के अनुदेश कैसे दिये जा सकते हैं।

श्रीमती सुषमा सेन : मैं जानना चाहती हूं कि क्या अब भी अकेली महिला यात्रियों को अपने साथ कोई साथी या सह-यात्री रखने की अनुमति नहीं दी जाती ? यदि नहीं दी जाती, तो क्या रेलवे अधिकारी कृपया इस बात की व्यवस्था करेंगे ?

श्री एल० बी० शास्त्री : ऐसी बात नहीं। महिला यात्रियों को नौकर या कोई साथी साथ में रखने की अनुमति दी जाती है।

श्री जी० पी० सिन्हा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त महिला यात्री के पास कोई मूल्यवान संपत्ति या धन था ?

अध्यक्ष महोदय : वह मामले की विस्तृत पूछताछ में जा रहे हैं।

354 L. S. D.

चीनी उपकर

*५५२. **श्री नानादास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) सन् १९५० से १९५४ तक की अवधि में चीनी और गन्ने पर उत्पादन शुल्क और उपकर से प्राप्त कुल राशि का कितना प्रतिशत भाग गन्ने की खेती को विकसित करने के लिये काम में लाया गया है ; तथा

(ख) इस लेखे में खर्च की मुख्य मदें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) चीनी पर लगे उत्पादन शुल्क और उपकर से प्राप्त होने वाली आय की विशेष रूप से गन्ने की खेती को विकसित करने के लिये पृथक् नहीं रखा जाता है, किन्तु इसे सामान्य राजस्व में मिला दिया जाता है, जिस में से विकास कार्य के लिये खर्च किया जाता है। दो विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं, उन में से एक विवरण केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को १९४९-५० से १९५३-५४ तक के वर्षों में उन के गन्ने की खेती के विकास की योजनाओं के लिये ५० : ५० आधार पर, दी गई वित्तीय सहायताओं को दिखाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २]**

केन्द्रीय सरकार का अंशदान अस्थायी चीनी उत्पादन शुल्क निधि में प्राप्त आय से दिया गया है। इस के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति को आठ लाख रुपये का वार्षिक अनुदान भी देती है और कोयम्बटूर और भादुक (लखनऊ) की गन्ना संस्थाओं के लिये वित्त व्यवस्था करती है। ये सब संस्थायें गन्ना गवेषणा विकास से सम्बन्ध रखती हैं। सभा-पटल पर रखा गया दूसरा विवरण १९५०-५१ से १९५३-५४ तक गन्ना और गन्ना उद्योग के विकास पर विभिन्न राज्य सरकारों

द्वारा, जो चीनी की फ़ैक्टरियों द्वारा खरीदे गये गन्ने पर उपकर लगाती हैं, किये गये व्यय की प्रतिशतता को दिखाता है । खर्च, राज्य सरकारों के सामान्य राजस्वों में से, जिस में गन्ने पर लगे उपकर से होने वाली आय मिली होती है, पूरा किया जाता है । राज्य सरकारों द्वारा सड़कों और सिंचाई कार्यों पर जो खर्च किया जाता है वह भी गन्ना और चीनी दोनों उद्योगों के विकास में सहायक होता है । चीनी पर कोई उपकर नहीं है ।

(ख) खर्च की मुख्य मदों में सिंचाई कार्य, सड़कें, उपयुक्त गुण प्रकार के बीजों का मुफ्त दिया जाना, उर्वरकों और उन्नत औजारों का दिया जाना तथा उन का प्रदर्शन, भूमि बढ़ाने का कार्य, कम्पोस्ट बनाने का आन्दोलन, कीड़ों और बीमारियों से फसलों का रक्षण, प्रदर्शन-फार्म, स्थापित करना और सामान्यतया खेती करने वालों को खेती के उत्तम उपायों को अपनाने के लिये प्रोत्साहन देना सम्मिलित हैं ।

श्री नानादास : विवरण से यह प्रतीत होता है कि १९५३-५४ में बम्बई, मद्रास, उड़ीसा और पंजाब सरकारों के लिये न कोई राशि मंजूर की गई है और न दी गई है । क्या मैं धन के न दिये जाने का कारण जान सकता हूं ?

श्री किदवई : क्योंकि केन्द्र द्वारा धन दिये जाने के लिये कोई नवीन योजनायें नहीं थीं ।

श्री नानादास : विवरण संख्या २ से यह प्रतीत होता है कि बम्बई सरकार ने १९५३-५४ में ८१·४१ प्रतिशत खर्च किया । मैं जान सकता हूं कि यह खर्च किस निधि में से किया गया है ?

श्री किदवई : उस उपकर से, जो बम्बई सरकार, चीनी मिलों को बेचे गये गन्ने से इकट्ठा करती है ।

श्री टी० एन० सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उपकर सामान्य राजस्व में विनियोजित किया जा रहा है, क्या सरकार ने "उपकर" शब्द को किसी प्रकार के "कर" के रूप में बदलने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

श्री किदवई : यह सम्बद्ध राज्य सरकार का काम है, क्योंकि मैं समझता हूं कि नवीन संविधान के अनुसार एक विशेष कर होता है, जिसे वह किसी बाजार विशेष में बेचे गये माल पर लगा सकती है । इसलिये यह वास्तव में उपकर नहीं है, परन्तु पुराना नाम ही अभी तक बजट में चल रहा है ।

गठिया जैसे रोग

*५५३. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या भारत के किसी चिकित्सा विद्यालय में गठिया जैसे रोगों में विशेषज्ञ बनने के किसी पाठ्यक्रम की सुविधा है, यदि हां, तो वह विद्यालय कौन कौन से हैं ;

(ख) क्या शिक्षा देने वाले चिकित्सालयों में से किसी में गठिया जैसे रोगों के उपचार के लिये विशेष रुग्णालय तथा विभाग हैं ; तथा

(ग) यदि हां, तो उन की संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) जी नहीं ।

(ख) नहीं । गठिया जैसे रोगों से पीड़ित रोगियों का उपचार भी चिकित्सालयों के अन्य सामान्य बोर्डों में किया जाता है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को विदित है कि विश्व स्वास्थ्य संघ ने इस का विशेष अध्ययन करने के पश्चात यह रिपोर्ट

दी है कि एक बार हो जाने पर यह रोग जनता के नित्य प्रति के कामों के लिये बड़ा हानिकारक है ?

राजकुमारी अमृत कौर : मैं ने विश्व स्वास्थ्य संघ की इस रिपोर्ट को स्वयं तो नहीं देखा है, परन्तु मैं निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में जांच कराऊंगी ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस समय भारत में गठिया जैसे विभिन्न प्रकार के रोगों के कारण होने वाली शारीरिक अयोग्यताओं के विस्तार के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है ?

राजकुमारी अमृत कौर : ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है ।

श्री ए० एम० थामस : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस गठिया जैसे रोगों के लिये आयुर्वेदिक उपचार सर्वोत्तम सिद्ध हुआ है, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने भारत में सभी जगह रुग्णालय खोलने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

राजकुमारी अमृत कौर : मद्रास सरकार ने कहा है कि वह गठिया का उपचार करने में काम आने वाली देशीय औषधियों के सम्बन्ध में गवेषणा करने पर कुछ धन व्यय कर रही है, और यह कार्य देशीय औषधि विद्यालय मद्रास में किया जा रहा है । हम परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

"अधिक अन्न उपजाओ" योजनायें

*५५४. **डा० राम सुभग सिंह**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने १९५४-५५ में "अधिक अन्न उपजाओ" योजनाओं के लिये राज्यों को कोई अनुदान अथवा ऋण दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों को ; तथा

(ग) कितना ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) जी हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३**]

डा० राम सुभग सिंह : विवरण से यह ज्ञात होता है कि भिन्न राज्य सरकारों को २२ करोड़ रुपये से अधिक ऋणों और अनुदानों के रूप में दिया गया है । क्या यह ऋण तथा अनुदान तदर्थ आधार पर दिये जाते हैं अथवा ऋण देने से पहले भारत सरकार विभिन्न राज्य सरकारों की योजनाओं पर विचार करती है ?

श्री किदवई : भारत सरकार विभिन्न राज्य सरकारों से छोटी सिंचाई तथा अन्य कार्यों की योजनायें प्राप्त करती है और तदनुसार उन्हें ऋण अथवा सहायता देती है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या "अधिक अन्न उपजाओ" योजना के आधीन छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्रों को बुल डोज़र देने की सरकार की कोई योजना है ?

श्री किदवई : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उस सम्बन्ध में राज्य सरकार की कोई सिफारिशें हैं ।

श्री एन० एल० जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि जो ग्रांट सन् १९५४-५५ में दी गई है, वह सन् १९५३-५४ की ग्रांट से ज्यादा है या कम है ?

श्री किदवई : मेरे सामने जो फ़िगर्स (आंकड़े) हैं, उन से यह कहना मुश्किल है कि पिछले साल से ज्यादा है या कम है

लेकिन एक रक़म मुक़र्रर होती है, उसी के अन्दर से दिया जाता है ।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या विभिन्न राज्यों को १९५३-५४ में दिये गये ऋण तथा अनुदान उसी वर्ष में व्यय कर दिये गये थे ?

श्री किलवर्ट : अभी अभी हम ने आन्ध्र का मामला सुना है जहां पर वह इसे वर्ष के अन्दर व्यय नहीं कर सके थे । इस राशि को अगले वर्ष के अनुदान में से घटा दिया गया था ।

रेलवे दुर्घटना

***५५५. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) चनपटियां और बेतिया स्टेशनों के मध्य २ मई, १९५४ को हुई रेल दुर्घटना में कितने व्यक्ति मरे तथा कितने घायल हुए तथा

(ख) क्या दुर्घटना के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है, और यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : २ मई, १९५४ को रात के कोई आठ बज कर पांच मिनट पर; जबकि ३४४ डाउन सवारी गाड़ी उत्तर पूर्वी रेलवे के मुज्जफ़रपुर-नारकटियागंज सैक्शन में चनपटिया से बेतिया स्टेशन को जा रही थी तो, एक अतिशय वेगवान चक्रवान उस से टकराया जिस से इंजिन के पीछे के ६ डिब्बे उलट गये । दो व्यक्ति मरे, आठ को गम्भीर चोटें आईं तथा ९३ को हल्की चोटें आईं ।

(ख) कलकत्ता के सरकारी निरीक्षक न इस दुर्घटना पर अपनी अनुविहित जांच की । उस की उपपत्ति यह है कि गाड़ी के पटरी से उतरने का कारण उस के अचानक ही एक अत्यधिक वेगवान अन्धड़ की लपेट में आ जाना था ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : क्या मृतकों तथा घायलों को कुछ सहायता अथवा प्रतिकर दिया गया ?

श्री शाहनवाज खां : सामान्यतः यह दिया जाता है, तथा जब आवश्यकता होती है तो एक प्रतिकर आयुक्त नियुक्त किया जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : वह इस विशेष मामले का निर्देश कर रहे हैं । यही वह चाहते हैं ।

श्री शाहनवाज खां : मुझे खेद है कि इस विशेष मामले के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है । नियम यह है कि कोई राज्य अधिकारी, कलक्टर अथवा कोई अन्य अधिकारी नियुक्त किया जाता है, और वह सम्बन्धित व्यक्तियों को प्रतिकर दिये जाने के सम्बन्ध में निर्णय करता है ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक: इस मामले में कोई निरीक्षक अथवा आयुक्त नियुक्त किया गया था अथवा नहीं ?

श्री शाहनवाज खां : मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता होगी ।

अध्यक्ष महोदय : जांच की जा चुकी है । अगला प्रश्न ।

केन्द्रीय श्रम संस्थान

***५६१. श्री राधा रमण** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बम्बई में किस दिनांक तक श्रम संस्था की स्थापना हो जाने की आशा है ;

(ख) उस पर होने वाला अनुमानित व्यय ; तथा

(ग) क्या संस्थान को विदेशी विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त होगी ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) १९५६ के मध्य के लगभग ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४]**

(ग) जी हां ।

श्री राधा रमण : सभा-पटल पर रखे गये विवरण में यह उल्लिखित है कि संस्थान के विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों पर होने वाले व्यय का अनुमान १,२५,००० रुपये है । इसमें कितने विभाग होंगे । यह धनराशि किस प्रकार बांटी जायेगी तथा संस्थान के किन-किन विभागों को दी जायेगी ?

श्री आबिद अली : इस संस्थान के विभिन्न विभाग होंगे । औद्योगिक, सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण का एक दर्शनालय होगा ; दूसरा विभाग औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला के सम्बन्ध में होगा । प्रशिक्षण केन्द्र, सूचना केन्द्र से संयोजित पुस्तकालय, राष्ट्रीय उत्पादन केन्द्र उद्योग का प्रशिक्षण तथा कुछ दूसरे विभाग भी होंगे । पृथक आंकड़ों के सम्बन्ध में अभी हम ने धन राशि निश्चित नहीं की है ।

श्री राधा रमण : क्या विदेशी विशेषज्ञों को भी इस संस्थान में सेवायुक्त किया जायेगा, और यदि हां, तो किन शर्तों पर उन को सेवायुक्त किया जायेगा ?

श्री आबिद अली : हम एक वर्ष के लिये पांच विदेशी विशेषज्ञों को रखने की प्रस्थापना कर रहे हैं जिस के कि हमें उन विषयों पर विदेशों में हुई प्रगति के सम्बन्ध में उन की सलाह का लाभ मिल सके ।

श्री राधा रमण : यह संस्थान कितने विद्यार्थियों को लेगा तथा प्रत्येक राज्य का क्या भाग होगा ?

श्री आबिद अली : यह अभी निश्चित नहीं किया गया है ।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या मैं इन विदेशी विशेषज्ञों की राष्ट्रीयता जान सकता हूं ?

श्री आबिद अली : व्यक्तियों का अभी चुनाव नहीं किया गया है ।

बिहार में रेल पथों का टूटना

*५६४. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बिहार में हाल ही में आई बाढ़ के कारण कोई रेल पथ टूट गये थे ;

(ख) क्या बहुत से मामलों में रेल यातायात को निलम्बित करना पडा था ;

(ग) यदि हां, तो कितने समय के लिये ; **तथा**

(घ) इन सेवाओं के निलम्बन काल में रेलवे द्वारा क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किये गये थे ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ). सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५]**.

श्री भागवत झा आजाद : विवरण में तो मुझे बहुत से स्थानों पर रेल पथों के टूटने की सूचना मिलती है । विशाल-पैमाने पर हुए विनाश कार्य के परिणामस्वरूप रेलवे को अनुमानतः कुल कितनी हानि हुई है ?

श्री शाहनवाज खां : रेल पथ इतने अधिक स्थानों पर टूटे हैं कि रेलवे ने मुख्य रूप से अपना ध्यान टूटे भागों के प्रतिस्थापन पर लगा दिया है, और अभी हमें हानि का ब्यौरा तैयार करने के लिये पर्याप्त समय नहीं मिला है ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या अब भी कोई ऐसे मार्ग हैं जिन पर सीधा यातायात प्रारम्भ नहीं हुआ है ?

श्री शाहनवाज खां : कुछ हैं, और उन पर यथाशीघ्र यातायात चालू करने के भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : यात्रियों को ले जाने के लिये कौन से वैकल्पिक भागों की व्यवस्था की गई है ?

श्री शाहनवाज खां : यह प्रत्येक मामले में भिन्न-भिन्न है । कुछ स्थानों पर, हम ने टूटे स्थानों के बीच खेवे (फ़ैरी) की व्यवस्था की है । कुछ अन्य स्थानों पर, विकर्षित मार्ग बनाये गये हैं । कभी-कभी बिल्कुल ही पृथक रास्तों से यातायात को घुमा कर ले जाया जाता है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार को विदित है कि बिहार से आने वाले मित्रों का कहना है कि ऐसे स्थान भी हैं जहां यात्रियों के लिये वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था नहीं की गई है ?

श्री शाहनवाज खां : हम राज्य सरकार के सहयोग से भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

बाढ़ों के कारण रेलवे लाइनों को पहुंची हानि

*५६५. **श्री बर्मन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तरी बंगाल की बाढ़ों से जून तथा जुलाई, १९५४ में रेलवे को पहुंची हानि का परिमाण ;

(ख) किस प्रकार की हानि हुई है ; तथा

(ग) आसाम रेल कड़ी को इस वार्षिक अव्यवस्था तथा हानि से बचाने के लिये सरकार क्या कार्यवाहियां करने की प्रस्थापना करती है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) कई स्थानों पर काफ़ी अधिक हानि हुई थी परन्तु हानि की सीमा तक अभी तक अनुमान नहीं लगाया गया है ।

(ख) हानि मुख्यतयः पुश्तों के बह जाने की, पुलों के रास्तों के कट जाने की तथा स्वयं पुलों के टूट जाने की हुई है ।

(ग) उत्तर पूर्वी रेलवे तथा पश्चिम बंगाल का सिंचाई विभाग द्वारा जली (हाई-ड्रॉलिक) गवेषणा स्टेशन की सहायता से एक संयुक्त जांच अपेक्षित कार्यवाही का निश्चय करने के लिये की जाने को है ।

श्री बर्मन : मैं जान सकता हूं कि सन् १९५४ में किस दिनांक को यह रेलपथ सर्व प्रथम टूटा था और संचरण साधनों को ठीक करने में जिस से कि यात्री सिली-गुड़ी से आगे आसाम तक जा सकें कितना समय लगेगा ?

श्री शाहनवाज खां : कोई निश्चित दिनांक निर्धारित करना बहुत कठिन है ।

श्री बर्मन : क्या यह सत्य है कि कदाचित यह रेल कड़ी बिना किसी प्रकार के वैज्ञानिक आंकड़ों के जल्दी में बनाई गई थी और इसे हिमालय से उतरने वाली नदियों के ठीक नीचे बनाया गया थ। जिस के परिणाम-स्वरूप यह लाइन प्रति वर्ष और विशेष रूप से वर्षा ऋतु में टूट जाती है, यदि ऐसा है, तो क्या सरकार कोई वैकल्पिक रेल मार्ग बनाने की प्रस्थापना करती है ताकि आसाम का शेष भारत के साथ सम्बन्ध बनाये रखा जाये ?

श्री शाहनवाज खां : यह टूट फूट ग़लत रेखाकरण के कारण नहीं हो रही है अपितु तेज़ धाराओं तथा बाढ़ों की तेज़ी तथा वेग के कारण हो रही है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : हानि के जितने परिमाण की सूचना माननीय मंत्री ने दी है, उस में उन्हों ने उस ट्रेन वाले मामले का उल्लेख नहीं किया है जो ड्राईवर के पतली पट्टी के सहारे आगे बढ़ने पर बाध्य होने के कारण नष्ट हो गई थी। उस हानि का कुल अनुमान क्या है और उस के लिये कौन उत्तर-दायी है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : कदाचित माननीय सदस्या को ग़लत सूचना मिली है। ड्राईवर अपनी ड्यूटी पर था। मेरे मन में उस ड्राईवर के लिये बहुत आदर है क्योंकि मूसलाधार वर्षा तथा बाढ़ में भी वह अपने गन्तव्य स्थान की ओर बढ़ता चला गया था; परन्तु उन को यह ज्ञात नहीं था कि एक कड़ी टूट गई थी, और क्योंकि कोई पूर्वसूचना या चेतावनी प्राप्त नहीं हुई थी इसलिये ड्राईवर पुल पर चला गया जबकि पुल पहले ही टूट चुका था इसलिये इंजन नीचे नदी में गिर पड़ा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरा प्रश्न हानि के सम्बन्ध में था। उन्हों ने पुल को पहुंची हानि के सम्बन्ध में बताया, परन्तु सम्पूर्ण रेलगाड़ी इंजन सहित नष्ट हो गई थी।

श्री एल० बी० शास्त्री : अब वह समाप्त हो गया है। यह सूचना निश्चय ही दुर्घटना होने से पूर्व प्राप्त हुई होगी।

श्री बर्मन : जो रेल गाड़ी नदी में गिर पड़ी थी उस में बैठे यात्रियों के भाग्य के सम्बन्ध में नवीनतम सूचना क्या है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : यह रेल गाड़ी नहीं थी। यह केवल एक इंजन था।

श्री बर्मन : उस में सवार व्यक्तियों का परिणाम क्या हुआ ?

श्री एल० बी० शास्त्री : उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई ; तत्पश्चात् हम कुछ भी नहीं कर सके। परन्तु तो भी हम ने एक वायुयान भेजा और हमारे अधिकारी वहां गये और जांच की।

अल्प सूचना प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी

श्री कासलीवाल : क्या मैं आप का ध्यान एक प्रश्न की ओर जिस की मैं ने अल्प सूचना दी थी, आकर्षित कर सकता हूं ? यद्यपि सचिवालय ने मुझे सूचित कर दिया था कि उक्त प्रश्न आज के लिये स्वीकृत किया गया है, तथापि वह प्रश्नों की सूची में नहीं है। मुझे ज्ञात नहीं कि उक्त प्रश्न का क्या परिणाम हुआ।

अध्यक्ष महोदय : वह कार्यालय से पूछें, मैं वैसे ही उत्तर नहीं दे सकता हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आदमपुर हवाई अड्डा

*५०५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आदमपुर (जालंधर) के हवाई अड्डे को नियमित वायुसेवा के लिये खोल देने की प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : जी नहीं, श्रीमान्।

प्रथम सुपर कान्सटिलेशन विमान

*५०८. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या एअर इंडिया इंटरनेशनल का 'रानी झांसी' नामक प्रथम सुपर कान्सटिलेशन विमान जब से ६ जून १९५४ को बम्बई में उतरा है, नियमित रूप से एक निश्चित मार्ग पर चल रहा है ;

(ख) यदि हां तो वह मार्ग कौन सा है ; तथा

(ग) क्या इस विमान को साधारणतया पूरा भार मिल जाता रहा है ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) हां ।

(ख) बम्बई-लन्दन मार्ग ।

(ग) जितना भी भार मिलता रहा है वह बहुत सन्तोषजनक समझा गया है ।

आहार व्यवस्था तथा संस्था सम्बन्धी प्रबन्ध का कालिज

*५१७. **सरदार ए० एस० सहगल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) कि आहार-व्यवस्था तथा संस्था सम्बन्धी प्रबन्ध का क्या कोई कालिज बम्बई में खोला गया है ;

(ख) उस में प्रति वर्ष कितने छात्रों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ;

(ग) इस पाठयक्रम में भर्ती किये जाने के लिये कौन सी न्यूनतम अर्हतायें विहित की गई हैं ; तथा

(घ) पाठयक्रम कौन-कौन से हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) हां ।

(ख) १०० परन्तु प्रथम पाठयकाल में केवल ५६ विद्यार्थी हैं ।

(ग) मैट्रीकुलेशन या समानास्तर की अर्हता । परन्तु यह स्तर महिला छात्राओं अथवा अन्य व्यक्तियों के लिये शिथिल कर दिया जायेगा जिन को आहार व्यवस्था का कुछ अनुभव प्राप्त है ।

(घ) विवरण पत्रिका में निम्नलिखित पाठयक्रम हैं :

(१) आहार नियम शास्त्र तथा आहार पोषण ।

(२) स्वास्थ्य, आरोग्य शास्त्र तथा प्राथमिक चिकित्सा ।

(३) पाक-शास्त्र—सिद्धान्त तथा व्यवहार, क्रय तथा भंडार करना ।

(४) खाद्य व्यवस्था का अर्थशास्त्र ।

(५) लेखा जोखा रखना ।

(६) पत्र-व्यवहार

(७) जन सम्पर्क ।

(८) प्रशासन (संस्था संबन्धी प्रबन्ध)।

(९) प्राथमिक सिलाई तथा धुलाई ।

(१०) आहार प्रबंधक संस्थाओं को देखने के लिये जाने का अभिलेख रखना ।

काश्मीर जाने वाले पर्यटक

*५१८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि चालू वर्ष में अब तक काश्मीर जाने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी है ; तथा

(ख) उन के लिये कौन सी विशेष सुविधाओं का प्रबन्ध किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) ३० जून १९५४ तक १९,१४८ ।

(ख) विशेष सुविधाओं में अन्य बातों के साथ-साथ रेल तथा सड़क के और रेल तथा विमान के रियायती टिकटों की, काश्मीर अनुज्ञाओं के शीघ्र जारी करने की तथा जानकारी देने की पथ-प्रदर्शक सेवाओं की तथा घाटी में आवास तथा परिवहन इत्यादि की और अच्छी सुविधाओं का प्रबन्ध सम्मिलित है ।

रेलों में माल का लादना तथा उतारना

*५२२. **चौधरी रघुवीर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि कुछ स्टेशनों पर माल के लादने तथा उतारने का प्रबन्ध स्टेशन मास्टरों द्वारा, अनुज्ञप्ति वाले ठेके-

दारों के अभिकरण के बिना, तदर्थ आधार पर किया गया है जिस के कारण सरकार को हानि उठाना पड़ी ; तथा

(ख) यदि हां तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या उपाय करने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां परन्तु इस से न केवल सरकार को कोई हानि नहीं होती वरन बचत होना निश्चित है ।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

मद्रास के भूतपूर्व ट्रामवे कर्मचारी

***५२३. श्री नम्बियार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने मद्रास के १६०० बेकार हो जाने वाले भूतपूर्व ट्रामवे कर्मचारियों को पेराम्बूर की इन्टीग्रल कोच बिल्डिंग फ़ैक्टरी में काम देने की बात कही थी ;

(ख) यदि हां तो यह आश्वासन कब दिया गया था ;

(ग) अब तक उपर्यूक्त कारखाने में बेकार होने वाले कितने भूतपुर्व ट्रामवे कर्मचारी काम पर लगाये गये हैं ;

(घ) ये लोग किस आधार पर काम पर लगाये गये हैं ; तथा

(ङ) क्या सरकार ने शेष व्यक्तियों को काम पर लगाने के लिये कोई अवधि-सीमा निर्धारित की है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख) नहीं । फिर भी अप्रैल १९५३ में इन्टीग्रल कोच फ़ैक्टरी प्रशासन को निदेश दिया गया था कि यथा-संभव अधिक से अधिक सख्या में ट्रामवे कर्मचारियों को खपाने का प्रयत्न किया जाये यदि वे उपयुक्त पाये जायें ।

(ग) चार ।

(घ) प्रत्यक्ष रूप से अथवा नौकरी दिलाने वाले दफ़्तर के द्वारा प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार किया जाता है और मौखिक परीक्षा तथा काम की जांच के पश्चात् अभ्यर्थी चुन लिये जाते हैं ।

पर्यटक साहित्य

***५२४. श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पर्यटकों के आगमन को प्रोत्साहन देने के लिये अभी हाल में जो निर्णय किया गया था, उस के अनुसार क्या हिन्दी और कुछ विदेशी भाषाओं में पर्यटक साहित्य प्रकाशित किया गया है ;

(ख) क्या भिन्न-भिन्न प्रकार के इस साहित्य की एक एक प्रति पटल पर रखी जायगी ; और

(ग) क्या कारण है कि यह साहित्य केवल फ्रांसीसी भाषा में ही प्रकाशित किया जायेगा, अन्य विदेशी भाषाओं में नहीं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, कुछ प्रकाशन अभी प्रकाशित हो रहे हैं ।

(ख) हां ।

(ग) प्रकाशन न केवल फ्रेंच में वरन् जर्मन, इटैलियन तथा स्पैनिश जैसी अन्य यूरोपीय भाषाओं में भी निकाले जायेंगे ।

चीन से धान का बीज

***५२५. श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि चीन से कितने किस्म का धान का बीज भारतवर्ष में लाया गया है ;

(ख) किन-किन राज्यों में यह बोया गया है ;

(ग) धान के उत्पादन पर इस का क्या प्रभाव पड़ा है ; तथा

(घ) भारतीय धान की तुलना में इस के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) आजकल केन्द्रीय चावल अनुसंधान-शाला, कटक में १५७ किस्म के चीनी चावल हैं ।

(ख) इन में से कुछ किस्मों के चावलों का परीक्षण हैदराबाद, जम्मू तथा काश्मीर और आंध्र को छोड़ कर अन्य सभी भाग 'क' राज्यों में किया गया है ।

(ग) तथा (घ) ये परीक्षण अभी तक प्रयोगात्मक स्थिति में ही हैं ।

त्रिपुरा में बाढ़

***५२७. श्री बीरेन दत्त**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि अगरतला में बाढ़ के फल-स्वरूप फस्ल की कितनी हानि हुई है ; तथा

(ख) क्या राज्य में खाद्यान्न की कमी हो जाने का डर है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख). नाममात्र की हानि हुई है और खाद्यान्न के कम होने की कोई संभावना नहीं है ।

अगरतला नगरपालिका

***५३०. श्री दशरथ देव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) कि सन् १९५० के बाद से अगर-तला नगरपालिका की वार्षिक आय क्या है ;

(ख) क्या सरकार भूतकाल में अगर-तला नगरपालिका को आर्थिक सहायता देती रही है, और क्या सरकार का विचार भविष्य में भी सहायता देने का है ;

(ग) यदि हां तो १९५० से अब तक कितने अनुदान दिये गये हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार का विचार अगरतला नगरपालिका के लिये एक प्रशासक नियुक्त करने का है ; तथा

(ङ) यदि हां तो उन का वेतन कहां से दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर). (क) वर्ष १९५०-५१, १९५१-५२, १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में अगरतला नगरपालिका की वार्षिक आय क्रमश: ९३,७६० रु०, १,३०,५७७ रु०, १,२७,८४३ रु० तथा २,१०,७८१ रु० पौने तीन आने थी ।

(ख) जी हां, अगरतला नगरपालिका को भूतकाल में अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता दी गई थी । नगरपालिका को भविष्य में सहायता देने का प्रश्न तो त्रिपुरा के मुख्य आयुक्त द्वारा इस प्रकार के व्यय को न्यायोचित ठहराने और उस की सिफारिश करने पर ही निर्भर है ।

(ग) वर्ष १९५०-५१, १९५१-५२, १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में अगरतला नगरपालिका को क्रमश: २०,०००, २०,०००, ३०,००० तथा ६०,००० रुपये के अनुदान दिये गये थे ।

(घ) आजकल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

बसों का आयात

***५३१. श्री अजित सिंह** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ तथा १९५४ में सरकार ने कितनी तथा किन-किन देशों से यात्रियों

के लिये बसों का आयात किया है ; तथा

(ख) क्या यह सच है कि आयातित बसों में से कुछ बसें आर्थिक दृष्टि से लाभदायक तथा भारत की सड़कों के लिये उपयुक्त नहीं हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकारी द्वारा आयात किये गये चार प्रकार की मोटर गाड़ियों के १०० ढांचों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने १९५३ तथा १९५४ में प्रत्यक्षतः यात्री बसों के अन्य ढांचों का कोई आयात नहीं किया था ।

(ख) सरकार को इस का कोई ज्ञान नहीं है ।

श्रीनगर-लेह विमान सम्पर्क

*५३२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या श्रीनगर के साथ लेह का विमान सम्पर्क स्थापित करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन दोनों स्थानों के बीच हवाई यातायात कब आरम्भ होगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). इस मास के तृतीय सप्ताह से श्रीनगर तथा लेह के बीच हवाई यातायात आरंभ होने की आशा है ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाल पक्षाघात दल

*५३४. **डा० सत्यवादी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री विश्व स्वास्थ्य संगठन के बालपक्षाघात दल द्वारा की गई सिपारिशों की प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगी तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाहियों के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन से सम्बन्धित विश्व स्वास्थ्य संगठन के बालपक्षाघात दल द्वारा की गई सिपारिशों की प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६]**

इन सिपारिशों के आधार पर अस्थि-रोग सम्बन्धी एक दल जिस में एक अस्थि शल्यचिकित्सक तथा दो शरीर रोग संबंधी निदान करने वाले हैं, कोलम्बो योजना के अधीन भारत को मिला है और वह दल इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली, भेज दिया गया है । बम्बई के के० ई० एम० अस्पताल में शारीरिक रोग निदान प्रशिक्षण केन्द्र तथा एक स्कूल की भी स्थापना कर दी गई है ।

पहले दर्जे का हटाना

*५३६. **श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या रेलवे मंत्री ३० नवम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३९६ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सभी रेलों में पहला दर्जा कब से पूरी तौर से हटा दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं तो कितनी लाइनों पर वह अभी तक चालू है और उसे पूरी तौर से हटा देने में कितना समय लगेगा ;

(ग) उस के हटा दिये जाने से क्या राजस्व में कोई कमी हुई है ; तथा

(घ) क्या यह तथ्य है कि वातावस्थापित डिब्बों से प्राप्त आय पहले दर्जे के डिब्बों से प्राप्त आय की अपेक्षा अब बहुत कम हो गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अ गेशन) : (क) नहीं ।

(ख) जिन रेलों में पहला दर्जा अभी चालू है, उन की सूची सभा-पटल पर रखी जाती है । [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७] मार्च, १९५५ तक वह पूरी तौर से हटा दिया जायगा ।

(ग) उच्चतर दर्जे से कुल आय में कोई घाटा नहीं है ।

(घ) नहीं ।

सहायक चिकित्सक कर्मचारी

*५३७. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) कि सरकार ने सहायक चिकित्सक कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि ऐसा हो तो क्या वह योजना सभा-पटल पर रखी जायगी ;

(ग) यदि इस सम्बन्ध में अब तक कोई निर्णय न किया गया हो तो सरकार को किसी निर्णय पर पहुंचने में कितना समय संभवतः लगेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) विषय विचाराधीन है और इस मास के अन्त तक किसी विनिश्चय किये जाने की आशा है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की मांगें

*५३८. **श्री ए० के० गोपालन** क्या **श्रम** मंत्री २० अप्रैल, १९५४ को राज्य सभा में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४१७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कर्मचारी संघ की मांगों के सम्बन्ध में सुलह करने वालों के प्रयत्नों का क्या परिणाम हुआ ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : फरवरी से मई १९५४ के बीच अनेक तिथियों पर देहली के सुलह पदाधिकारी (केन्द्रीय) द्वारा सुलह कार्यवाही की गई थी । कुछ मांगें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकार की गई हैं, कुछ विचाराधीन है और कुछ अस्वीकार की गई हैं । विचाराधीन मांगों के सम्बन्ध में आवश्यकता पड़ने पर अग्रेतर सुलह की कार्यवाही की जायगी ।

कुरुक्षेत्र के मेले से रेलवे की आय

*५४०. **श्री आर० एस० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सूर्यग्रहण के अवसर पर हाल ही में लगे कुरुक्षेत्र के मेले के सम्बन्ध में यात्रियों के आवागमन से होने वाली आय पहले की अपेक्षा कम हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के कारण क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) पिछले अवसर पर अर्थात् फरवरी १९५२ में सूर्यग्रहण तथा सोमवती अमावस्या, जो बहुत पवित्र समझी जाती है, एक साथ पड़ गई ।

उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण में सड़कें

*५४२. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से उत्तर पूर्व-सीमान्त अभिकरण में अब तक कितनी संख्या में और कितने मील की छोटी सड़कें, जीप चलने योग्य सड़कें और मोटर चलने योग्य सड़कें तैयार हो गई हैं

(ख) क्या कार्यक्रम के अनुसार सड़क का निर्माण कार्य जारी है ;

(ग) उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण में सड़क निर्माण कार्यों में जनता द्वारा क्या विभिन्न अंशदान किये गये हैं ; और

(घ) १९५२-५३ में जनता के अंशदान की तुलना में १९५३-५४ में जनता का अंशदान कितना है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) छोटी सड़कें ७, कुल लम्बाई १२५ मील ; जीप चलने योग्य सड़कें ५, कुल लम्बाई ९९ मील ; मोटर चलने योग्य सड़कें २, कुल लम्बाई ८ $^1/_2$ मील ।

(ख) पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में इन सड़कों पर किया गया खर्च उस काल के लिये निर्धारित अधिकतम व्यय का लगभग ९० प्रतिशत हुआ है ।

(ग) तथा (घ). सामुदायिक योजना क्षेत्रों में स्वेच्छा श्रम से अच्छे मौसम की सड़कें लगभग ५० मील, जीप चलने योग्य सड़क १ मील और १४ पुल बनाये गये हैं और लगभग १०० मील सड़क की मरम्मत की गई है। इन में से लगभग १६ मील सड़क १९५२-५३ में बनाई गई थी और शेष १९५३-५४ म ।

मलनाड़ में नया डाकघर

***५४३. श्री वोडयार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि सरकार द्वारा मलनाड़ क्षेत्र में और डाकघर खोलने के लिये कोई अभिवेदन प्राप्त हुआ है ; तथा

(ख) यदि ऐसा हो, तो सरकार द्वारा उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां ।

(ख) पिछले २ वर्षों में मलनाड़ क्षेत्र में २२ डाकघर खोले गये हैं । १९५४-५५ में २२ और १९५५-५६ में ६ नये डाकघर वहां खोले जाने की प्रस्थापना है ।

देय राशियों के भुगतान में विलम्ब

***५४४. श्री सिंहासन सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करग कि :

(क) पहली जुलाई १९५४ को ओ० टी० रेलवे के ऐसे सेवानिवृत्त और मृत कर्मचारियों के कितने मामले थे, जिन की देय राशियों का भुगतान नियमों के अधीन विहित अवधि के बाद भी बकाया है ;

(ख) भुगतान में इस विलम्ब के कारण क्या हैं और

(ग) नियमों के अधीन किस अवधि के भीतर सामान्य रूप से ऐसी देय राशियों का भुगतान कर दिया जाना चाहिये था ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) ५३९।

(ख) २१६ मामलों में अभी दावेदारों को दस्तावेज पेश करने हैं । ९३ मामलों में विभागों ने कर्मचारियों के पक्ष में अथवा विपक्ष में देय राशियों का अन्तिम निर्णय अभी नहीं किया है। ३४ मामलों में पाकिस्तान रेलवे ने भविष्य निधि लेखाओं तथा सेवा अभिलेखों को रोक रखा है । १९६ मामले अभी लेखा विभाग के पास पुष्टि तथा भुगतान के लिये पड़े हुए हैं ।

(ग) साधारणतया भविष्य निधि देय दो महीने के भीतर दिये जाने चाहियें ।

यात्रियों के लिये सुविधायें

***५४५. ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) रेलवे स्टेशनों पर प्रतीक्षा-गृहों तथा यात्रियों के लिये प्रतीक्षालयों के बनाने की

मंजूरी किस आधार पर दी जाती है ; तथा

(ख) सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर क्या सुधार करने का विचार किया गया है और उस पर क्या लागत आयेगी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) सामान्य का आधार यात्रियों की संख्या और उस स्टेशन पर होने वाली ट्रेन यातायात सेवा है, और प्राथमिकता उन स्टेशनों को दी जाती है, जहां इस समय यात्रियों के लिये किसी प्रकार के प्रतीक्षालयों का प्रबन्ध नहीं है ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ८]**

राजस्थान में डाक तथा तार विभाग के जिला मुख्यालय

*५४६. **श्री बलवन्त सिंह महता** : क्या **संचार** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में डाक तथा तार विभाग के जिला मुख्यालय कहां हैं ;

(ख) क्या यह तथ्य है कि उदयपुर की जनता ने उदयपुर में जिला मुख्यालय स्थापित किये जाने के लिये उपमंत्री से अभ्यावेदन किया था ; तथा

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) राजस्थान सर्किल में डाक तथा इंजीनियरिंग विभागों के मुख्यालयों के स्थानों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ९]**

(ख) इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन नहीं किया गया था । केवल कुछ व्यक्तियों ने, जो मुझ से मिलने आये थे, मौखिक रूप से इस बात का निर्देश किया था ।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

बनारस में रेलवे अस्पताल

*५४८. **श्री गणपति राम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बनारस में रेलवे अस्पताल बनाने पर कुल कितनी लागत आई है ;

(ख) वहां कितनी रोगी शैय्यायें उपलब्ध हैं ; तथा

(ग) उन बाहर के रोगियों के लिये, जो रेलवे कर्मचारी नहीं हैं, क्या कोई सुविधायें, यदि कोई हैं, उपलब्ध हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) लगभग २ लाख रुपये ।

(ख) २२ रोगी शैय्यायें ।

(ग) सामान्यतया बाहर के रोगियों को जो रेलवे कर्मचारी नहीं हैं, साधारण फ़ीस देने पर केवल ऐक्स रे परीक्षण की सुविधायें दी जाती हैं ।

उत्तर रेलवे में नई रेलवे लाइनें

*५५१. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों में, उत्तर रेलवे में कोई नई रेलवे लाइनें बनाने का काम आरम्भ करने की प्रस्थापना करती है, और यदि हां, तो किन स्थानों पर ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : जी, हां ; पठानकोट और माधोपुर के बीच रेलवे लाइन बनाने का विचार है ।

खंडवा-हिंगोली रेलवे लाइन

*५५६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या रेलवे मंत्री खंडवा और हिंगोली के बीच रेलवे लाइन बनाने के काम में अब तक हुई प्रगति को बताने की कृपा करेंगे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : खंडवा से पहले २६ मील तक भूमि की सीमा निर्धारित करने और इस के अधिग्रहण करने का कार्य किया जा रहा है। पहले १२ मीलों में मिट्टी भरने का काम आरम्भ किया जा चुका है।

खंडवा में क्वार्टर बनाने के लिये टेंडर मांगे गये हैं और नौ मील में मिट्टी भरने के काम के लिये भी शीघ्र ही टैण्डर मांगे जायेंगे।

केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्युरो

*५५७. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुसार दिल्ली में एक केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो की स्थापना के सम्बन्ध में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : दिल्ली में स्वास्थ्य-शिक्षा ब्यूरो की स्थापना सम्बन्धी योजना के ब्यौरों का निश्चय योजना आयोग के परामर्श के साथ किया गया है।

चाय बागानों के मजदूर

*५५८. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या त्रिपुरा के चाय बागानों के मजदूरों की न्यूनतम मजूरी का पुनरीक्षण करने का विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो मजदूरी का पुनरीक्षण करने में कितना समय लगेगा ; तथा

(ग) त्रिपुरा सरकार, मजदूरों और बागानों के स्वामियों के प्रतिनिधियों के प्रस्तावित त्रिदलीय सम्मेलन को कब समवेत करने का प्रस्ताव किया गया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी, हां।

(ख) त्रिपुरा सरकार लगभग छः महीनों के अन्दर मजदूरी के पुनरीक्षण सम्बन्धी कार्य के सम्पूर्ण हो जाने की आशा रखती है।

(ग) ऐसा कोई सम्मेलन बुलाने का कोई इरादा नहीं है। एक सलाहकार समिति जिसमें मालिक और कर्मचारी दोनों सम्मिलित हैं, पहले ही बनाई जा चुकी है, और यह समिति मजदूरी का पुनरीक्षण करने के विषय में राज्य सरकार को परामर्श देगी।

त्रिपुरा में आदिमजाति के लोगों का पुनर्वास

*५५९. **श्री दशरथ देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या खोवाई के आदिमजाति के लोगों ने अपने पुनर्वास के लिये भूमि के सम्बन्ध में सरकार को कोई ज्ञापन पेश किया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख). राज्य सरकार द्वारा ७ अगस्त, १९५४ को एक अभ्यावेदन प्राप्त किया गया था, और जांच की जा रही है।

खाद्य मंत्रालय में छंटनी

*५६०. **श्री अजित सिंह** :
श्री जांगड़े :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या खाद्यान्नों के अपनियंत्रण के

कारण मंत्रालय में कुछ छंटनी होगी ; तथा

(ख) यदि हां, तो छंटनी में आये व्यक्तियों को वैकल्पिक नौकरियां देने के लिये क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) और (ख). यद्यपि यह अनिवार्य है कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के उन भागों को, जिन का कार्य खाद्य कंट्रोलों के जारी रखे जाने से सम्बन्धित है, समाप्त कर दिया जायेगा, किन्तु खाद्यान्नों का केन्द्रीय रक्षित भण्डार रखने से सम्बन्धित कुछ काम तो जारी रहेगा ही और इस काम में तथा खाद्यान्न ले जाने इत्यादि से सम्बन्धित कामों में, बहुत से कर्मचारी सेवायुक्त किये जायेंगे, और इस ढंग से यह आशा की जाती है कि कर्मचारियों की शीघ्र ही कोई छंटनी करने की आवश्यकता को हटाया जायेगा ।

एयरोनौटिकल सर्विसेज लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण

*५६२. **श्री नम्बियार** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या एयरोनौटिकल सर्विसेज, लिमिटेड के राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव है ; तथा

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

भारवाही पोत "सान मार्डेनो" का डूब जाना

*५६३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि ११ जुलाई, १९५४ को, भारवाही पोत "सान मार्डेनो" का पैदा समुद्र की तह से लग गया था ;

(ख) क्या दुर्घटना के सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ; तथा

(ग) यदि हां, तो उक्त जांच के द्वारा क्या पता चला है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). भारतीय वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, १९२३, की धारा २४७ के अधीन वाणिज्यिक नौवहन विभाग बम्बई द्वारा एक प्रारम्भिक जांच की गई थी और उस का प्रतिवेदन परीक्षाधीन है ।

मनीपुर में फलों के बाग

*५६६. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) फलों के उन बागों की संख्या, जो सरकार द्वारा मनीपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में लगाये गये हैं ;

(ख) प्रत्येक बाग़ पर सरकार द्वारा १९५३-५४ में आवर्तक खर्च को मिला कर कुल कितना धन खर्च किया गया है ;

(ग) खर्च की मुख्य मदें क्या हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि फलों के बागों की देख रेख के लिये १९५४-५५ के आय-व्ययक में कोई धन-राशि सम्मिलित नहीं की गई थी ; तथा

(ङ) यदि हां, तो उस का क्या कारण था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) . (क) से (ङ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रहस्यपूर्ण बिमारी

*५६७. **श्री गिडवानी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान १४ अगस्त, १९५४ के **टाइम्स आफ इंडिया** में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पशुओं को रोग ग्रस्त करने वाली एक "रहस्यपूर्ण बीमारी" राजस्थान के कुछ स्थानों में महामारी के रूप में फूट पड़ी है, जिस के परिणामस्वरूप लगभग पांच हजार पशुओं की प्राण हानि हुई है ;

(ख) क्या यह तथ्य है कि राजस्थान सरकार ने संघ सरकार से इस बीमारी के कारणों की जांच करने और इस का सामना करने के लिये उपचारों की सिफारिशें करने के लिये एक विशेषज्ञ की सेवाओं की मांग की है ; तथा

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने भारतीय पशु-चिकित्सा गवेषणा इंस्टीट्यूट के दो विशेषज्ञों को इस काम पर नियुक्त कर दिया है ।

आयुर्वेद में गवेषणा कार्य

*५६८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित ३७.५ लाख रुपये में से कितनी रक़म आयुर्वेद में गवेषणा कार्य करने के लिये, आवंटित की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : केन्द्रीय देशी चिकित्सा प्रणाली गवेषणा संस्था, जामनगर के लिये, जो इस समय केवल आयुर्वेद में गवेषणा कार्य करने में व्यस्त है, ६.१५ लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है ।

पर्यटक पथ-प्रदर्शक

*५६९. **सरदार ए० एस० सहगल** :
डा० सत्यवादी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बम्बई में पर्यटक पथप्रदर्शकों के प्रशिक्षण की योजना पर सरकार द्वारा किया गया व्यय ; तथा

(ख) इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिये क्या न्यूनतम अर्हता निश्चित की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) लगभग १८०० रुपये व्यय होने का अनुमान लगाया जाता है ।

(ख) जिन अभ्यर्थियों को भारतीय इतिहास, भूगोल, सार्वजनिक प्रशासन के तत्वों, कला तथा शिल्प का ज्ञान था उन्हें इस पाठयक्रम में प्रविष्ट किया गया है ।

थैले धोने की मशीन

*५७०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटेन से थैले धोने की मशीन प्राप्त कर ली है ; तथा

(ख) यदि हां, तो सरकार इस प्रयोग का परीक्षण करने की कब प्रस्थापना करती है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां ।

(ख) मशीन कलकत्ता में प्राप्त हो चुकी है तथा मशीन भेजने वाली फर्म के प्रतिनिधियों से मशीन के वास्तविक स्थापन

की व्यवस्था करने के प्रबन्ध किये जा चुके हैं। आशा की जाती है कि मशीन शीघ्र ही काम करना प्रारम्भ कर देगी।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन

*५७१. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के भविष्य के सम्बन्ध में, प्राक्कलन समिति द्वारा बताई गई हानि और त्रुटियों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या नीति बनाई है ;

(ख) प्राक्कलन समिति ने अपने सातवें प्रतिवेदन में जो सिफारिशें की हैं, क्या सरकार उन्हें क्रियान्वित करने का विचार करती है, और यदि हां, तो अभी तक इस मामले में क्या किया गया है ; तथा

(ग) प्राक्कलन समिति ने इस संस्था के प्रशासन सुधार के लिये जिस मंत्रणा समिति की सिफारिश की थी, क्या वह बना दी गई है या निकट भविष्य में बनाने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (ग). केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के कार्यकरण के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति के सातवें प्रतिवेदन का केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन तथा सचिवालय के एक ज्येष्ठ अधिकारी द्वारा विस्तृत परीक्षण किया गया है। उन्हों ने कुछ प्रस्ताव किये हैं, जो इस समय सरकार के विचाराधीन हैं। आशा की जाती है कि अगले कुछ सप्ताहों में अन्तिम निर्णय किये जायेंगे। की गई अथवा की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही सम्बन्धी एक विस्तृत विवरण के सभा-पटल पर रखने की प्रस्थापना की गई है।

त्रिपुरा की सड़कें

*५७२. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अगरतला कस्बे की कच्ची सड़कों को पक्का करने का काम प्रारम्भ कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो १९५४-५५ में कितनी कच्ची सड़कों के पक्का किये जाने की प्रस्थापना है ; तथा

(ग) इस कार्य के लिये कितना रुपया मंजूर किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां।

(ख) १२ सड़कें।

(ग) २.६८ लाख रुपये। इस में २.५ मील लम्बी डामर की सड़क पर तारकोल डालने का व्यय भी सम्मिलित है।

स्लीपरों के लिये इमारती लकड़ी का अभाव

*५७३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि छोटी लाइनों के लिये भारत में स्लीपरों के लिये लकड़ी का अभाव है ;

(ख) क्या लोहे की फिश-प्लेटों को काम में ला कर इस अभाव की पूर्ति करना संभव है ;

(ग) क्या यह सच है कि रेलवे स्लीपरों के लिये विदेशों से लकड़ी आयात करने की एक योजना बना रही है ; तथा

(घ) यदि हां, तो कितनी लकड़ी आयात करने का विचार किया जा रहा है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) रेलवे की मीटरगेज के लकड़ी के स्लीपरों सम्बन्धी आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है।

(ख) कदाचित् लोहे की फिश प्लेटों से माननीय मंत्री का तात्पर्य धातु के स्लीपरों से है। लकड़ी के स्लीपरों की कमी को धातु के स्लीपरों से पूरा करने की भरसक कोशिश की जा रही है।

(ग) नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

मनीपुर में सड़क निर्माण

*५७४. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **परिवहन** मंत्री १४ अप्रैल, १९५४ को मनीपुर में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७८१ के उत्तर का निर्देश कर के यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या स्थानीय आदिम जाति के लोगों ने मनीपुर की सरकार से महादेव पर लिटन रोड को मिलाने वाली ३० मील लम्बी जीप चलाने योग्य सड़क को ले लेने के लिये प्रतिनिधान किया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

रूस के प्रकाशनों की बिक्री

*५७५. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत रूस में मुद्रित तथा प्रकाशित पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के अब भी रेलवे प्लेटफार्मों में बेचे जाने की आज्ञा नहीं है ; तथा

(ख) क्या सरकार इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा प्रवर्तित आदेशों की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखेगी?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां सरकार ने रेलवे प्रशासनों को अपनी पुस्तकों की दुकानों पर प्रचारवादी प्रकार के साहित्य की बिक्री को हतोत्साहित करने के अनुदेश दिये हैं।

(ख) खेद है कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

हाथी

२४२. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में भारत से कितने हाथियों का निर्यात किया गया ; तथा

(ख) प्रत्येक हाथी से अनुमानतः कितने मूल्य की प्राप्ति हुई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) अप्रैल १९५३ से सितम्बर १९५३ तक २८ हाथियों का निर्यात किया गया। क्योंकि अक्तूबर १९५३ से हाथियों के निर्यात पर से नियंत्रण हटा लिया गया था इसलिये सितम्बर १९५३ के पश्चात् के कोई पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है।

इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन के वायुयान

२४३. **श्री राघवैया** : क्या **संचार** मंत्री इस समय इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन में काम में आ रहे वायुयानों की संख्या तथा किस्मों को बताने की कृपा करेंगे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : इस समय इंडियन एयर लाइन्स कार्पोरेशन द्वारा चलाई जाने वाली सेवाओं में ७२ डकोटा १२ वाई किंग तथा ३ स्काई मास्टर काम में लाये जा रहे हैं।

रेलवे प्रशिक्षण स्कूल

२४४. **श्री बलवन्त सिंह मेहता** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्रशिक्षण स्कूल का उदयपुर में स्थित किया जाना निश्चय हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस के निर्माण का कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा ; तथा

(ग) उक्त स्कूल के निर्माण का अनुमानित व्यय क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) अनुमानों को अभी अन्तिम रूप देना है । उस के परीक्षण तथा स्वीकृति के पश्चात् निर्माण कार्य इस वर्ष के अन्त तक प्रारम्भ किया जायेगा ।

मधु

२४५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १ मार्च, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५३८ के उत्तर का निर्देश कर के यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत के विभिन्न राज्यों में मधु उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित कर लिये गये हैं ; तथा

(ख) यदि हां, तो वे आंकड़े क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) हां कुछ राज्यों से किये गये हैं ।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १०]**

मेडिकल कालेज

२४६. **श्री राघवैया** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) विभिन्न राज्यों में स्थित उन मेडिकल कालेजों के नाम जहां दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये स्थान सुरक्षित हैं ;

(ख) क्या ये कालेज ऐसे विद्यार्थियों से कुछ अतिरिक्त शुल्क लेते हैं ;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों में दिल्ली से जितने विद्यार्थियों ने आवेदनपत्र भेजे थे क्या उन सभी को प्रविष्ट कर लिया गया था ; तथा

(घ) दिल्ली के पुरुष विद्यार्थियों के लिये मेडिकल कालेज का उपबन्ध करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये कोई स्थान सुरक्षित नहीं है, किन्तु भाग 'ग' और 'घ' में के राज्यों के लिये सुरक्षित स्थानों में से दिल्ली के पुरुष विद्यार्थियों के लिये इन मेडिकल कालेजों के पांच स्थान सुरक्षित हैं ।

डिब्रुगढ़ मेडिकल कालेज ।
आंध्र मेडिकल कालेज विशाखापटनम् ।
मेडिक कालेज, गुंटूर ।
मद्रास के मेडिकल कालेज ।
दरभंगा मेडिकल कालेज ।
सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा ।
मेडिकल कालेज, अमृतसर ।
सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज, जयपुर ।
महाराजा मेडिकल कालेज, ग्वालियर ।
महात्मा गांधी मेडिकल कालेज, इन्दौर ।

(ख) नहीं ।

(ग) नहीं ।

(घ) वह मेडिकल कालिज, जो दिल्ली में स्थापित किये जाने वाले अखिल भारतीय मेडिकल इन्स्टीटयूट के एक भाग के रूप में होगा दिल्ली के विद्यार्थियों की आवश्यकतायें पूरी करेगा ।

घी उत्पादन

२४७. **श्री बर्मन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारतवर्ष में घी का कुल वार्षिक उत्पादन कितना है ;

(ख) भारतीय गवेषणा संस्थान बंगलौर में घी पर अब तक क्या गवेषणा कार्य किया गया है ;

(ग) घी की अम्लता अथवा दुर्गन्ध को दूर करने के लिये अब तक क्या अनसन्धान किये गये हैं ; तथा

(घ) अम्लता, दुर्गन्ध, अथवा दूसरे कारणों से प्रतिवर्ष कितना घी खराब हो जाता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) भारत में अनुमानतः प्रति वर्ष ११७ लाख मन घी का उत्पादन होता है ।

(ख) से (घ). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ११]**.

विदेशों से प्राप्त यक्ष्मा की दवाओं आदि का वितरण

२४८. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि अमेरिका और अन्य देशों से प्राप्त यक्ष्मा की दवायें, विटामिन की गोलियां और दूध के चूर्ण का वितरण किन-किन मुख्य संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १२]**

जापान से रेलवे इंजन

२४९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कुछ रेलवे इंजिन तथा डिब्बे इत्यादि जापान से क्रय किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन का मूल्य क्या है ; तथा

(ग) वे भारत में कब पहुंचेंगे ?

रेलवे तथा परिवहन उप-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) और (ग) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १३]**

रेलवे सेवायें

२५०. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे सेवाओं में नौकरी देने के सम्बन्ध में पहले अथवा इस समय कार्य कर रहे रेलवे कर्मचारियों के आश्रितों को प्राथमिकता दी जाती है ?

रेलवे तथा परिवहन उप-मंत्री (श्री अलगेशन) : संविधान के अनुच्छेद १६(२) के उपबन्धों के अनुसार रेलवे सेवाओं में सेवायुक्त करने के सम्बन्ध में सेवा-निवृत्त अथवा इस समय कार्य कर रहे रेलवे कर्मचारियों के आश्रितों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है ।

बम्बई पत्तन प्रन्यास कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की सूचना

२५१. **सरदार ए० एस० सहगल** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई पत्तन प्रन्यास के विभिन्न विभागों में सेवायुक्त कर्मचारियों ने २८ मई, १९५४ को अनिश्चित समय तक के लिये हड़ताल पर जाने की पूर्व-सूचना दी थी ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों ने क्या मांगें रखी थीं ; तथा

(ग) क्या कर्मचारियों के साथ बम्बई पत्तन प्रन्यास अधिकारियों की कोई बैठक हुई और यदि हां, तो उस का क्या परिणाम रहा ?

रेलवे तथा परिवहन उप-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) बम्बई पत्तन प्रन्यास सामान्य कर्मचारी संघ ने २८ मई, १९५४ को एक संकल्प पारित कर के प्रबन्ध समिति को, यदि उन की मुख्य मांगें आठ दिन के भीतर स्वीकार न की गई, तो अनिश्चित समय तक हड़ताल पर चले जाने की १४ दिन की पूर्व सूचना देने का अधिकार दिया था परन्तु वास्तव में कोई पूर्व-सूचना दी नहीं गई ।

(ख) मांगें भिन्न-भिन्न विषयों, जैसे कि वरदियों का दिया जाना, अधिक समय का वेतन, कर्मचारी वर्ग का वर्गीकरण, वेतन क्रम, मकान किराया भत्ता, कुछ वर्गों में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, आवास स्थान इत्यादि, से सम्बन्ध रखती हैं ।

(ग) जी हां ; यह मामला संघ तथा बम्बई पत्तन प्रन्यास के मध्य बातचीत का विषय रहा है ।

पश्चिमी बंगाल में सड़कों का विकास

२५२. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचवर्षीय राजपथ विकास योजना के अधीन, पश्चिमी बंगाल में राज्य की सड़कों तथा राष्ट्रीय राजपथों के विकास का क्या कार्यक्रम है और विभिन्न ज़िलों में इसे किस प्रकार विभाजित किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रीय राजपथों का विकास दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १४]**. विकास कार्यक्रमों की ज़िलेवार जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है ।

जहां तक राज्य की सड़कों का सम्बन्ध है, वह राज्यों का विषय है और केन्द्रीय सरकार का उस से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

सांप के विष का उपचार

२५३. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या यह सच है कि सांप के विष के उपचार के लिये हाल ही में एक एकस्व प्राप्त पिचकारी से भीतर पहुंचाई जा सकने योग्य औषधि तैयार की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो इस औषधि का नाम क्या है और उस का निर्माण व्यापारिक स्तर पर न किये जाने और उस के औषधालयों तथा अस्पतालों में न रखे जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों १९५१-५२, १९५२-५३ और १९५३-५४ में सांप के विष से होने वाले घातक सिद्ध हुए मामलों की कुल ऐसी संख्या, जिन की रिपोर्ट सरकार को की गई है ;

(घ) क्या सरकार को यह विदित है कि मद्रास राज्य के मालाबार ज़िले में कई सर्प विष नाशक केन्द्र कार्य कर रहे हैं और वह बड़े आर्थिक संकटों में कार्य कर रहे हैं ; तथा

(ङ) यदि भाग (घ) का उत्तर हां है, तो सरकार उन केन्द्रों की किस प्रकार सहायता करना चाहती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) सरकार को सर्पदंश उपचार के लिये बनाई गई किसी एकस्व प्राप्त किसी भी पिचकारी से भीतर पहुंचाई जा सकने योग्य औषधि के हाल ही में बनाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

(ग) प्रश्न में उल्लिखित अवधि के सम्बन्ध में आंकडे उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) भारत सरकार के पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है ।

(ङ) यह प्रश्न भी उत्पन्न नहीं होता है ।

चोरी का अपराध लगाये गये रेलवे कर्मचारी

२५४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सोनपुर रेलवे स्टेशन के कुछ रेलवे कर्मचारी चोरी के अपराध में पकड़े गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पकड़े गये कर्मचारियों में एक व्यक्ति रेलवे का एक वरिष्ठ अधिकारी है ;

(ग) यदि हां, उन का पद क्या है ; तथा

(घ) उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) पकड़े गये व्यक्तियों में एक वरिष्ठ सहायक स्टेशन मास्टर (तीसरी श्रेणी कर्मचारी) भी है, जोकि उस दिन स्टेशन मास्टर के स्थान पर कार्य कर रहा था ।

(ग) कार्यवाहक स्टेशन मास्टर, सोनपुर ।

(घ) सरकारी रेलवे पुलिस सोनपुर ने मामले की जांच की तथा इन व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा ४०९/४२० अर्थात् उन को सौंपी गई रेलवे की अमानत में खयानत के अपराध के लिये अभियोजित किया है । यह मक़द्दमा अभी छपरा की अदालत में न्यायाधीन है ।

अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं समझौता

२५५. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री उन निर्यात और आयात करने वाले देशों के नाम बताने की कृपा करेंगे जो अभी भी अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं समझौते में सम्मिलित नहीं हुए हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं समझौते में सम्मिलित न होने वाले आयात तथा निर्यात करने वाले मुख्य देशों के नाम यह हैं :—

निर्यात करने वाले देश :

अर्जेन्टाइना, सोवियत रूस तथा तुर्की ।

आयात करने वाले देश :

इंगलैण्ड, इटली और स्वीडन ।

रायागदा रेलवे स्टेशन

२५६. **श्री संगण्णा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि रायागदा रेलवे स्टेशन (पूर्वी रेलवे ज़ोन) को किमाझोला परियोजना से जल प्रदाय करने के लिये लगाये गये संयंत्र ने काम करना आरंभ कर दिया है ?

(ख) यदि हां, तो नित्य प्रति संभरण किये जा सकने वाले जल की मात्रा क्या है ; तथा

(ग) रेलवे बस्ती की जल सम्बन्धी मांग के पूरा होने के पश्चात् का क्या अतिरेक रहता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) श्रीमान्, अभी नहीं ; लगभग एक महीने के अन्दर अन्दर इस के चालू हो जाने की आशा की जाती है ।

(ख) १६ घंटे चलाने से उस की अधिष्ठापित शक्ति द्वारा २.४ लाख गैलन जल प्रति दिन प्राप्त होने का अनुमान है ।

(ग) रेलवे की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जल का कोई अतिरेक होने की कोई आशा नहीं है ।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन

२५७. श्री बहादुर सिंह : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** :

(क) १९५३-५४ में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा कुल कितने क्षेत्र का कृष्यकरण किया गया है ;

(ख) इस में से कितने क्षेत्र में कांस उगा हुआ था और कितने क्षेत्र में जंगल की सफाई की गई है ; तथा

(ग) इस में कुल कितने ट्रैक्टरों का प्रयोग किया गया था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) २,८६,२४४ एकड़ ।

(ख) २,७६,७३५ एकड़ भूमि में कांस उगा हुआ था । शेष ९,५०९ एकड़ भूमि में जंगल साफ करने का कार्य किया गया ।

(ग) २७९ भारी और २९ मध्यम और हल्के ट्रैक्टर काम में लाये गये ।

भेड़ प्रजनन केन्द्र

२५८. श्री अजित सिंह : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लम्बे रेशे की ऊन को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने के दृष्टिकोण से अभी तक कितने भेड़ प्रजनन केन्द्र खोले गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : कोई नहीं, परन्तु अभी तक केवल १० प्रजनन केन्द्र आरम्भ किये गये हैं जिन में बढ़िया प्रकार की ऊन प्राप्त करने के लिये उत्तम नस्ल की भेड़ें पैदा की जायेंगी ।

एयरोनाटिकल सर्विसेज लिमिटेड

२५९. श्री नम्बियार : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एयरोनॉटिकल सर्विसेज़, लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा १९५२, १९५३ और १९५४ (३१ जुलाई १९५४ तक) में कितना कार्य कराया गया है ?

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : मैं एयरोनॉटिकल सर्विसेज़, लिमिटेड कलकत्ता द्वारा भिन्न संघठनों तथा व्यक्तियों के लिये १९५२, १९५३ और ३१ जुलाई १९५४ तक किये गये कार्य को दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १५]**.

छोटी सिंचाई योजनायें

२६०. श्री रामजी वर्मा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक १९५४-५५ के लिये विभिन्न राज्यों को छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १६]**.

विदेशों से रेल के डिब्बे

२६१. श्री बालकृष्णन : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) विदेशों को आर्डर दिये गये मीटर गेज के उन यात्री डिब्बों की संख्या जो १ अप्रैल, १९५३ से ३१ जुलाई, १९५४ की अवधि में प्राप्त हुए हैं ;

(ख) इन में दक्षिणी ज़ोन वर्ग को आवंटित किये गये डिब्बों की संख्या क्या है ; तथा

(ग) दक्षिणी ज़ोन की लाइनों पर कितने डिब्बे चालू कर दिये गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १३६.

(ख) १६.

(ग) अभी तक कोई नहीं । दक्षिण रेलवे को आवंटित डिब्बे अभी पहुंचने वाले हैं और इन में सीटें आदि लगा कर इन्हें चालू कर दिया जायगा ।

दिल्ली पोलिटेकनिक

२६२. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) टैकनीकल (प्रविधिक) प्रशिक्षण के लिये दिल्ली पोलिटेकनिक में प्रवेश के लिये कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) उपर्युक्त प्रार्थना-पत्र किन-किन व्यवसायों में प्रशिक्षण के लिये थे ; तथा

(ग) उम्मेदवारों में कितने मैट्रिक और कितने गैर-मैट्रिक थे ?

श्रम उपमंत्री (श्री आविद अली) : (क) ३,९८१ ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १७]**.

(ग) ३,१३६ मैट्रिक पास थे तथा ८४५ मैट्रिक पास नहीं थे ।

बनिहाल दर्रे पर कर्मचारियों के लिये आवास स्थान

२६३. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बनिहाल दर्रे के दोनों ओर कर्मचारियों के आवास स्थानों का निर्माण करने के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ;

(ख) कर्मचारियों के आवास स्थानों का निर्माण कब तक पूरा हो जायगा ; तथा

(ग) सुरंग के निर्माण के लिये कुल कितने स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारी सेवा-युक्त किये जायेंगे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगशन) : (क) ३,९१,६०० रुपये ।

(ख) सुरंग के उत्तरी फाटक की दिसंबर १९५४ के अन्त तक और फरवरी १९५५ के अन्त तक सुरंग के दक्षिणी फाटक की ओर ।

(ग) कोई स्थायी नौकरियां नहीं रखी गई हैं ; सभी पद अस्थायी हैं । सुरंग निर्माण का कार्य पूरे जोर पर होते समय सेवायुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या दिखाने वाला एक विवरण संलग्न किया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १८]**.

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन

२६४. **श्री रामानन्द दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा भारत में राज्य-वार जून १९५४ तक कुल कितनी भूमि को कृष्यकरण योग्य बनाया गया है ; तथा

(ख) इसके उत्सर्जन तथा वितरण का क्या तरीका है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जानकारी इस प्रकार है —

उत्तर प्रदेश	२,७०,३३९
मध्य प्रदेश	४,१९,२०३
मध्य भारत	२,६५,८११
भोपाल	३,००,६८६
पंजाब	१३,५२१
	१२,६९,५६०

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १९]**.

रेलवे कर्मचारियों के लिये सुविधायें

२६५. **श्री जांगड़े** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पूर्वी रेलवे पर स्थित बिलासपुर में भंगी बस्ती में स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सुविधाओं के लिये क्या व्यवस्था की गई है ; तथा

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे बस्तियों के प्राथमिक स्कूलों में भंगियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा नहीं दी जाती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) रेलवे अस्पतालों में अन्य कर्मचारियों के समान उन को भी निःशुल्क चिकित्सीय सहायता दी जाती है और केवल उस बस्ती की सफाई की देख रेख करने के लिये तीन भंगी नौकर रखे गये हैं । उस बस्ती में पर्याप्त जल का संभरण, गलियों में प्रकाश, पक्की नालियों और सौचालयों का प्रबन्ध भी है ।

(ख) निःशुल्क शिक्षा किसी को भी नहीं दी जाती है । रेलवे कर्मचारियों के बच्चों से पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक पांच आना प्रति मास के हिसाब से फ़ीस ली जाती है ।

रेलवे के बेकार माल डिब्बे

२६६. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रेलवे वर्कशापों में बेकार पड़े हुए माल-डिब्बों के नीलाम के लिये कोई निश्चित नियम है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन नियमों की एक प्रति पटल पर रखी जायेगी ; और

(ग) कुंडाघाट जंकशन पर कितने माल-डिब्बे बेकार पड़ हुए ह ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). लोहे के पुर्ज़े और कतरन, जिन में माल-डिब्बे भी सम्मिलित हैं, की सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया भांडार विभाग (स्टोर्स डिपार्टमेंट) (अस्थायी विषय) की राज्य रेलवे संहिता के अध्याय २४ में लिखी हुई है । इस की एक प्रति सभा के पुस्तकालय में है । नीलाम द्वारा बिक्री की प्रतिमान शर्तें प्रत्येक रेलवे द्वारा बनाई गई हैं और उत्तर पूर्वी रेलवे पर लागू होने वाले नियमों की एक प्रति पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २०**].

(ग) अगस्त, १९५४ के प्रारम्भ में, ४२४ बेकार माल-डिब्बे कुंडाघाट में पड़े हुए थे । १८ अगस्त, १९५४ को उन की नीलामी कर दी गई और अब खरीदारों द्वारा उन्हें अलग-अलग किया जा रहा है ।

बारीपाद में रेलवे सम्पत्ति की हानि

२६७. **श्री संगण्णा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि २१ जुलाई, १९५४ की आंधी के परिणामस्वरूप पूर्वी रेलवे महाखण्ड (उड़ीसा) के बारीपाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे सम्पत्ति की भारी क्षति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त हानि में कितने मूल्य की सम्पत्ति अन्तर्ग्रस्त है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). सौभाग्य से रेलवे सम्पत्ति को अधिक क्षति नहीं हुई ; केवल १,४०० रु० की क्षति का अनुमान है ।

क्यूबा से चीनी का आयात

२६८. **श्री बी० डी० शास्त्री** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या कुछ मास पूर्व भारत सरकार

ने क्यूबा से चीनी के आयात के लिये कोई व्यवस्था की है ;

(ख) यदि हां, तो किस के द्वारा ; और

(ग) यदि इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने कोई राशि लगाई है, तो वह कितनी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) (१) मेसर्स मिलखीराम (इंडिया) लि०, बम्बई और (२) मेसर्स जोस अरेचा-बाला एस० ए० कार्डेनास, क्यूबा ।

(ग) कुछ नहीं । जो कुछ कीमत दी गई है वह (१) ३८ पौण्ड १७ शिलिंग प्रति लांग टन और (२) ३८ पौंड १५ शिलिंग प्रति लांग टन के लिये है । इन दोनों मूल्यों में भारत तक का भाड़ा भी सम्मिलित है ।

जापान से रेल के इंजन

२६९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन न्यास के लिये ११ इंजन जापान से खरीदे जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में टेण्डर मांगे गये थे ; और

(ग) इन इंजनों का कुल मूल्य क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). हां ।

(ग) १,६७,१९० पौंड ।

भद्रावती पर विमान अड्डा

२७०. **श्री वोडयार** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मैसूर सरकार ने भारत सरकार से मैसूर राज्य के भद्रावती में एक विमान अड्डा निर्माण करने की सिफारिश की है ; और

(ख) भूतपूर्व देशी राज्यों में कितनी संख्या में विमान अड्डों का वास्तविक निर्माण किया जा रहा है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) दो ; एक उदयपुर में और दूसरा कांडला में ।

मुजफ्फरपुर में रेलवे डाक सेवा डिवीजन

२७१. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उत्तर बिहार में समुचित डाक सेवा का आश्वासन देने के लिये मुजफ्फरपुर में रेलवे डाक सेवा का एक डिवीजन खोलने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसे कार्य आरम्भ करने में कितना समय लगेगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) (क) हां ।

(ख) उत्तर बिहार में रेलवे डाक सेवा का अतिरिक्त डिवीजन खोलने का प्रश्न रेलवे डाक सेवा के पुनर्संगठन के कुछ दूसरे प्रश्नों के साथ जोड़ दिया गया है । इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा ।

मांझी रेलवे स्टेशन का प्रतीक्षालय

२७२. **श्री एम० एन० सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उत्तर-पूर्व रेलवे (ओ० टी० भाग) के मांझी स्टेशन का प्रतीक्षालय रेलवे कर्मचारियों के निवास स्थान के रूप में काम आ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो यात्रियों के लिये प्रतीक्षालय बनाने के सम्बन्ध में क्या प्रबन्ध किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं, श्रीमान् ; अभी हाल में जिन दिनों लगातार मूसलाधार वर्षा हुई थी, उन दिनों मांझी स्टेशन पर काम करने वाले दो रेलवे कर्मचारियों को प्रतीक्षालय के एक भाग में इसलिये अस्थायी तौर पर रहना पड़ा था क्योंकि उन के अपने मकानों की छतें टपक रही थीं और उन की मरम्मत की जा रही थी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कामकर प्रतिकर अधिनियम

२७३. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कामकर प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत १९५३-५४ में कोयला कामकरों ने कुल कितने दावे पेश किये ;

(ख) कुल कितनी धनराशि का दावा किया गया और वास्तव में कितनी रक़म दी गई ; और

(ग) इन दावों को निबटाने के लिये कौन सा साधन बनाया गया है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). जानकारी उपलब्ध नहीं। कोयला कामकरों के सम्बन्ध में श्रम सूचनालय (लेबर ब्यूरो) के निदेशक के पास अलग आंकड़े नहीं भेजे जाते। यों तो समूचे रूप में वर्ष १९५२ के लिये, जिस के नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं, कामकरों से सम्बद्ध उपलब्ध जानकारी का विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २१]** .

(ग) कामकर प्रतिकर अधिनियम, १९२३ की धारा २२ के अधीन प्रतिकर के सभी विवादग्रस्त मामले राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त कामकर प्रतिकर आयुक्तों द्वारा, जो उक्त अधिनियम को चलाने के उत्तरदायी हैं, निबटाये जाते हैं ।

मुहम्मदी तहसील में तारघर

२७४. **श्री जी० एल० चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या लखीमपुर-खेरी ज़िले की मुहम्मदी तहसील में तारघर खोलने की स्वीकृति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह स्वीकृति किस तिथि को दी गई थी ; और

(ग) यह तारघर किस तिथि से चालू होने की आशा है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) (क) और (ख). पोस्टमास्टर जनरल ने २४ दिसम्बर, १९५२ को प्रशासनीय स्वीकृति दी थी ।

(ग) ३१ दिसम्बर, १९५४ से ।

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

सोमवार,
६ सितम्बर, १९५४

1st Lok Sabha

खण्ड ६, १९५४

(२३ अगस्त से ११ सितम्बर, १९५४)

सप्तम सत्र

१९५४

विषय-सूची

खण्ड ६—२३ अगस्त, से ११ सितम्बर, १९५४

	स्तम्भ
सोमवार २३ अगस्त, १९५४	
श्री सुरेशचन्द्र मजूमदार का देहान्त	१
मेज पर रखे गये पत्र—	
छठे सत्र में पारित विधेयक	२—३
नारियल जटा उद्योग नियम	३
केन्द्रीय रेशम कृमिपालन गवेषणा केन्द्र, बहरमपुर, सम्बन्धी प्रतिवेदन	४
बाईक्रोमेट उद्योग के संरक्षण सम्बन्धी प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और सरकारी संकल्प	४
केन्द्रीय रेशम बोर्ड सम्बन्धी प्रतिवेदन	५
उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन विकास परिषदों के वार्षिक प्रतिवेदन	५
फोर्ड प्रतिष्ठान के अन्तर्राष्ट्रीय योजना दल द्वारा छोटे उद्योगों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा सरकारी संकल्प	६
छठे सत्र के पश्चात् प्रख्यापित अध्यादेश	७
भारत तथा चीन के प्रधान मंत्रियों का संयुक्त वक्तव्य	८—१०
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	१०
चलचित्र अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	१०-११
अनुदानों की मांगों (रेलवे), १९५४-५५ सम्बन्धी ज्ञापनों के उत्तर	११
प्रेस आयोग का प्रतिवेदन, भाग १, १९५४	११
दोनों सदनों की विशेषाधिकार समितियां—संयुक्त बैठक के प्रतिवेदन का उपस्थापन	१२
सदन का कार्य	१२-१३
अध्यादेशों का प्रख्यापन	१४
स्थगन प्रस्ताव—	
पाकिस्तानी झंडे का फहराया जाना	१४-१५
भारतीय राष्ट्रजनों के पुर्तगाल क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबन्ध	१५
गोआ की विशेष सांस्कृतिक स्थिति बनाये रखने का आश्वासन	१५
पुर्तगाली फौजों द्वारा नृशंस हत्या	१५
बिहार, आसाम, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में बाढ़	१५-१८
भारत के पुर्तगाली राज्य क्षेत्रों में सत्याग्रहियों का निरोध	१८-१९
गोआ में सत्याग्रहियों के प्रवेश पर लगाई गई रोक	१९-२०
मथुरा में दंगे	२०
गोआ मुक्ति के सत्याग्रही	२०
निजामाबाद में पाकिस्तानी झंडे का फहराया जाना	२०
सभापति तालिका	२१

	स्तम्भ
सदस्य द्वारा पदत्याग	२१
खाद्य अपमिश्रण विधेयक—प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—अस्माप्त	२२—९६
मंगलवार, २४ अगस्त, १९५४	
आसाम, उत्तर बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में बाढ़ के सम्बन्ध में वक्तव्य।	९७—१०४
पटल पर रखे गये पत्र—	
अनुदानों की मांगों, (रेलवे) १९५४-५५ सम्बन्धी ज्ञापनों के उत्तर	१०४
हिन्द चीन में काम स्वीकार करने के सम्बन्ध में घोषणा	१०४
भारत में पुर्तगाली बस्तियों के सम्बन्ध में पुर्तगाली सरकार से पत्र व्यवहार	१०४
समवाय विधेयक—संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय में वृद्धि	१०४-१०५
खाद्य अपमिश्रण विधेयक—खण्डों पर विचार—असमाप्त	१०५—१८८
बुधवार, २५ अगस्त, १९५४	
पटल पर रखे गये पत्र—	
संसद् के पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५३ के अधीन अधिसूचना	१८९
संसद् के पदाधिकारी (मोटर कारों के लिये पेशगी) नियम, १९५३	१८९-१९०
संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियमों में संशोधन	१९०
परिसीमन आयोग के अन्तिम आदेश	१९०-१९१
अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (बैंक विवाद) (शास्त्री न्यायाधिकरण) के पंचाट के विरुद्ध अपील पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने के बारे में आदेश	१९१
अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (बैंक विवाद) के पंचाट के विरुद्ध अपील पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने के कारणों का विवरण	१९१-१९२
भारत में पुर्तगाली बस्तियों के सम्बन्ध में पुर्तगाल सरकार से अग्रेतर पत्र व्यवहार	१९२
सम्पत्ति शुल्क नियमों में संशोधन करने वाली अधिसूचनायें	१९२
प्राप्त याचिकायें—निम्नलिखित विषयों के बारे में :	
विस्थापित व्यक्तियों को रहने के लिये दुबारा मकानों का दिया जाना	१९२
वर्ग पहेली योजनाओं पर निर्बन्धन	१९२
सरायकेला खरसवान का उड़ीसा के साथ विलयन	१९२
"कर अपवंचक ऋण" का जारी किया जाना	१९३-१९४
अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	१९३-२०७
तारांकित प्रश्न संख्या ६३२ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में वृद्धि	२०७-२०८
खाद्य अपमिश्रण विधेयक—खण्डों पर विचार—असमाप्त	२०८-२६०

बृहस्पतिवार, २६ अगस्त, १९५४

	स्तम्भ
स्थगन प्रस्ताव--	
बैंक विवादों सम्बन्धी श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में सरकार द्वारा रूपभेद	२६१-२६२
पटल पर रखे गये पत्र--	
टेलीग्राफ तारों का अवैध कब्जा रोकने के लिये नियम	२६२
टेलीग्राफ तार (क्रय विक्रय की अनुज्ञा) नियम	२६३
भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ के अधीन अधिसूचनायें	२६३-२६४
आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण	२६३-२६४
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--दशम प्रतिवेदन का उपस्थापन	२६३
रबड़ उत्पादन तथा वियणन (संशोधन) विधेयक--प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	२६४
काफ़ी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक--प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	२६५
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के समय में वृद्धि	२६५
खाद्य अपमिश्रण विधेयक--संशोधित रूप में पारित	२६५--३२३
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा और प्रवर समिति को सौंपने के तथा परिचालन के संशोधनों पर चर्चा--असमाप्त	३२३--३३८

शुक्रवार, २७ अगस्त, १९५४

राज्य सभा से संदेश	३३९--३४१
काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक १९५४--उपस्थापित याचिका	३४१
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--नहर पानी विवाद	३४१--३४५
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पनर्वास) विधेयक--संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित	३४५
पटल पर रखे गये पत्र--	
लालटेन उद्योग को संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का एक संकल्प	३४६-३४७
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--चर्चा असमाप्त	३४७--३६५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के दसवें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव--स्वीकृत	३६५
हथ-करघा उद्योग के लिये सभी साड़ियों और धोतियों के उत्पादन के रक्षण के सम्बन्ध में संकल्प--अस्वीकृत	३६५--४०७
कपड़ा तथा पटसन उद्योगों में आयोजित वैज्ञानिकन की योजनाओं के सम्बन्ध में संकल्प--चर्चा असमाप्त	४०८--४२०

सोमवार, ३० अगस्त, १९५४ स्तम्भ

स्थगन प्रस्ताव—

त्रावनकोर कोचीन में परिवहन सेवाओं के बारे में स्थिति ४२१

पटल पर रखा गया पत्र—

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर रायें ४२१-४२२

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—

कानपुर के काठी तथा साज कारखाने में हड़ताल . . . ४२२—४२

सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक, १९५३—वापस लिया गया ४२६-४२७

सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित . ४२

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा लवण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . ४

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव तथा प्रवर समिति को सौंपने के तथा परिचालन के संशोधनों पर चर्चा—असमाप्त . ४२७—४५१

बैंक विवाद सम्बन्धी श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने वाला सरकारी आदेश . . . . . ४५१—५१

मंगलवार, ३१ अगस्त, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

बीमा अधिनियम, १९३८ के अधीन अधिसूचनायें . ५१३-५१४

राज्य-सभा के सन्देश . . . ५१

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपा गया . . . ५१४—५९८

बुधवार, १ सितम्बर, १९५४

स्थगन- स्ताव ५९९-६००

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—बीमा समवायों में औद्योगिक विवादों पर न्याय निर्णय करने के लिये न्यायाधिकरण . ६००-६०१

मध्य भारत आय पर कर (मान्यीकरण) विधेयक—पुरःस्थापित . . ६०१-६०२

कराधान विधियां (जम्मू और काश्मीर में विस्तार) विधेयक—पुरःस्थापित . ६०२

विशेष विवाह विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ६०२-६८६

बृहस्पतिवार, २ सितम्बर, १९५४

तारांकित प्रश्न संख्या ४०६ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ६८७

पटल पर रखा गया पत्र —

परिसीमन आयोग का अन्तिम आदेश संख्या १५ . . ६८७-६८८

राज्य-सभा से संदेश ६८८

राज्य-सभा द्वारा पारित विधेयक--पटल पर रखे गये पत्र-- स्तम्भ

औषधि (संशोधन) विधेयक, १९५४ . . . ६८८
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक, १९५४ . . . . ६८८
दन्त चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, १९५४ . . ६८९
विशेष विवाह विधेयक--
खंडवार विचार--असमाप्त . .६८९--७५८
सदस्य द्वारा पदत्याग . ७५८

शुक्रवार, ३ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र--
भारतीय विमान अधिनियम, १९३४ के अन्तर्गत अधिसूचनायें . ७५९
खान (सारांश प्रदर्शन) नियम, १९५४. . . . . ७६०
भारतीय श्रम सम्मेलन के तेरहवें सत्र की कार्यवाही का संक्षिप्त वृतान्त . ७६०
आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण . . ७६१

निष्क्रान्त सम्पत्ति (केन्द्रीय) प्रशासन नियम, १९५० में संशोधन . . ७६२
विशेष विवाह विधेयक-याचिका का उपस्थापन . ७६२
देश में बाढ़ सम्बन्धी वक्तव्य .७६२--७६९
हिन्दी में नाम पट्ट ७६९-७७०
भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक-पुरःस्थापित . . ७७०
दंड-प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन . . ७७०

विशेष विवाह विधेयक-खंडवार विचार--असमाप्त . . .७७१--७८९
भाग ग राज्य शासन (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित . ७८९
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक--पुरःस्थापित . ७९०
अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक--पुरःस्थापित . . ७९०
विद्युत संभरण (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित . . ७९१
भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी मुकद्दमेबाजी विधेयक--पुरःस्थापित ७९१
अन्त्येष्ठि क्रिया सुधार विधेयक--पुरःस्थापित . ७९२
सेवा निवृत्ति वेतन (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित . . . ७९२
सेना (संशोधन) विधेयक (नई धारा ५७क का रखा जाना)--पुरःस्थापित . ७९३
सेना (संशोधन) विधेयक (नई धारा ६१क का रखा जाना)--पुरःस्थापित . ७९३
विधुर पुनर्विवाह विधेयक--पुरःस्थापित ७९४
संविधान (षष्ठ अनुसूची का संशोधन) विधेयक-पुरःस्थापित . . ७९४
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक--वाद-विवाद स्थगित . . .७९५--८५०
सभा का कार्य ८५०-८५१

अत्यावश्यक वस्तुयें (अस्थायी शक्तियां संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . ८५१—८८।

सोमवार, ६ सितम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—
ब्राजील और स्पेन से गोआ में स्वयं सेवकों का आना
श्रीलंका निवासी भारतीयों का परिपीडन
पटल पर रखे गये पत्र—
चलचित्र (विवाचन) नियम, १९५१ में संशोधन . . .
भारत का रक्षित बैंक अधिनियम की धारा २१ के उपनियम (४) के अधीन निष्पादित करार . . . . . .
१९-४-५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८७४ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि . . . . . .
संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . .
चावल, धान, और चावल के आटे पर निर्यात शुल्क बढ़ाने के बारे में संकल्प—स्वीकृत . ८५९—
मूंगफली के तेल पर निर्यात शुल्क के बारे में संकल्प—स्वीकृत . . . ८९१
विशेष विवाह, विधेयक—
खंडवार विचार—असमाप्त ९२१-९३

मंगलवार, ७ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र —
परिसीमन आयोग, भारत का अन्तिम आदेश संख्या १५, दिनांक २४ अगस्त, १९५४ . ९
विशेष विवाह विधेयक—खंडवार विचार—असमाप्त . . ९३९-१०

बुधवार, ८ सितम्बर, १९५४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन . १००१
समिति के लिये निर्वाचन—
नारियल जटा बोर्ड . . . १००१-१००२
सभा का कार्य—बैठकों के समय में परिवर्तन . . . १००२—१००५
विशेष विवाह विधेयक—खंडवार विचार—असमाप्त . . . १००६—१०६८

शुक्रवार, १० सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—
विनियोग लेखे (असैनिक) १९५०—५१ और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, १९५२ (भाग २) १०६९-१०७०
विनियोग लेखे (असैनिक) १९५०-५१ का वाणिज्यिक परिशिष्ट और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५२ . . . . १०६९-१०७०

	स्तम्भ
ीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, १९५४	१०७०
ीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, १९५४	१०७०
ीय प्रशासन सेवा (प्रोवेशन) नियम, १९५४	१०७०
ीय पुलिस सेवा (प्रोवेशन) नियम, १९५४	१०७०
ीय प्रशासन सेवा (पदालि) नियम, १९५४	१०७०
ीय पुलिस सेवा (पदालि) नियम, १९५४	१०७१
ीय प्रशासन सेवा (ज्येष्ठता-विनियमन) नियम, १९५४	१०७१
ीय पुलिस सेवा (ज्येष्ठता-विनियमन) नियम, १९५४	१०७१
भारतीय सेवायें (आचरण) नियम, १९५४	१०७१
के राजस्व न्यायालयों में सामान्य कार्य संचालन तथा प्रक्रिया के नियम	१०७१
नयतन सम्बन्धी प्रस्ताव—स्वीकृत	१०७१—१०७८
न (तृतीय संशोधन) विधेयक से युक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा—असमाप्त	१०७९—१११८
ारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	१११८
तथा पटसन उद्योगों का वैज्ञानिकन करने की योजनाओं सम्बन्धी संकल्प—संशोधित रूप में स्वीकृत	१११८—११६६
कर बाढ़ के कारण हुई क्षति को सुधारने के लिये आसाम को वित्तीय सहायता सम्बन्धी संकल्प—असमाप्त	११६६—११६८

ार ११ सितम्बर, १९५४

न पर रखे गये पत्र—	
ंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५२ के अधीन अधिसूचनायें	११६९
ा· सदस्य की दोष-सिद्धि	११६९—११७०
धान (तृतीय संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा—असमाप्त	११७०—१२०२
रतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक के बारे में वक्तव्य	१२०२—१२०५
तीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	१२०६
त में बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—चर्चा असमाप्त	१२०६—१२१२

PD—HS—363 LSD—2-2-55—000

लोक सभा

सोमवार, ६ सितम्बर, १९५४

लोक-सभा सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

९-१५. म० पू०

स्थगन प्रस्ताव

ब्राजील और स्पेन से गोआ में स्वयंसेवकों का आना

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री खरे के दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। पहल प्रस्ताव का सम्बन्ध "ब्राजील और स्पेन से गोआ में भारत के विरुद्ध गोआ की सहायता के लिये १०० स्वयं-सेवकों के आने" से है। मैं नहीं समझ सकता कि यदि कोई देश ऐसे प्रदेशों में, जो भारत संघ का भाग नहीं हैं, स्वयं-सेवक भेजता है, तो उस में केन्द्रीय सरकार का क्या उत्तरदायित्व है। यह मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह प्रस्ताव बहुत अस्पष्ट है। माननीय सदस्य मंत्री महोदय से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या वैदेशिक कार्य सम्बन्धी वाद-विवाद के अवसर पर प्रश्न उठा सकते हैं। अतः मैं इस प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे सकता हूं।

डा० राम सुभग सिंह (शाहबाद-दक्षिण) : मैं इस स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। सरकार की नीति यह है कि किसी विदेशी को आने न दिया जाये...

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य इस प्रस्ताव की ग्राह्यता के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहें तो कहें, अन्यथा अपने विचार किसी दूसरे अवसर के लिए रक्षित रखें।

श्रीलंका निवासी भारतीयों का परिपीड़न

अध्यक्ष महोदय : दूसरे प्रस्ताव का सम्बन्ध "इस देश को वापिस भेजे जाने वाले श्रीलंका निवासी भारतीयों का उन की आस्तियों के स्थानान्तरण के विषय में कथित परिपीड़न" से है। यह प्रस्ताव भी बहुत अस्पष्ट है, क्योंकि किसी परिपीड़ा का इसमें संकेत नहीं है। इस विषय पर पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में स्थिति का स्पष्टीकरण किया जा चुका है। अतः मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता हूं।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : इस प्रस्ताव को रखने का मेरा यह अभिप्राय है कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान दिलाया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपका यह अभिप्राय है तो आप मुझे तदनुसार सूचना दे सकते हैं और मैं उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा।

डा० एन० बी० खरे : मैं इस सुझाव को स्वीकार करता हूं।

पटल पर रखे गयेपत्र

चलचित्र (विवाचन) नियमों में संशोधन

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं चलचित्र अधिनियम, १९५२ की धारा ८ की उपधारा (३) के अधीन, चलचित्र (विवाचन) नियमों, १९५१ में कतिपय अग्रेतर संशोधन करने वाली सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २४२४, दिनांक १९ जुलाई १९५४, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एस०-२८७/५४]**

भारत का रक्षित बैंक अधिनियम के अधीन निष्पादित करार

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : मैं भारत का रक्षित बैंक अधिनियम, १९३४ की धारा २१ की उपधारा (४) के अधीन इन करारों में से प्रत्येक की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) मद्रास के राज्यपाल तथा भारत के रक्षित बैंक के बीच ४ अगस्त, १९५४ को निष्पादित मुख्य और अनुपूरक करार। **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एस०-२८८/५४]**

(२) आंध्र के राज्यपाल तथा भारत के रक्षित बैंक के बीच ४ अगस्त १९५४ को निष्पादित मुख्य और अनुपूरक करार। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस०-२८९/५४]**

---

१९ अप्रैल, १९५४ को पूछे गये तरांकित प्रश्न संख्या १८७४ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं आपकी अनुमति से हाउस आफ पीपल (अब लोकसभा) में १९ अप्रैल, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १८७४, के सम्बन्ध में श्री एस० सी० सामन्त द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के सम्बन्ध में मेरे सहयोगी गृहकार्य उपमंत्री द्वारा मेरी ओर से दिये गये उत्तर में हुई एक गलती का शोधन करना चाहता हूं।

ऐसा बताया गया था 'कि वर्तमान प्रबन्ध के चालू होने से पहले भी सरकार ने केवल इन कर्मचारियों के लिए अपितु उनके परिवारों के लिए भी आवास स्थान का प्रबन्ध करने का प्रयास कर रही थी अब सारी बात को विनियमित किया गया है और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अधिकार के रूप में इन स्थानों पर रहने के अधिकारी हैं।'

इस विषय में ठीक स्थिति यह है कि पहले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्राप्त करने और इलाज कराने का अधिकार नहीं था, जो अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को प्राप्त था अब २, अप्रैल, १९५४ से इन रियाअतों का विस्तार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के परिवारों तक भी कर दिया गया है। राजयक्ष्मा से पीड़ित चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में, यह बात है कि रोगियों की रक्षित शैयाएं केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को ही दी जाती हैं और उनके परिवार के व्यक्तियों के लिए नहीं दी जाती हैं।

उत्तर में जो अशुद्धि हो गई थी उस का बहुत खेद है ।

संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

चावल तथा चावल के आटे पर निर्यात शुल्क बढ़ाने के सम्बन्ध में संकल्प

वाणिज्य तथा उद्योगमंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ (१९३४ का ३२वां) की धारा ४ क की उपधारा (२) के अनुसरण में लोक-सभा भारत सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एम० आर० ओ० २४५४, दिनांक २४ जुलाई, १९५४ को, जिसके द्वारा उक्त अधिसूचना की तिथि से, बे छिलके और छिलकेदार चावल और चावल के आटे पर, किन्तु चावल की भूसी और चूरे को छोड़ते हुए, जो निःशुल्क हैं, निर्यात शुल्क को ८२.२/७ पौंड के प्रति मन पर दो आने तीन पाई से बढ़ाकर मूल्यतः २० प्रतिशत कर दिया गया है, अनुमोदन करती है ।"

बढ़ाने के सम्बन्ध में संकल्प

इस संकल्प के सम्बन्ध में स्थिति तुलनात्मक कुछ सरल है । जैसा कि स्वयं संकल्प में उल्लिखित है कि चावल के निर्यात पर दो आना तीन पाई प्रति मन का प्रशुल्क लगा हुआ था । नियंत्रण काल के पूर्व भारत चावल का निर्यातक तथा आयातक दोनों ही था और उस समय निर्यात पर दो आना तीन पाई प्रति मन का शुल्क लगाया गया था । खाद्य संकट काल में निर्यात पूर्णतः बन्द कर दिया गया था तथा लगाया गया निर्यात शुल्क केवल सैद्धांतिक था । देश में चावल उत्पादन की वृद्धि के साथ साथ तथा ऐसे सम्पर्कों के, जो संभरण की न्यूनतम के कारण छिन्न भिन्न हो गये थे, पुनः स्थापित किये जाने की आवश्यकता के कारण तथा यदि संभव हो सका तो हमारे भावी अतिरिक्त उत्पादन के लिये बाजार ढूंढने के निमित्त भी सरकार ने चावल के निर्यात के लिये कुछ मात्रा को स्वीकृत करने का निश्चय किया है ।

श्रीमान्, मैं सभा को यह बतला दूं कि १९५३-५४ में १९५२-५३ के २ करोड़ २५ लाख टन की तुलना में भारत में चावल का २ करोड़ ७० लाख टन का उत्पादन हुआ तथा १९५१-५२ में समाप्त होने वाले पांच वर्षों का औसत उत्पादन २ करोड़ १६ लाख टन था । इसलिये इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा ४६ लाख टन अधिक उत्पादन हुआ । निर्यात योग्य अतिरिक्त परिमात्रा का इस तथ्य से निश्चय किया जा सकता है कि पिछले वर्ष जबकि उत्पादन केवल २·२५ करोड़ टन था तब हमने केवल १·९ लाख टन का आयात किया था । उत्पादन में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप सरकार ने २१ अगस्त, १९५४ को १२·३ लाख टन चावल रक्षित कर लिया था । ब्रह्मा से हाल ही में हुए ९ लाख टन

चावल के क्रय के समझौते के अनुसार ७ लाख टन चावल प्राप्त होने की आशा की जाती है।

चावल की सुविधाजनक संभरण स्थिति को ध्यान में रख कर यह निश्चय किया गया है कि व्यापार के पुराने ढांचे को पुनः स्थापित किया जाय तथा कुछ परिमाण में चावल का निर्यात करने की आज्ञा दी जाय। ब्रह्मा से मामूली किस्म के चावल के आयात की व्यवस्था इस कारण की गई है ताकि सरकार चावल का एक केन्द्रीय रक्षित स्कंध बना सके। इसे संभरण की कमी होने का कारण नहीं समझा जाना चाहिये। यद्यपि अधिसूचना में कोई उच्चतम सीमा का उल्लेख नहीं है तो भी मैं सभा को विश्वास में लेते हुए यह कह सकता हूं कि सरकार का इरादा अधिक से अधिक दो लाख टन चावल निर्यात करने का है।

चावल के निर्यात की अनुज्ञा देने से पूर्व इस तथ्य को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जहां तक दक्षिण का सम्बन्ध है वहां चावल की स्थिति अतिरिक्त उत्पादन की नहीं है। इसलिये मद्रास के बन्दरगाह से चावल के निर्यात की स्वीकृति नहीं है। निर्यात केवल बम्बई व कलकत्ता के बन्दरगाह से स्वीकृत है। निर्यात योग्य मशीन चावल के मूल्य जिसमें बढ़िया देहरादून चावल इत्यादि शामिल नहीं हैं २० रुपये से ३० रुपये प्रति मन अर्थात् ४० पौंड से ६० पौंड प्रति टन तक है। प्राप्त सूचनाओं तथा संकेतों के आधार पर तथा विदेशी राजदूतावासों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार बढ़िया किस्म के चावल का ६० से लेकर ६५ पौंड प्रति टन तक मूल्य प्राप्त होने की आशा है। जबकि और अधिक अच्छी किस्म के चावल को, जैसे कि पश्चिमी बंगाल, पटना इत्यादि हैं। इससे भी कुछ अधिक कीमत यथा ७० पौंड प्रति टन तक मिलेगी। इन सभी तथ्यों पर विचार करके चावल पर २० प्रतिशत का मूल्यानुसार प्रशुल्क लगाने का निरोध न्यायोचित होगा। जिससे कि निर्यात करने वाले मध्यस्थ व्यक्ति को भी उचित लाभ मिल सके।

मोटे चावल के आन्तरिक मूल्य के सम्बन्ध में भी कुछ तथ्य दिये जाने चाहिये। उसका मूल्य १४ रुपये से १६ रुपये प्रति मन तक है, कहीं कहीं पर यह १७ रुपये तक है जो कि २८ पौंड से ३६ पौंड तक होता है। ब्रह्मा ५० पौंड प्रति टन चावल बेच रहा है जब कि पाकिस्तान ने एक समय ४० पौंड प्रति टन के हिसाब से चावल दिया था। इन सबसे यह संकेत मिलता है कि समस्त संसार में कीमतें गिर रही हैं तथा यह भी एक तथ्य है जिसके अनुसार मूल्य पर २० प्रतिशत प्रशुल्क निश्चित किया गया है।

अब मैं सभा को निर्यात अनुज्ञप्तियों के सम्बन्ध में हुई प्रगति को बतलाऊंगा। व्यापारियों को अपनी बिक्री को निर्यात नियंत्रक प्राधिकारियों के पास पंजीबद्ध कराने को कहा गया है। ३१ अगस्त तक कलकत्ता में ३७३३० टन की बिक्री पंजीबद्ध की गई तथा बम्बई में ५५०० टन की। लेकिन जहाजी बिल कलकत्ता में केवल ५० टन के तथा बम्बई में २० टन के ही स्वीकृत किये गये हैं जिससे यह संकेत मिलता है कि समस्या बहुत छोटी है और जो कुछ भी सरकार ने किया है वह केवल उस पुराने ढांचे को पुनः चालू करना है जिसके आधीन बढ़िया किस्म का चावल विदेशों की मांग को पूरा करने के लिये बाहर जाता था। कभी कभी चावल

विदेशों में बसे हुए उन भारतीयों के लिये भी भेजा गया था जो कि भारत से बढ़िया किस्म के चावलों की आशा करते थे। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसे पारित किया जाये।

संकल्प अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया।

श्री रामचन्द रेड्डी (नैल्लोर): मैं इसका अग्रेतर स्पष्टीकरण चाहता हूं। चावल निर्यात करने वाले बन्दरगाहों में विसाखापट्टम को भी शामिल किया जाए क्योंकि आंध्र में बढ़िया और महीन किस्म के चावल पर्याप्त मात्रा में अतिरेक हैं। मेरा निवेदन यह भी है कि चावल की भूसी तथा छिलके जो हमारे पशुओं का अनिवार्य खाद्य है, निर्यात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जावे।

[**श्री पाटस्कर** पीठासीन हुए].

श्री टी० एस० ए० चेट्टीयार (तिरूप्पुर): मैं इस सम्बन्ध में दो प्रश्न उठाऊंगा। पहिला यह कि सरकार को इस निर्यात के परिणाम स्वरूप होने वाली मूल्य वृद्धि पर निगरानी रखनी चाहिए तथा उपभोक्ता को इससे हानि नहीं होने देनी चाहिए।

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह कुप्ला से टूटे चावल के आयात के प्रश्न पर विचार करे क्योंकि यह साधारण चावल से काफ़ी सस्ता होता है तथा उसे दक्षिणी भारत के श्रमिक श्रेणी के लोग पर्याप्त भाग में काम में लाते हैं।

दूसरी बात यह है कि चावल की भूसी चारे तथा उर्वरक दोनों के काम आती है तथा हमारे देश में इसकी कमी है तब भला इसका निर्यात क्यों किया जा रहा है।

श्री दामोदर मेनन (कोजीकोड): मैं माननीय खाद्य मंत्री से अपनी खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में जानना चाहता हूं। विशेष कर इन बाढ़ों तथा सूखे के कारण जिससे इस समय हमारा देश पीड़ित है, उत्पन्न हुई स्थिति में निर्यात को बिल्कुल बन्द कर देना उचित नहीं है अन्यथा खाद्य की कमी के कारण विशे कर दक्षिणी भारत के लोगों को इसका दुष्परिणाम उठाना पड़ेगा। निर्यात शुल्क के बढ़ाये जाने से निर्यात की परिमात्रा अवश्य ही कम हो जायगी पर देश में आई बाढ़ों को देख कर निर्यात को एकदम बन्द कर देना अधिक उत्तम नहीं होगा।

पंडित एस० सी० मिश्र (मुंगेर—उत्त-पूर्व): मैं वाणिज्य मंत्री की प्रसंशा करते हुए भी अपने मित्रों से इस बात पर सहमत हूं कि देश से एक मुट्ठी चावल भी बाहर नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि देश एक ओर तो बाढ़ तथा दूसरी ओर अकाल से भाक्रान्त है। शुल्क बढ़ाने के स्थान पर यदि वाणिज्य और खाद्य मंत्री हमारी जनता को कुछ और अधिक चावल दे सकते तो अधिक उत्तम होता।

कुमारी एनी मस्करीन (त्रिवेन्द्रम): मैं इस संकल्प का सर्वथा विरोध करती हूं क्योंकि इससे चावल के मूल्य बढ़ेंगे तथा लाखों व्यक्तियों के जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। चावल के मूल्य के उत्पादन लागत तथा खरीदार की समाई के आधार पर निर्धारित करने का अभी समय नहीं आया है। मेरे क्षे में नियंत्रण हटा लेने पर भी चावल के मूल्य इतने नहीं गिरे हैं कि क साधारण व्यक्ति उस मूल्य पर चावल खरीद सके। इसलिए मैं दक्षिणी भारत के लोगों की ओर से मंत्री महोदय से यह कहना चाहती हूं कि वह दक्षिणी भारत के लोगों पर अन्याय कर रहे हैं।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : हम दक्षिण से आयात करने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं ।

कुमारी एनी मस्करीन : कदाचित माननीय मंत्री को विदित नहीं है कि दक्षिण की परियोजनायें अभी अविकसित ही हैं और सारा धन उत्तर की योजनाओं की पूर्ति में लगाया जा रहा है, और अब अतिरिक्त उत्पादन हो गया है तो उसे निर्यात किया जा रहा है । मैं इस नीति का विरोध करती हूं ।

श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी (मैसू) : मैं माननीय मंत्री से दो बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं । पहली बात यह है कि क्या देश में चावल का अतिरेक है और दूसरी, क्या निर्यात के लिए यह समय ठीक है ?

ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मंत्री को यह भ्रम है कि देश में चावल का अतिरेक है, परन्तु उनका यह अनुमान ग़लत है । पहले कई वक्ताओं ने बताया है कि चावल का अतिरेक केवल इस कारण से है कि लोग निर्धन होने के कारण अपनी आवश्यकता के अनुसार चावल खरीद नहीं सकते हैं । अतः यह वास्तविक अतिरेक नहीं है ।

माननीय मंत्री ने आगे चल कर कहा था कि केवल दो लाख टन की थोड़ी सी मात्रा का ही निर्यात किया जाएगा । उन्होंने यह भी कहा था कि हम अपने पहले के विदेशी बाज़ारों को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं । यद्यपि यह लक्ष्य तो थोड़ा युक्तियुक्त अवश्य है, परन्तु निर्यात के लिए यह समय उपयुक्त नहीं है और हमारा मुख्य कर्त्तव्य आन्तरिक बाज़ार के निर्माण का होना चाहिए ।

पहले माननीय मंत्री को यह जान लेना आवश्यक है कि क्या हम वास्तव में अपनी आन्तरिक मांग को पूरा कर रहे हैं । हमें कोई न कोई ऐसा उपाय ढूंढना चाहिए कि लोग चावल को यहीं पर खरीद सकें । लोगों के चावल न खरीदने का मुख्य कारण उनकी क्रय शक्ति की कमी है ।

श्री किदवई : यह तथ्य नहीं है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मुझे खेद है कि माननीय मंत्री को इस सम्बन्ध में पूरा ज्ञान नहीं है । यदि उनका कहना ठीक है तो मैं पूछना चाहता हूं कि ब्रह्मा से चावल का आयात क्यों किया गया ।

श्री किदवई : अतिरेक को और भी विश्वसनीय बनाने के लिए ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जानता हूं कि श्री किदवई एक विश्वसनीय सज्जन हैं ।

श्री किदवई : धन्यवाद !

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : परन्तु उनके अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति विश्वसनीय नहीं हैं । उन्होंने ब्रह्मा से चावल आयात करके ग़लती की है। परन्तु सरकारी बैंचों पर होने के कारण अब तो उसे ही न्याय सिद्ध करने का प्रयत्न किया जायगा । श्री किदवई स्वंय जानते हैं कि यह बुरा सौदा था ।

श्री किदवई : यह सौदा कैसे बुरा था ?

श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी : आप स्वंय इसे जानते हैं ।

श्री किदवई : नहीं ।

श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी : यदि भारत में चावल का अतिरेक था, तो ब्रह्मा से क्यों आयात किया गया ?

श्री किदवई : केवल लोगों को विश्वास दिलाने के लिये कि हमारे पास चावल का अतिरेक है। केवल इन महानभावों का संदेह दूर करने के लिये कि हम अब नियंत्रण हटा सकते हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : यदि हमारे पास यहां अतिरेक था, तो ब्रह्मा से आयात करने की क्या आवश्यकता थी ? माननीय मंत्री का तर्क उपहास्पद है अतः यह हमारी समझ में नहीं आ सकता है ।

अब वह निर्यात करने की बात कह रहे हैं । मेरी प्रार्थना है कि निर्यात के लिये यह समय उपयुक्त नहीं है । जब तक हमें यह विश्वास न हो जाय कि यहां चावल की पर्याप्त मात्रा है तब तक हमें निर्यात की बात ही नहीं सोचनी चाहिये । हमें अपने आन्तरिक बाजार को खोजना चाहिये । विदेशी बाजार हमारे लिये अब तक विदेशी है । हमारे देश में ही अभी तक बहुत बड़ी मांग है । हमें एक अथवा दो वर्ष और प्रतीक्षा करनी चाहिये और जब हमें अपनी स्थिति का पूरा पूरा विश्वास हो जाय, तब हमें निर्यात की अनुमति देनी चाहिये ।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : चावल की कीमत तो चढ़ ही गई है ...

श्री किदवई : कहां ?

श्री एन० बी० चौधरी : स्वयं दिल्ली में ।

श्री किदवई : दिल्ली में हां, ठीक है ।

श्री एन० बी० चौधरी : और पश्चिमी बंगाल तथा अन्य स्थानों पर भी ।

श्री किदवई : पश्चिमी बंगाल में कीमतें नहीं चढ़ी हैं । मैं अभी वहां गया था तथा वह लोग जिन्होंने चावल का स्टॉक कर रखा है शिकायतें कर रहे थे कि वर्षा बाढ़ अथवा वर्षा की कमी आदि होने पर भी चावल की कीमत दिन प्रति दिन गिरती जा रही है क्योंकि लोगों के पास इतना स्टॉक है कि वह उसका विक्रय नहीं कर सकते हैं ।

श्री एन० बी० चौधरी : मेरे विचार में कतिपय क्षेत्रों के सम्बन्ध में माननीय मंत्री को गलत सूचना मिली है । यह तो मूल्य देखने से ज्ञात हो जायगा ।

श्री किदवई : नहीं ।

श्री एन० बी० चौधरी : कुछ स्थानों पर कीमतें चढ़ रही हैं ।

श्री किदवई : चावल की नहीं, गेहूं की ।

श्री एन० बी० चौधरी : इस वर्ष की बाढ़ के कारण, हमें भय है कि अगले वर्ष उत्पादन सम्भवतः कम हो ।

श्री किदवई : चावल के सम्बन्ध में आपकी धारणा ठीक नहीं है ।

श्री एन० बी० चौधरी : इस प्रकार हम यह समझते हैं कि चावल का निर्यात न होने दिया जाय । जहां तक चावल की भूसी के निर्यात का सम्बन्ध है, मैं यही कहूंगा कि उसे भी निर्यात न किया जाय। इस समय जमींदारों ने अपनी चरागाहों को ठेके पर दे दिया है और इस निर्यात के कारण किसानों को अपने पशुओं के लिये भूसे की बहुत तंगी हो जायगी। इसलिये हमें चावल का भूसा निर्यात नहीं होने देना चाहिये ।

हमें बढ़िया चावल का भी निर्यात नहीं करना चाहिये । यदि थोड़ी मात्रा में निर्यात करना भी है तो हम जानना चाहते हैं कि वह मात्रा क्या होगी ?

श्री किदवई : दो लाख टन ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या सरकार स्वयं यह निर्यात नहीं कर सकती है ?

श्री किदवई : हमने छः मास तक यह कार्य कर के देख लिया है ।

श्री एन० बी० चौधरी : " जैसा कि माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने बताया था कि विदेशों में चावल की क़ीमत भारत से बहुत अधिक है । यदि सीमा शुल्क आदि को भी मिला कर हिसाब लगाकर देखा जाय तो भी लाभ पर्याप्त रहेगा । अतः सरकार को स्वयं ही यह न्याय करना चाहिये । परन्तु फिर भी मैं यह नहीं चाहता कि चावल का निर्यात हो ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : हम इस महत्वपूर्ण विषय पर बिना किन्हीं आंकड़ों के तर्क वितर्क किये जा रहे हैं । सरकार को चाहिये कि हमारे समक्ष तत्सम्बन्धी आंकड़े प्रस्तुत करे । पिछले दो वर्षों से ऐसे ही तर्क यहां पर दिये जाते रहे हैं । सरकार को चाहिये था कि इस बात को स्वयं समझकर अब तक हमें आवश्यक आंकड़े दे देती ।

इस संकल्प के अनुसार मूल्य प्रति मन शुल्क को २० प्रतिशत चावल के मूल्यानुसार बढ़ा दिया जायगा । यदि चावल की क़ीमत २० रुपये प्रति मन हो तो दो आने तीन पाई शुल्क में ४ रुपये अथवा पांच रुपये तक की वृद्धि हो जायगी ।

श्री किदवई : कोई हानि नहीं है ।

श्री एस० एस० मोरे : मेरे स्थूल अनुमान से माननीय मंत्री सहमत हैं । परन्तु क्या हमें वास्तविक आंकड़े दिये जाने आवश्यक नहीं हैं । अब हम यह देखना है कि शुल्क की वृद्धि से क़ीमतों में जो अन्तर पड़ेगा, उससे उपभोक्ताओं को कितनी हानि होगी ।

यह प्रश्न तो सीधा सा है है कि यदि निर्यात शुल्क बढ़ा दिया जाय तो निर्यात वस्तुओं की मात्रा स्वयेव कम हो जायगी ।

श्री किदवई : हां ।

श्री एस० एस० मोरे : यदि निर्यात कम हो जाय तो निर्यात की मांग भी कम ही जायगी, और देश में क्रय शक्ति की कमी के कारण, मांग कम होने से कीमतें गिर जायेंगी, जिससे उत्पादकों को हानि होगी । यहां पर उत्पादक कोई धनिक नहीं हैं, बल्कि छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास एक एकड़ दो एकड़ अथवा तीन एकड़ अर्थात थोड़ी सी भूमि होती है ; वही लोग यहां है पर चावल का उत्पादन करते हैं ।

श्री किदवई : मैं जान सकता हूं कि माननीय सदस्य की सलाह क्या है ? क्या वह शुल्क कम कर देने के लिये कह रहे हैं अथवा उनका विचार यह है कि इस समय हमारे पास पर्याप्त निर्यात योग्य बाजार है और इस निर्यात शुल्क के कारण वह कम हो जायगा ?

श्री एस० एस० मोरे : मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूं । मैं तो यह युक्ति दे रहा हूं कि सरकार हमें तत्सम्बन्धी आंकड़े नहीं दे रही है और उसे देना सरकार का कर्तव्य है । कई बार माननीय मंत्री शीघ्र ही सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, परन्तु यह देखा गया है कि प्रश्नों के लिखित उत्तर भी गलत होते है और सभा में तत्पश्चात उन्हें ठीक किया जाता है । मैं इसके लिये माननीय मंत्रियों को अपराधी नहीं बताता हूं परन्तु मेरा आशय यह है कि

सभा के समक्ष आये सब तथ्यों को सदस्यों के पास पहुंचाना सरकार का कर्तव्य है, जिस से कि सदस्य उनका भली भान्ति अध्ययन कर सकें । इसी प्रकार यदि हमारे सामने कोई आंकड़े न हों तो हम जो अपने निर्वाचकों के प्रति उत्तर-दायी हैं, क्या कह सकेंगे । इस संकल्प का प्रभाव सभी पर पड़ने वाला है । यदि कल को कोई निर्वाचक मुझसे यह आकर पूछे कि क्या आपने हमारे हितों का ध्यान रखा था ? तो निश्चय ही मुझे लज्जित होना पड़ेगा । इससे हमारे विकासोन्मुख लोकतंत्रात्मक राज्य को कोई लाभ नहीं होगा ।

हमारा प्रजातंत्र पूर्णशिक्षित होना चाहिये किन्तु हमारे मंत्रिगण इस प्रकार का प्रजातंत्र चाहते हैं जो सदैव अज्ञान में डूबा रहे ताकि उनकी दाल गलती रहे ।

सभापति महोदय : कृपया मंत्रियों या प्रजातंत्र के बजाय कुछ संकल्प के विषय में कहिये ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं उसी पर आ रहा हूं । मैं अपना काम खूब जानता हूं । हमारे मंत्री खाद्य के विषय में कहते हैं कि वह आवश्यकता से अधिक है किन्तु हमारा यह दायित्व है कि हम देश के बच्चे बच्चे का पेट अच्छी तरह भरें ।

पेट भरने की आवश्यकता पूरी होने के बाद यदि अन्न बच जाय तो उसे आवश्यकता से अधिक कहा जा सकता है किन्तु मंत्रीगण तो राज्य के गोदाम भरे समझ कर ही इस परिणाम पर पहुंच जाते हैं कि अन्न बहुत अधिक है और निर्यात की सोचने लगते हैं । हमें सब आंकड़े बतलाए जायं ताकि स्थिति पर हम स्वयं विचार कर सकें । तभी हम इस संकल्प का समर्थन कर सकते हैं ।

सभापति महोदय : अब श्री बेलायुधन बोलेंगे । जो बातें दूसरों ने कह दी हैं उन्हें माननीय सदस्य कृपया दोहराने का कष्ट न करें ।

श्री किदवई : यदि वे दोहराएं नहीं तो उन के पास कहने को क्या है ?

श्री बेलायुधन (क्विलोन व मावे-लिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मुझे खेद से कहना पड़ता है कि यह संकल्प निरीह भेड़ के भेस में वस्तुतः एक भयानक भेड़िया है । यह एक अजगर की भांति है जो देश के लाखों प्राणियों को खाकर भी असन्तुष्ट है ।

माननीय खाद्य मंत्री कहते हैं कि धान का भाव घट रहा है । किन्तु क्या उन्होंने यह सोचा है कि युद्ध से पूर्व पांच छः रुपये मन चावल मिलता था जिसके लिये आज ३९ रुपये देने पड़ते हैं ?

माननीय मंत्री ने खाद्य स्थिति को संतोषजनक बतलाते समय अन्न के बढ़े हुए दामों पर ध्यान नहीं दिया है । देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो एक सेर चावल भी नहीं खरीद सकते । कौन कहता है कि देश में पर्याप्त चावल नहीं है । चावल तो सन् १९५० में भी काफी था । उस समय माननीय खाद्य मंत्री नहीं थे ।

श्री किदवई : जी, मैं भारत में ही था ।

श्री बेलायुधन : दूसरों को आज जो श्रेय मिलना था वह आप को दिया जा रहा है । सरकार ने नियंत्रण लगा कर देश में चावल की बनावटी कमी दिखलाई थी ।

हां, तो मैं कह रहा था कि देश में लाखों लोग चावल नहीं खरीद सकते और विशेषकर दक्षिण में ।

सभापति महोदय : कृपया संकल्प के लिये कुछ कहिए ।

श्री वेलायुधन : मैं उस पर आ रहा हूं । इस संकल्प पर बहस के लिये पूरा एक दिन रखना चाहिए था । सरकार दो लाख टन चावल निर्यात करने वाली है. क्या इससे गांवों में फुटकर दामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

श्री किदवई : जी नहीं ।

श्री वेलायुधन : लाखों आदमी गांवों में गैर सरकार दुकानों से अन्न खरीदते हैं ।

श्री किदवई : उन्हें लाभ होगा ।

श्री वेलायुधन : माननीय मंत्री को पता नहीं है कि धान का भाव बढ़ गया है । इस संकल्प के पारित हो जाने पर फुटकर व्यापारी बनावटी तौर से धान का भाव बढ़ाएंगे जिससे लाखों लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

डा० जयसूर्य (मेदक) : मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ?

सभापति महोदय : इस संकल्प के द्वारा चावल के निर्यात-शुल्क में बढ़ोतरी होगी तथा जैसा कि श्री मोरे ने बताया, शुल्क अधिक होने से निर्यात कम होगा । मैं तर्क में नहीं जा रहा वरन् यह बता देना चाहता हूं कि जब माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं तब उन्हें केवल संकल्प तथा उसके प्रभाव तक ही अपने को सीमित रखना चाहिए ।

श्री किदवई : वे संकल्प को समझे बिना ही उसका विरोध कर रहे हैं ।

डा० जयसूर्य : वह सोचे बैठे हैं कि पर्याप्त चावल है; परन्तु माननीय मंत्री ने राष्ट्रसंघ का वह प्रतिवेदन देखा है जिसमें लिखा है कि खाद्य स्थिति में सुधार हो जाने पर भी देश में बहुत कमी है । दूसरे, मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या बाज़ार का मूल्य, उत्पादन-व्यय से कम है ।

श्री एस० एस० मोरे : उनके पास आंकड़े नहीं हैं ।

श्री एन० बी० चौधरी : मैंने खाद्य मंत्री से सुना कि दाम गिर रहे हैं (**अन्तर्बाधा**) परन्तु यह एक लेख है जिसके द्वारा ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश में भाव बढ़ रहे हैं ।

श्री किदवई : ठीक है ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गूना) : माननीय मंत्री श्री कृष्णमाचारी के इस संकल्प से हमें बहुत अचम्भा हुआ । हमें पहले यह पता था कि चावल की कमी है, अतः हम लोगों ने चावल खाना कम कर दिया । इसके बाद धर्मादे से चावल मंगाने के सुझाव रखे गए और अब यह बताया जा रहा है कि चावल पर्याप्त है ।

श्री किदवई : यह पहली बार ही नहीं बताया जा रहा है कि चावल हमें निर्यात करना है । प्रश्न यह है कि हमें निर्यात भी उन्हीं दामों पर करना है जो आज कल प्रचलित हैं । माननीय सदस्य को बहुत आश्चर्य हुआ होगा क्योंकि मैंने पहले यह नहीं बताया था । पिछले आठ मास से, सरकार निर्यात का प्रयत्न कर रही है परन्तु व्यापारिक झंझटों के कारण वह अभी ऐसा करने में समर्थ नहीं हुई है । वह केवल कुछ छोटी-छोटी वस्तुओं का जिनका उल्लेख वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने किया है, निर्यात करने में सफल हुई है । साथ ही साथ हमने आयात को भी खुला छोड़ दिया है जिससे ग़रीबों को चावल मिल सके

तथा बढ़िया चावल देश के बाहर जा सके। अभी ट्रावनकोर-कोचीन सरकार ने ६,००० टन चावल आयात करने का करार किया है जो कि सरकारी दुकानों के चावल के मूल्य के बनिस्बत सस्ता है। अभी तक वे आर्थिक सहायता देते थे परन्तु दो तीन वर्षों से यह सहायता लेना बन्द कर दिया गया है ताकि वे उचित मूल्य पर चावल दे सकें। सरकार इसके प्रभाव से भी जांच रही है। यदि आयात किए हुए चावल का मूल्य जनता के लाभ के लिए हो तभी आयात किया जाएगा तथा यदि निर्यात का देश की मांग पर असर नहीं पड़े तभी निर्यात किया जाएगा।

श्री वी० जी० देशपांडे: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या खाद्यान्न तथा विशेषतया चावल सरकार के पास आवश्यकता से अधिक मात्रा में है।

श्री किदवई: केवल चावल।

श्री० वी० जी० देशपांडे: हमारी पंच वर्षीय योजना के अनुसार कुछ वर्ष बाद हम खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर नहीं रहेंगे तथा उसी के परिणामस्वरूप परिवार-आयोजन की घोषणायें हो रही हैं। दूसरी ओर देश में बाढ़ों के बावजूद भी हमारे खाद्य मंत्री कहते हैं कि खाद्यान्न पर्याप्त हैं तब तो हमें अपने विचार ही बदल देने पड़ेंगे।

श्री किदवई: अवश्य।

श्री वी० जी० देशपांडे: मैं इस बात का विरोध करूंगा तथा यह कहूंगा कि बढ़िया चावल बाहर भेजने तथा वैसा ही चावल कम मूल्य पर बाहर से मंगाने, की इस योजना की जांच होनी चाहिये। इससे ऐसा पता लगता है कि सरकार निर्यात-शुल्क बढ़ा कर इस बात के लिए सभा की अनुमति लेना चाहती है। इस शुल्क के बढ़ा देने से निर्यात कम हो जाएगा परन्तु इस पर सरकार कहती है कि बढ़िया किस्म के चावल का निर्यात होगा। कितनी विचित्र स्थिति है। हमें डर है कि देश में कभी खाद्यानों की कमी न पड़ जाए तथा चावल....

डा० जयसूर्य: वह स्थिति आ रही है।

श्री वी० जी० देशपांडे: मुझे तो इसका पता नहीं परन्तु हमारे खाद्य मंत्री जानते होंगे। मुझे आशा है कि कमी नहीं पड़ेगी परन्तु सरकार को इससे लाभ भी कितना होगा यह भी मैं नहीं जानता।

श्री किदवई: हम आप नहीं चाहते।

श्री वी० जी० देशपांडे: आप न सही, इसकी एक रक्षित संख्या होनी चाहिए। हमारा तो एक बहुत बड़ा देश है, और कमी भी किसी भी भाग में पानी की कमी हो सकती है और जिस भाग में खाद्यान्नों की कमी हो, वहां भेजने के लिए ज़खीरे की आवश्यकता है। जल्दी में थोड़ा धन इकट्ठा करने के स्थान पर पहले से ही इकट्ठा करना ठीक रहता है। केवल कुछ वाक्यों के स्थान पर हम खाद्य मंत्री से पूर्ण विवरण सुनना अधिक पसंद करते।

सभापति महोदय: मैं माननीय मंत्री से तथ्य बताने को कहूंगा।

श्री राघवैया (ओंगोल): श्रीमान्, केवल एक या दो प्रश्न।

सभापति महोदय: अवश्य।

श्री राघवैया: एक सरकारी प्रकाशन में बताया गया था कि मूल्य बढ़ गए हैं

[श्री राधवैया]

क्या माननीय मंत्री के पास कोई ऐसा प्रकाशन है जिस में यह दिया गया है कि मूल्य कम हो गये हैं। यदि हों, तो क्या सरकार दो प्रकार की विज्ञप्तियां निकाल सकती है ?

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कदाचित् मुनाफ़ा कमाने वालों की ओर से मूल्य में कमी हो रही हो कि यद्यपि मंत्री जी का कहना है कि दामों में ५० प्रतिशत कमी होगी तो क्या उपभोक्ता की क्रय-शक्ति भी कम नहीं हो जायेगी; और यह तथ्य गिरते हुए मूल्यों की तुलना में ठीक नहीं बैठता ?

श्री किदवई : हमने सभा के समक्ष जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उस पर एक माननीय सदस्य ने आश्चर्य व्यक्त किया है। मेरा विश्वास है कि पिछले ८ या १० महीनों में सभा में अनेक बार यह व्यक्त कर दिया गया था कि हम विदेशों में चावल निर्यात करने की अनुमति दे रहे हैं। हमने देखा कि अन्तरिक (घरेलू) कीमतों और विदेशी कीमतों में पर्याप्त अन्तर है और यदि हमने वर्तमान शुल्क पर निर्यात की अनुमति दी तो बड़ी मात्रा में उस का निर्यात हो जायेगा। अतः हमने निर्यात-शुल्क पर पुनर्विचार किया सभा के सामने इसे प्रस्तुत करने का यही कारण है।

इस पर आश्चर्यान्वित होने वाले माननीय सदस्य ने यह भी उल्लेख किया कि हमें देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर भी विचार करना चाहिये। मैं उनसे कह दूं कि चावल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने और उसकी कीमत पर से नियंत्रण हटाने के कुछ समय पूर्व हमसे यह प्रश्न पूछा गया था कि क्या इस वर्ष उत्पादन . . . . .

श्री वी० जी० देशपांडे : आबादी अथवा उत्पादन ?

श्री किदवई : मैं कह दूं कि यदि १९६० में उतना ही उत्पादन किया गया जितना इस वर्ष किया गया है, तो बिना अधिक उत्पादन के भी १९६० की बढ़ी हुई जनसंख्या के लिये यह पर्याप्त होगा। यदि आवश्यकता के अतिरिक्त अन्नराशि के लेखे जोखे की यही पद्धति है तो हमारे पास आवश्यकता से बहुत अधिक खाद्यान्न हैं।

पिछले बारह महीनों का हमारा यह अनुभव है कि उत्पादनकर्त्ता हमें उसी कीमत पर अनाज सम्भरित करने के लिये तैयार था जिस पर हम पूर्व वर्षों में अन्न का समाहार कर रहे थे। जैसा बंगाल के माननीय सदस्यों को मालूम है, हमने बंगाल में समाहार बंद कर दिया था लेकिन बाद में फिर आरम्भ कर दिया क्योंकि चावल की कीमतों या धान की कीमतों में ६ रुपये मन की कमी हो गई थी। यह कीमतें पिछले वर्षों की तुलना में बहुत कम थी। जब कभी सरकार ने विचार किया कि वह चावल का समाहार बंद कर रहे हैं, उसी समय विभिन्न क्षेत्रों से मांग आने लगी कि सरकार को चावल समाहार करना चाहिये अन्यथा उत्पादनों को बाजार में उचित कीमत नहीं मिलेगी।

इसके बाद राशन वाले क्षेत्रों में चावल के उपयोग का सवाल है। जब तक नियंत्रण रहा उपयोग में कोई कमी नहीं हुई। कहा जाता है कि क्रम-क्षमता की कमी के कारण चावल नहीं बिक रहा है। लेकिन बम्बई और कलकत्ता के राशन वाले क्षेत्रों में यह किस ओर संकेत करता है। जिनकी मात्रा का सम्भरण किया जा

रहा था उसका उपयोग हो रहा था और जब हमने कंट्रोल समाप्त कर लोगों को बाहर से खरीदने की अनुमति दे दी तो सरकारी दुकानों से माल उठना एक दम गायब हो गया क्योंकि सरकारी दुकानों के बजाय बाहर की कीमतें बहुत कम थीं।

मैं आप को विश्वास दिला दूं कि हमारे पास आवश्यकता से अधिक चावल है और हम नियंत्रण नहीं लगा रहे हैं। कंट्रोल समाप्त होने के समय राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के पास १३ लाख टन का भंडार था। इस भंडार को हमने कभी अधिकृत नहीं किया यद्यपि पूर्व वर्ष में हमने आयात का पूरा कोटा आयात नहीं किया था। छः या सात लाख टन के स्थान पर हमने बर्मा से एक लाख और पचास हजार टन आयात किया था और बर्मा से खरीदे गये चावलों को सम्मिलित न करने पर भी हमारे पास १३ लाख टन का भंडार था। पिछले किसी भी वर्ष हमने केन्द्र से छः लाख या सात लाख टन से अधिक का वितरण नहीं किया अतः हमारे पास वितरणार्थ दो वर्षों का भंडार था। तब हमने बर्मा के साथ सौदा किया क्योंकि हमारे बहुत से देशवासी उत्पादन के विषय में आशंकित थे। इस बात का आश्वासन देने के लिये कि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में चावल का भंडार रहेगा और वह आयात का सामना करने के लिये तैयार है, हमने बर्मा से ९ लाख टन चावल खरीदे। अब हमारा भंडार २२ लाख टन है। इतने भंडार के रहते हुए मेरा विचार है कि हम निश्चित हो कर गैर सरकारी पार्टियों द्वारा आयात और निर्यात की अनुमति दे सकते हैं। गैर सरकारी पक्षों द्वारा आयात के लिये बृहद् संख्या में प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए। लेकिन चूंकि बर्मा और थाई लैण्ड की तुलना में हमारे यहां चावल की कीमतें कम थीं अतः बहुत कम मात्रा में चावल का आयात किया गया और बढ़िया किस्म का यह चावल पाकिस्तान और ईरान से मंगवाया गया। इसी भांति हमने यह कभी नहीं कहा कि लोग निर्यात कर सकते हैं। जैसा माननीय उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री ने कहा है केवल थोड़ी मात्रा में, कुछ सौ टन, चावल का निर्यात किया गया है। अतः जब तक सरकार के पास २२ लाख टन का भंडार है और वह उसे नहीं निबटाते हैं, चावल की कीमतों में वृद्धि अथवा कमी होने का कोई भय नहीं है। दो वर्ष पहले सरकारी भंडार में गेहूं की कीमत २० रुपये ८ आना प्रति मन थी। हर तीन महीने बाद हमने कीमत में एक रुपये की कमी कर दी और आज यह कीमत १४ रुपये ८ आने है। १५ दिन पश्चात् यह १३ रुपये ८ आने रह जायेगी। इसी तरह जो चावल हमारे पास है हम उस का ही उपयोग करेंगे। हम बाद में कीमत घटाने के लिये उसे रख छोड़ेंगे। सामान्य व्यापार से कीमतों को कम बनाये रखने के लिये यही समय है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट): श्रीमान्, मैं नहीं समझती हूं कि माननीय मंत्री ने भयानक बाढ़ों और सूखे के भय से उत्पन्न हमारी शंकाओं का उत्तर दिया है।

श्री किदवई: मुझे खेद है, मैंने बाढ़ों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा। मेरा विचार है आसाम में धान की फसल को बहुत हानि होगी बंगाल में हमें अधिक हानि नहीं उठानी पड़ेगी। मेरा विश्वास है उत्पादन १० प्रतिशत कम होगा। यद्यपि बाढ़ के द्रष्टा मेरी बातों से सहमत नहीं हैं, फिर भी मुझे प्रसन्नता है कि बंगाल के कृषि विभाग से भेजे

[श्री किदवई]

गये एक प्रतिवेदन में उसी बात का समर्थन किया गया है जो मैंने कही थी ।

राजस्थान में सूखा पड़ा है लेकिन यह चावल उत्पादन करने वाला क्षेत्र नहीं है । उत्तर प्रदेश में आंशिक सूखा पड़ा है और उड़ीसा में भी सूखा पड़ा है जो कि मुख्य रूप से चावल के उत्पाद का क्षेत्र है । लेकिन जैसा मुख्य मंत्री ने कुछ दिनों पहले कहा था फसल को अधिक हानि नहीं हुई । उड़ीसा में पिछले तीन दिनों से अच्छी वर्षा हो रही है । मैं आशा करता हूं कि पश्चिमी बंगाल में भी वर्षा होगी । फिर दक्षिणी बंगाल, दक्षिण बिहार के जिलों और अन्य स्थानों पर भी अनावृष्टि है । हमारा देश विशाल है और यहां सदा ही अनावृष्टि और बाढ़ की घटनाएं होती रहती हैं । लेकिन दक्षिण भारत में फसल आशातीत रूप में अच्छी हुई है वह अन्य स्थानों की कमी दूर कर देगी ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : माननीय मंत्री का यह अश्वासन है कि अनाज की कमी और कीमतों के बढ़ने का कोई भय नहीं है, जब कि दूसरी ओर अनावृष्टि है और प्रधान मंत्री के अनुसार यह सब से गम्भीर समस्या है ?

श्री किदवई : ऐसा मेरा आश्वासन है ।

श्रीमती सुषमा सेन : (भागलपुर दक्षिण) : बिहार में अनावृष्टि है । क्या माननीय मंत्री यह आश्वासन दे सकते हैं कि हमें वहां चावल मिलेंगे ?

श्री किदवई : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि उनके क्षेत्र में सामान्यता जितना उत्पादन होता है मैं उस से दुगुना सम्भरित कर सकता हूं ।

बाबू रामनारायण सिंह (हजारीबाग़ पश्चिमी) : सभापति महोदय, मैं किसान हूं । अभी खेती करा रहा था और वहां से आ रहा हूं । जिस प्रकार से सरकार का काम चलता है उस को मैं जानता हूं । मुझे मालूम होता है कि सरकार देश की बात को जानती नहीं है, और यदि जानती है तो उस पर चलती नहीं है ।

श्री एस० एस० मोरे : चलती है तो भागती नहीं ।

बाबू रामनारायण सिंह : अभी बात हो रही थी कि दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे मंत्री महोदय पूछते हैं कि कहां दाम बढ़ रहे हैं ? मैं समझता हूं कि इस जगह पर, इस दिल्ली शहर में शायद गेहूं १२ रु० मन बिक रहा था दस या बारह रोज पहले और अब करीब १६ या १७ रु० मन हो गया है ।

श्री किदवई : आप आज का अखबार पढ़ें, उस में १३ रु० मन है । मैं ने खुद कहा था कि यहां दाम बढ़ रहे हैं । **(अन्तर्बाधायें)**

बाबू रामनारायण सिंह : यहां दिल्ली में दूकानों पर गेहूं का भाव क्या है ?

श्री किदवई : हम लोग चावल की बात कर रहे हैं ।

बाबू रामनारायण सिंह : अजी साहब, गेहूं का दाम बढ़ेगा तो चावल का भी बढ़ेगा और चावल का बढ़ेगा तो गेहूं का भी बढ़ेगा, इस नियम को तो आप को जानना ही चाहिये ।

सभापति जी, मंत्री महोदय कह दिया करते हैं कि उन के खजाने में बहुत सा चावल भरा है, कभी कभी

कहीं हैं कि सर्प्लस है । लेकिन अभी तो खेती हो रही है, अभी से उन का यह कहने का क्या अधिकार है कि सर्प्लस है ? और अभी उन्होंने यह कहा कि उन के जानते हुए फूलड है ही नहीं । सिर्फ 'टाक' हो रही है । सभापति महोदय, यह जो बिहार, उड़ीसा और बंगाल का इलाका है वह सब धान का इलाका है, यहां अधिकतर चावल ही पैदा होता है । बिहार का उत्तरी हिस्सा तो प्रायः सभी पानी में डूब गया है । दक्षिण बिहार का रहने वाला मैं हूं, वहां पर कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत पानी है और कहीं पर नहीं है । कहीं पर धान कुछ रोपाना है और कहीं पर कुछ भी नहीं रोपा जा रहा है । जब से मैं आया हूं रोज रोज मेरे पास चिट्ठी आ रही हैं चारों तरफ से कि पानी नहीं बरसता है । लेकिन यहां पर सुनता हूं कि हमारे पास चावल का सर्प्लस है ।

सभापति महोदय : वह तो ठीक है, लेकिन आप का कहना क्या है, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाय या न बढ़ाई जाय ?

बाबू रामनारायण सिंह : सभापति महोदय, कैसे आप कहते हैं कि यही सवाल है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाय या न बढ़ाई जाय ? एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के साथ साथ आप यह मान लेते हैं कि आप के पास चावल इतना है कि आप उसे देश के बाहर भेज सकते हैं । लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप में अक्ल है तो आप एक छटांक चावल भी यहां से बाहर नहीं भेज सकते हैं । यह कैसी बात है कि आप एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हैं ? एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के साथ आप एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे रहे हैं कि यहां से खूब एक्सपोर्ट करो । सरकार को तो इस से कुछ एक्सपोर्ट ड्यूटी मिलेगी, इस लिए उन को इस से कोई मतलब नहीं कि देश में चावल की क्या स्थिति है । सभापति महोदय, यहां पर इस तरह की बातें कही जाती हैं कि सरकार के गोदामों में चावल भरा है । मैं जानता हूं कि जिस दिन चावल के बिना देश में लोग मर रहे थे, उस दिन भी गोदामों में चावल पड़ा सड़ रहा था, लेकिन देने वाला कौन है ? वह चावल खर्च थोड़े ही किया जाता है, वह तो सिर्फ उन के गोदामों में सड़ने के लिये ही रहता है । लोगों के खाने के लिए नहीं है ।

मैं और अधिक नहीं कहना चाहता, सिवा इसके कि देश की हालत बहुत बुरी है और चावल का एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए और यह प्रस्ताव पास नहीं होना चाहिये ।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री किदवई : क्या उनकी यह इच्छा है कि दक्षिण भारत के पत्तनों से निर्यात किया जाय ?

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, माननीय मंत्री ने कहा है कि अच्छे प्रकार के चावल के स्थान पर घटिया प्रकार के चावल को मंगाने से देश को कोई आर्थिक लाभ नहीं होगा । फिर मेरी समझ में यह नहीं आता कि सरकार को इस प्रकार के संकल्प के प्रस्तुत करने की क्या आवश्यकता थी । इसके अतिरिक्त माननीय खाद्य मंत्री ने कहा है कि दक्षिण भारत की स्थिति अच्छी है, और वहां से बिहार, उड़ीसा, आसाम, बंगाल तथा अन्य स्थानों को चावल भेजा जा सकता है । मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि आंध्र इत्यादि स्थानों को जाकर

[श्री बी० एस० मूर्ति]

देखें कि वास्तविक स्थिति क्या है । पुनरोपण का मौसम समाप्त हो गया है और फसल कटने तक सब भूमिहीन कृषि संबन्धी श्रमिकों को भूखा रहना पड़ेगा क्योंकि भण्डारों में ताले लगे हुये हैं और माल नहीं निकाला नहीं जा रहा है । मेरे विचार में इस संकल्प के प्रस्तुत करने में सरकार की कोई दूसरी ही योजना है जिसको वह बतलाना नहीं चाहती । आज देश की अवस्था अत्यन्त शोचनीय है । कहीं बाढ़ आई हुई है, कहीं सूखा है, और कहीं अन्न की बहुत कमी है । ऐसी स्थिति में जब कि देश के कुछ भागों में निम्न-मध्यम श्रेणी तथा निम्न श्रेणी के लोगों के पास पर्याप्त खाने को नहीं है चावल का निर्यात करना बहुत बड़ी मूर्खता है । अत: मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस पर पुन: विचार करे ।

श्री लोकनाथ मिश्र (पुरी) : क्या माननीय मंत्री का अभिप्राय यह है कि हम थोड़ी मात्रा में चावल का निर्यात करके उसके बदले में अधिक मात्रा में चावल का आयात कर सकें जो उतने ही मूल्य का हो ?

श्री किदवई : जी हां, हम अधिक मंगवा रहे हैं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यद्यपि अधिकांश सदस्यों ने अपने वक्तव्यों में मुख्य बात को छोड़ दिया तथापि चर्चा निस्संदेह काफी उपयोगी सिद्ध हुई है । यह संकल्प निर्यात की अनुमति नहीं मांगता; इसका आशय निर्यात शुल्क में वृद्धि करने से है ताकि निर्यात स्वच्छंद रूप से न बढ़ सके । इस संकल्प का रूप प्रतिबन्धात्मक है । साथ ही मैं सभा को यह बताता हूं कि चावल के सरकारी आयात के अतिरिक्त हम सामान्य व्यक्तियों के लिये भी चावल का आयात करने की अनुमति देते हैं । हम अनेक व्यक्तियों को अनुज्ञप्तियां देते आये हैं और जैसा कि मेरे साथी ने कहा, यद्यपि आयात के उद्देश्य से व्यापारियों को कुछ सीमाओं में रहते हुए खुले रूप से अनुज्ञप्तियां दी गई हैं तो भी केवल भाव उचित न होने के कारण बहुत बड़ी मात्रा में आयात न हो सका । उसका उपाय केवल यह है कि यदि अच्छे प्रकार का चावल आवश्यकता से अधिक है और जिसकी देश में अधिक मांग नहीं है तो उसको उन देशों को भेजा जाये जहां भारत से चावल जाता रहता है । मेरे माननीय मित्र श्री मोरे के अतिरिक्त मेरे द्वारा उपस्थित किये गये आंकड़ों से सबको विश्वास हो गया होगा कि इस समय चावल की स्थिति संतोषजनक है । मैंने आंकड़े उपस्थित कर दिये हैं किन्तु मैं फिर दोहराता हूं कि चालू साल में ४६,००,००० टन चावल आवश्यकता से अधिक पैदा हुआ है ।

श्री एस० एस० मोरे : यह आवश्यकता से अधिक किस दृष्टि से है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह आवश्यकता से अधिक गत वर्ष को दृष्टि में रखते हुये है और गत वर्ष के आयात को दृष्टि में रखते हुए तो निश्चयपूर्वक आवश्यकता से काफी अधिक है और चावल की कुल खपत २ करोड़ २५ लाख टन से अधिक नहीं हो सकती । गत वर्ष जो २० लाख टन चावल का आयात हुआ था उसको दृष्टि में रखते हुये चावल की खपत २ करोड़ २७ लाख टन से २ करोड़ ७१ लाख टन नहीं हो सकती । चावल खाने की हमारी शक्ति....

श्री एस० एस० मोरे : माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों को समझना कठिन है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अपने माननीय मित्र की समझने की शक्ति के बारे म मेरा बहुत ऊंचा विचार है परन्तु कठिनाई तो यह है कि वे इस शक्ति का प्रयोग करना नहीं चाहते । वे केवल इस संकल्प का विरोध करना चाहते हैं । आंकड़ों से उनको विश्वास हो जायेगा कि इस साल आवश्यकता से अधिक उत्पादन हुआ है परन्तु उस स्थिति में मैं क्या कर सकता हूं जब वे आंकड़ों को ही नहीं समझना चाहते । मेरे माननीय साथी ने उल्लेख किया है कि इस उत्पादन पर बाढ़ और सूखा का कुछ सीमा तक असर हुआ है और उनके विशेषज्ञों ने उनको यह बताया है कि यह आधिक्य किसी भी स्थिति में हमारी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है ।

अब जो कुछ किया जाने वाला है वह बहुत ही साधारण सी बात है । कुछ अधिक मूल्य वाला चावल है जिसकी बाहर मांग भी है । हम इस पर कुछ शुल्क लगा कर निकालना चाहते हैं । यदि माननीय सदस्य यह कहते कि २० प्रतिशत शुल्क को बढ़ा कर २५ प्रतिशत अथवा ७, ८ या ९ रु० कर दिया जाय जिससे अधिक रोक लगाई जा सके तो मैं सारी स्थिति पर पुन: विचार करूंगा और सभा में अपने प्रस्ताव रखना चाहूंगा किन्तु ऐसा कोई भी रचनात्मक सुझाव नहीं रखा गया है । हमने आयात के लिये अनुमति दे दी है किन्तु आयात बहुत कम हो रहा है । मेरे माननीय साथी ने अभी-अभी बताया कि त्रावनकोर-कोचीन पाकिस्तान से थोड़ा-बहुत चावल आयात करता है और आयातों में शीघ्रता करने के लिये उसने लाइसेंस मांगा है । एक बार विनियंत्रण हो जाने पर सीमा के अन्दर कुछ न कुछ सामान्यता चलती रहेगी । हम आयातों के लिये लाइसेंस दे देते हैं । हम वास्तविक स्थिति जानते हैं कितनी मात्रा आयात के द्वारा हमें प्राप्त हो सकेगी और कितनी नहीं । जहां तक निर्यातों का सम्बन्ध है, हमने उन पर रोक लगाने के लिये २० प्रतिशत शुल्क लगा दिया है । मेरे माननीय मित्र श्री रामचन्द्र रेड्डी ने जो यह कहा है कि मद्रास को इस लाभ से वंचित क्यों किया जाय, इसके साथ इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिये । वास्तव में इस सम्बन्ध में बहुत काफी विचार किया जा चुका है । पता यह लगा था कि इस क्षेत्र में चावल कठिनता से आवश्यकता भर को उत्पन्न होता है और जो चावल उत्पन्न होता भी है वह महंगे दामों वाला होता है । इस कारण हम स्टाक को बाहर नहीं भेजना चाहते। श्री रामचन्द्र रेड्डी ने जो यह कहा कि यहां बहुत सा चावल बच जाता है जिसका निर्यात कर देना चाहिय, इसकी तुलना श्री मूर्ति के इस कथन से कीजिये कि यहां चावल काफी नहीं है । मैं समझता हूं कि श्री मूर्ति ने श्री रेड्डी की बात का उत्तर दे दिया है । हमने प्रयत्न यह किया है कि विज़ाग का निर्यात न किया जाए क्योंकि हम चाहते हैं कि श्री मूर्ति को जिस आकस्मिक आवश्यकता की आशंका है वह न उत्पन्न हो। इस सम्बन्ध में पूरी सावधानी रखी गई है और जो आंकड़े मैंने पंजीकरण के सम्बन्ध में दिये हैं उनसे पता लगता है--मैं प्रथमवार अधिकतम मात्रा का उल्लेख कर रहा हूं जो २,००,००० टन होगा इससे पहले

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

कभी भी मैंने अधिकतम मात्रा नहीं बताई है कि यह मात्रा ३६,००० टन से कहीं कम होगी और वास्तव में माल भेजा बहुत कम गया है। यह बड़ी साधारण सी बात है। हम निर्यातों में घटा-बढ़ी पर ध्यान दे रहे हैं और यदि यह देखते हैं कि शुल्क बढ़ जाना चहिये तो उसे बढ़ाने पर भी विचार करते हैं। निर्यात शुल्क के सम्बन्ध में सामान्यता लाने के लिए सर्वोत्तम उपाय रोक लगाना है जो सुरक्षित भी है। यदि कुछ स्थानों में कुछ आधिक्य है और यदि उनको २५, २६ या २९ रु० प्रति मन मिलता है तो उनको निर्यात के लिए अनुमति दे देनी चाहिए, और यह शुल्क जो लगाया जायगा वह रोक का काम करेगा। यदि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि निर्यात शुल्क बहुत थोड़ी मात्रा तक सीमित होना चाहिए तो वे यह सुझाव रख सकते हैं कि निर्यात शुल्क पर्याप्त नहीं है। यदि सभा अनुमति दे तो मैं इसके विपरीत सुझाव रखूंगा और मैं इस के लिए आभारी हूं कि मैंने इतने अधिक सदस्यों को निर्यात के विरोध में पाया है. . . .

कुमारी एनी मैस्करीन : हम चावल का बिल्कुल निर्यात नहीं चाहते।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जिसका तात्पर्य यह है कि निर्यात शुल्क और अधिक होना चाहिए। मुझे आशा है कि मेरे ट्रावनकोर- कोचीन के माननीय मित्र यह समझ सकेंगे कि हमने स्थिति को सम्भाल लिया है। हमने दक्षिण भारत के पत्तनों को निर्यात की अनुमति नहीं दी है। हमने केवल बम्बई तथा कलकत्ता को ही यह अनुमति दी है।

ऐसी परिस्थिति में जब कि हमारे हाथ में अधिक या कम नियन्त्रण लगाने की शक्ति है, मैं सभा को यह आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि कोई विशेष हानि नहीं होगी और यदि कोई कठिनाई होगी तो सरकार सभा से परामर्श लेगी। हम सभा को सूचित करते रहेंगे। अतः इस समय यह उपाय हानि रहित है। और मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि इस संकल्प को स्वीकार किया जाए।

कुमारी एनी मैस्करीन : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि सुदूर दक्षिण भारत चावल के लिए उत्तरी भारत पर निर्भर रहता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वास्तव में, दक्षिण के लोग उत्तरी भाग के चावल २५ रु० या २७ रु० प्रति मन के भाव से नहीं खरीदेंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ (१९३४ का ३२वां) की धारा ४क की उपधारा (२) के अनुसरण में लोक-सभा भारत सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २४५४, दिनांक २४ जुलाई, १९५४, का, जिसके द्वारा उक्त अधिसूचना की तिथि से वे छिलके और छिलकेदार चावल और चावल के आटे पर, किन्तु चावल की भूसी और चूरे को छोड़ते हुए, जो निःशुल्क है, निर्यात शुल्क के ८२.२/७ पौंड के प्रति मन पर दो आने तीन पाई से बढ़ा कर मूल्यतः बीस प्रतिशत कर दिया गया है, अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मूंगफली के तेल पर निर्यात-शुल्क के बारे में संकल्प

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ (१९३४ का ३२वां) की धारा ४-क की उपधारा (२) के अनुसरण में, लोक-सभा भारत सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की २९ जुलाई की उस अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २५२० दिनांक २९ जुलाई, १९५४, का अनुमोदन करती है जिस के द्वारा उक्त अधिसूचना की तिथि से, मूंगफली के तेल पर ३५० रुपये प्रति टन का निर्यात-शुल्क लगा दिया गया था ।"

इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह है कि उस थोड़े से निर्यात के सम्बन्ध में जो कि किया गया है और जिस पर यह शुल्क लगाया गया है, सदन का अनुमोदन प्राप्त किया जाये । संसद् पहले ही मूंगफली के तेल पर ३०० रुपये प्रति टन का शुल्क लगाने की मंजूरी दे चुकी है और यह एक विधि है । शुल्क की राशि में समय समय पर परिवर्तन किया जाता है । शुल्क में कमी सरकार की कार्यपालिका शक्तियों द्वारा की जाती है । किन्तु इस अवसर पर इस ने अनुमान किया कि ३०० रुपये का शुलक काफ़ी नहीं होगा । इस लिए इसे ३५० रुपये तक बढ़ा दिया गया । उस के बाद इसे घटा कर २२५ रुपये प्रति टन कर दिया गया है जो कि संविदित शुल्क की सीमा के अन्दर ही है । अतः सदन जो अनुमोदन करेगा वह उस मात्रा पर अधिक शुल्क लगाने के लिए होगा जिस के आंकड़े मेरे पास हैं । यह मात्रा ९९७ टन है । शुल्क की घटी हुई दर जोकि अनुमोदित दर से बहुत कम है गत सप्ताह लागू हुई थी । अतः सदन यह अनुमान करेगा कि इसे केवल लगभग ९९७ टन पर अधिक शुल्क लगाने के लिये स्वीकृति देनी है ।

मूंगफली के निर्यात की स्थिति माननीय सदस्यों को ज्ञात है । १९५२-५३ में हम मूंगफली के तेल को निर्यात करने की अनुमति दे रहे हैं । मेरे विचार में जारी की हुई मात्रा लगभग ६०,००० टन थी । इसमें से २०,००० टन जुलाई-दिसम्बर, १९५२ की अवधि में जारी की गई थी । ३६-००० टन और जनवरी-जुन, १९५३ में जारी की गई थी और लगभग ९०० टन नये आने वालों के लिए रख लिये गये थे किन्तु मूंगफली की फसल अच्छी न होने के कारण और देश में खाद्य तेलों की खपत में सामान्य वृद्धि के कारण तेलों और तिलहन विशेषतया मूंगफली के मूल्य बढ़ गये थे । १९५३ के मध्य में इस का मूल्य लगभग २००० रुपये प्रति टन तक बढ़ गया था । उपभोक्ताओं की सहायता के लिए और सट्टेबाजी को कम करने के लिए अगस्त, १९५३ के बाद निर्यात बन्द कर दिये गये थे अर्थात इस मात्रा का आधा भाग जिस पर निर्यात शुल्क वसूल किया जाना था, निर्यात न हो सका । १९५३ के मध्य में स्थिति इतनी गम्भीर थी कि बम्बई, सौराष्ट्र और उत्तर भारत के कुछ राज्यों ने चिल्लाना शुरू कर दिया । इसलिए इसे अग्रेतर निर्यात को बन्द करने के लिए यह कार्यवाही करनी है । हम ने इस बात की भी व्याख्या की थी कि उन लोगों को जो मूंगफली के तेल को खाने के लिए नहीं बल्कि अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग करते थे, अन्य तेल दिये जायें । हम ने गरी के तेल पर शुल्क घटा दिया था और साबून बनाने वालों से कहा गया था कि वे गरी का तेल बड़े पैमाने पर

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

आयात करें । यह तेल आयात हुआ है । इस कारण और अच्छी फसल होने के कारण मूल्य गिर गये । मूल्य १६००, १५००, १४०० रुपये तक गिर गये थे और इस अधिसूचना को जारी करते समय ये मूल्य मद्रास में ११६०, ११५० रुपये के लगभग थे और बम्बई में ये २० या ३० रुपये अधिक थे । शुल्क का हिसाब उस समय विदेशों में प्रचलित मूल्यों के आधार पर लगाया गया था। यूरोपीय मंडियों में ये मूल्य १३० पौंड के लगभग थे ।

निर्यात व्यय, बरतनों के व्यय और दलालों के लाभ आदि को छोड़ कर लगभग ४५० रुपये का अन्तर रहता था । सरकार ने यह अनुभव किया कि दलालों के लिए १०० रुपये काफी हैं । इसलिए ३५० रुपये का निर्यात शुल्क लगाया गया था । हम ने इस बात का भी ख्याल रखा था कि बड़े बड़े निर्यातक जो पहले अत्यधिक कोटे ले जाते थे इस आयात का बहुत लाभ न उठायें। निर्यातक कोटा पहले निर्यातों का १५ प्रतिशत है और हम ने उच्चतम सीमा ४०० टन निश्चित की थी । अतः एक व्यक्ति को जिसे ४००० टन लेने का अधिकार है, केवल ४०० टन ले सकता था । यद्यपि हम चाहते हैं कि निर्यात की मात्रा १० हजार से १२ हजार तक होनी चाहिए, हम ने, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि १० या १२ बड़े बड़े निर्यातक जिनके हाथ में कुल निर्यात का ८० प्रतिशत भाग है प्रति व्यक्ति केवल ४०० टन ही ले सकते हैं, हम ने निर्यात कोटा १५ प्रतिशत तक बढ़ा दिया था । सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश विश्व की मंडियों में भाव गिरने शुरू हो गये । हमारा इरादा तो १० हजार से १२ हजार टन तक निर्यात करने का था, किन्तु वास्तविक निर्यात केवल ९९७ टन था क्योंकि मूल्य बहुत जल्दी गिर रहे थे । इसी स्थिति पर काबू पाने के लिए निर्यात शुल्क १२५ रुपये कम कर दिया गया था । हमारा विचार है कि वर्तमान मूल्य १०२० रुपये के लगभग होते हुए, यदि विदेशों में मूल्य ११६ पौंड प्रति टन रहा तो शुल्क में १२५ रुपये की कमी करने से निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा । अतः इस प्रश्न की कि हमें निर्यात करना चाहिए या नहीं मुझे बहुत चिन्ता है । वास्तव में निर्यात की अनुमति देने के मामले में कुछ कड़ाई के कारण कुछ स्थानों पर मेरी आलोचना की गई है । पिछली बार हमें बहुत बुरा अनुभव हुआ । उस तेल के मूल्य जिस का निम्न मध्य श्रेणी के लोग प्रयोग करते हैं, २००० रुपये प्रति टन तक बढ़ गये थे । ये भाव युद्ध से पहले के दिनों से आठ या नौ गुना अधिक हैं । युद्ध से पूर्व के दिनों में मूंगफली के तेल के मूल्य २०० और २८० रुपये के बीच घटते बढ़ते रहे । जब ये २००० रुपये प्रति टन तक बढ़ गये थे तो माननीय सदस्य अपना हिसाब लगा सकते हैं । वास्तव में, मैं बतलाता हूं कि ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई । पहली बात यह थी कि फसल कम हुई, दूसरी यह कि उपभोग बढ़ गया था और अब भी बढ़ रहा है । आप जानते हैं कि खाद्य पदार्थों का उपभोग भी बढ़ गया है । अनाज के उपभोग की तो एक सीमा है किन्तु यदि लोगों के पास धन कुछ अधिक हो जाये तो चीनी और खाद्य तेलों का उपभोग बढ़ जाना स्वाभाविक है । अतः गत वर्ष मूल्य केवल इस लिए नहीं बढ़ गये थे कि फसल कम हुई थी बल्कि इस लिए भी कि उपभोग बढ़ गया था ।

विगत वर्ष सारे संसार के लिए एक बुरा वर्ष था। संसार का सारा उत्पादन संसार के तेल व चरबी के उपभोग से १२॥ प्रतिशत कम था, जिस का अपना प्रभाव पड़ा है। क्योंकि संसार में औद्योगिक पदार्थों के सम्बन्ध में तेल व चरबी का उपभोग कुछ कम हो गया है। विशेषकर साबून में जहां बहुत से देशों ने मिले हुए शोधक पदार्थों को अपना लिया है। स से संसार में तेल तथा चरबी के उपभोग म पर्याप्त कमी हो गई है। परन्तु यह न तो यहां है और न वहां है।

सरकार को पिछले वर्ष का ध्यान है और इस का ध्यान रखते हुए विदेशी विनियम प्राप्त करने के लिए हमने निर्यात की अनुमति देने में बड़ी सावधानी से काम किया है। मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि तेलों तथा तिलहनों के बारे में, कदाचित अंडी का तेल, नाइजर के बीज (काले तिल) और ऐसी ही चीज़ों को छोड़ कर, हमारी स्थिति आधिक्य की स्थिति नहीं आई है। जहां हमारी उत्पादन-मात्रा का सम्बन्ध है, अभी हमारी यह स्थिति नहीं है कि यह कहा जा सके कि हमारे पास पर्याप्त आधिक्य है।

रुचि रखने वाली बहुत सी संस्थाओं ने अनुमान लगाये हैं। मेरे पास आदोनी तेल व्यापारी संस्था द्वारा लगाये गये अनुमान हैं, मद्रास तेल व्यापारी संस्था ने उन की पुष्टि की है। वे यह प्रकट करते हैं कि चालू वर्ष के अन्त में ९ लाख टन तेल आगामी वर्ष के खाते में ले जाया जायेगा। दूसरी ओर, अन्य लोगों द्वारा तैयार किये गये अनुमान हैं जो यह प्रकट करते हैं कि केवल २ लाख १० हज़ार टन तेल का आधिक्य होगा जो कि केवल आगे ले जाने के लिए पर्याप्त होगा और जो भावी फसल के समस्त अनिश्चयों की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। अतः आजकल हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि यह कह सकें "यह ठीक है; हमें निर्यात को मुक्त करना चाहिए और मूल्यों में वृद्धि होने देना चाहिये।"

मेरे माननीय मित्र खाद्य तथा कृषि मंत्री ने यह बात कही तो थी कि खाद्यान्नों के मूल्य कम हो रहे हैं और अन्य सारी वस्तुओं के मूल्य, जो कृषि से उत्पन्न की जाती हैं इन के साथ ही कम होते हैं। यदि खाद्य पदार्थों के मूल्य कम होते हैं और अन्य वस्तुओं के मूल्य ऊंचे रहते हैं, तो खाद्यान्न की खेती की बजाय अन्य वस्तुओं की खेती अधिक होने लगेगी। उन्होंने यह बात गन्ने के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कही थी। अतः हमें कुछ समानता रखनी है। मान लीजिये कि आज हम मूंगफली के तेल का मूल्य १,००० रु० से १,०५० रु० तक स्वीकार कर लेते हैं तो यह युद्धपूर्व के काल के मूल्यों की अपेक्षा लगभग चार या पांच गुना अधिक होगी। यहां माननीय सदस्य चावल-मूल्यों की चर्चा कर रहें थे। दक्षिण भारत में भी जब कि मण्डी में भी मूल्य १५ रु० ११ म० पू०

प्रति मन था, तब भी युद्धपूर्व के मूल्यों का ठीक चार गुना न था। मैं आग्रहपूर्वक नहीं कहता कि—मैं अपना केवल एक विचार व्यक्त कर रहा हूं—यदि हम मूल्यों को युद्धपूर्व के मूल्यों की अपेक्षा लगभग तीन या चार गुने तक स्थिर बना सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें सर्वथा सन्तुष्ट होना चाहिए। कृषकों को लाभ होगा और उपभोक्ता भी सन्तुष्ट होंगे। अतः यहां समूचा विचार यह है कि हमें प्रतिटन मूल्यों को लगभग १,००० रु० पर स्थिर बनाने का प्रयास करना

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

चाहिये और एक सुरक्षा उपाय की गुंजाइश रखनी चाहिए, ताकि मूल्यों को स्थिर रखा जा सके।

इसके अतिरिक्त एक बात और है जो यह बताती है कि यदि फसल अच्छी हो और देश में अधिकतर हो, तो तेल के मूल्यों को लगभग १,००० रु० टन पर स्थिर किया जा सकता है, क्योंकि गरी के तेल का हमारा आयात-मूल्य ९७८ रु० प्रति टन होता है। यदि मूंगफली के तेल का मूल्य वास्तव में उतना हो जाता है तो लोग गरी के तेल का आयात नहीं करेंगे। इसमें बहुत सी संरक्षक बातें हैं। यह ऐसी बात नहीं है जो आसानी से किसी प्रदेश-विशेष या कुछ व्यक्ति-विशेषों या लोगों के किसी विशेष वर्ग के हित का विचार करके निपटाई जा सके। सरकार को सारे मामले का एक सर्वांगीण दृष्टिकोण अपनाना है।

मैं जानता हूं कि अब दूसरी ओर के माननीय सदस्य इस मामले की दूसरी ओर का उल्लेख करेंगे—मैं देखता हूं कि मेरे माननीय मित्र डा० रामा राव की आंखें चमक रही हैं—परन्तु बात यह नहीं है कि मुझे इसका ज्ञान ही नहीं है। इस बात का विरोध होता रहा है। श्रीमान्, मेरे माननीय मित्र श्री जगजीवन राम (संचार मंत्री) की आय में हमें इस प्रकार के कार्ड भेजने से वृद्धि हो गई है। यह तैलगू में छपा है। यहां जो लिखा है उसका इंगलिश अनुवाद यह है "मूंगफली के तेल के निर्यात की अनुमति दो और उचित मूल्यों को सुनिश्चित बनाओ"। मेरा नाम 'गारु' शब्द सहित छपा है—जिस व्यक्ति ने यह किया है मैं उसका बहुत कृतज्ञ हूं—अर्थात् यह एक सम्मान-दायक उपाधि है। मेरा नाम 'टी० टी० कृष्णमाचारी गारु' लिखा गया है।

अध्यक्ष महोदय: 'गारु' का क्या अर्थ है?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यह एक उपाधि है। केवल 'टी० टी० कृष्णमाचारी' कहने के बजाय यह कहने का एक शिष्टाचारपूर्ण ढंग है। परन्तु इस प्रकार का शिष्टाचार उत्तर भारत में नहीं है। खैर, किसी ने, किसी रुचि रखने वाले व्यक्ति ने, यह किया है। यह कार्डस् एक प्रेस में छपे हैं। इस पर तीन पैसे का टिकट लगाने से यह प्रत्येक स्थान पर जाता है। मैं जानता हूं कि इसे कितना महत्व देना चाहिए। केवल यह दिखाने के लिए मैंने यह एक कार्ड ले लिया है कि दबाव डालने वाले ढंग अपनाये जाते हैं। यह एक प्रकार का दबाव डालने वाला वर्ग है।

दूसरी ओर मुझे सौराष्ट्र सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं, जिन्हें पिछली फसल में मूंगफली के तेल के ऊंचे मूल्य होने के कारण बहुत बदनाम होना पड़ा।

उनका कहना है कि "घटना का ध्यान रखो तथा उसे अधिक गम्भीर रूप धारण न करने दो"।

श्रीमान्, मेरा कहना यह है कि हमने जो भी किया है वह विदेशी मूल्यों का ध्यान रख कर मूल्यों को एक निश्चित मान पर सुदृढ़ बनाने के लिये किया है। यदि मूल्य मेरी यह अधिसूचना जारी करने के पूर्व कम हो जाते, तो मैं यह संकल्प कभी प्रस्तुत न करता। इसका कारण यह है जैसा कि मैं बता चुका हूं

कि मुझे विधि के अधीन ३०० रु० या उससे कम निर्यात शुल्क लगाने का अधिकार है। यह संकल्प-विशेष केवल उस शुल्क निर्धारण को प्रभावित करता है जो हमने ९९५ टन पर लगाया है और शुल्क घटा कर २२५ रु० कर दिया गया है। हम स्थिति का सावधानीपूर्ण निरीक्षण कर रहे हैं। यदि मूल्यों में और अधिक कमी होती है, या विदेशी मूल्य कम हो जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि निर्यात शुल्क में समय समय पर समायोजन होगा। मैं नहीं चाहता कि मुझे बार बार इसका स्मरण कराया जाय। यह एक ऐसा मामला है जिसके बारे में यह सरकार भी—मुझे खेद है कि मेरे माननीय मित्र श्री मोरे यहां नहीं हैं—जिसे वह पसंद नहीं करते, कभी कभी स्थिति की आवश्यकताओं को समझती है। मैं सदन को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम मूल्यों को एक हज़ार से बहुत अधिक नीचे नहीं जाने देंगे। लेकिन यदि संसार के मूल्यों में अत्यधिक कमी हो गई तो उस स्थिति में हो सकता है कि हम कुछ न कर सकें। परन्तु उसका कोई डर नहीं है। संसार के उत्पादन का पिछला अनुमान बताता है कि संसार के उत्पादन में आधिक्य बहुत थोड़ा है। समूचे रूप में संसार में तेलों तथा चरबियों के उत्पादन में लगभग ३५०,००० टन का आधिक्य होगा। यह बहुत थोड़ी मात्रा है और, इसलिये, मुझे मूल्यों में इतनी गिरावट की आशंका दिखाई नहीं पड़ती कि मूल्य एक हज़ार से नीचे चले जायें। यदि यह जाते हैं तो काम करने के अन्य ढंग हैं। मैं ने कहा था कि यदि मूल्य हज़ार से नीचे चला जाता है तो हम गिरी के तेल का आयात बन्द कर देंगे और हम अपनी आयात व्यवस्था का अन्य कामों के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। मूल्य उसके लगभग ही स्थिर रखा जायेगा। कुछ भी हो, इस मान पर मूल्यों को स्थिर बनाने के लिए सरकार भरसक प्रयत्न करेगी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह संकल्प पारित किया जाय।

सभापति महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नल्लोर) : जब माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने मज़ाक बनाते हुए उस विरोध का उल्लेख किया जो उन्हें पत्र द्वारा उचित ढंग से प्रदर्शित किया गया था, तो मुझे कुछ आश्चर्य आ ....

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि इसमें कोई मज़ाक नहीं है। यह तो केवल वास्तविकता की अभिव्यक्ति है।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : जो संकल्प सभा में प्रस्तुत किया है वह इतना सीधा नहीं है जितना कि माननीय मंत्री ने बताया है। मूंगफली उगाने वालों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उन्हों ने हमें प्राप्य मूंगफली की कुल मात्रा नहीं बताई है—१९५३-५४ वर्ष का उत्पादन— और यह नहीं बताया है कि १९५४-५५ की फसल से लगभग कितनी मात्रा में मूंगफली प्राप्त होगी। इसमें संदेह नहीं कि मूंगफली पर निर्यात शुल्क में कमी कर दी गई है। परन्तु देश में प्राप्य अतिरिक्त मूंगफली के निर्यात का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। इस प्रकार उन्होंने प्रश्न के केवल एक अंग पर विचार किया है दूसरे पर नहीं जोकि अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने मूंगफली के निर्यातकों का कोटा नहीं बढ़ाया है। इस दृष्टि से कि मूंगफली के मूल्यों तथा मूंगफली के तेल के मूल्यों में गहरा सम्बन्ध है, मूंगफली

[श्री रामचन्द्र रेड्डी]

के मूल्य को भूलना नहीं चाहिये और मूंगफ़ली का निर्यात करने की सुविधाएं भी समाप्त नहीं करनी चाहियें जब तक कि मूंगफली के तेल की अधिक मांग न हो तब तक तेल निकालने वाले उत्पादकों से मूंगफली न लेंगे । मूंगफली पर निर्यात शुल्क में इस प्रकार की कमी और तेल पर निर्यात-शुल्क में वृद्धि से उत्पादकों को तनिक भी लाभ न होगा और तेल का निर्यात करने वालों को बहुत ही कम लाभ होगा । अतः यह आवश्यक है कि सरकार इस सारी बात पर पुनर्विचार करे कि सरकार की कार्यवाही से उत्पादक को हानि न हो । जिन देशों को हमारे तेल की आवश्यकता है वे अधिक निर्यात शुल्क पर कितना तेल लेंगे इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये । जहांतक माननीय मंत्री को मैं समझ पाया हूं, उन्होंने हमें इसका विवरण नहीं दिया है ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : मैं जिला अनन्तपुर का रहने वाला हूं जहां मूंगफली नकदी की अत्यधिक महत्वपूर्ण फसल है । वहां खाद्यान्न की फ़सल की अपेक्षा इसे प्राथमिकता देकर हजारों एकड़ भूमि में मूंगफली की खेती होती है । और इस तरह हमें हानि हुई हैं । यह मेरा व्यक्तिगत विचार है । यद्यपि मेरी टीका टिप्पणी प्रश्नास्पद बात से संगति नहीं रखती है, परन्तु यह एक ऐसा समय है जब कि मूंगफली के तेल के निर्यात के बारे में सरकार की नीति प्रश्नास्पद है । मैं इस सम्बन्ध में दो एक वे बातें कहना चाहता हूं जो मैंने उस टीका टिप्पणी में सुनी हैं जो कि देश में हो रही हैं वे यह हैं कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस निर्यात-नीति पर सदैव ही अत्यधिक अनुचित समय विचार किया गया हैं । मैंने सदैव यह देखा है कि निर्यात की नीति की घोषणा उस समय नहीं की जाती जब कि कृषक अपनी फसल काट चुका होता है और अपना उत्पादन बाजार में लाता है । बल्कि यह उस समय होती है जब कि सारी मात्रा कृषक या उत्पादक के हाथ से निकल कर बिचोलियों पूंजीपतियों या रुचि रखने वाले व्यक्तियों के हाथ में चली जाती है, और जब वे आन्दोलन करते हैं तो सरकार भी उस पर विचार करती है । यह स्थिति का निकृष्टतम रूप है । सभा के समक्ष मैं स्पष्ट रूप से इसी का उल्लेख करना चाहता हूं । अतः वास्तविक हल यह है कि आप निर्यात के लिये एक कोटा निश्चित कर लें । अन्य देशों ने इसे उत्पन्न करने का प्रयास किया पर वे असफल रहे । यदि भारत उन्हें यह माल नहीं देगा तो वे या तो उसे उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे या उसके स्थान पर कोई अन्य वस्तु का प्रयोग करेंगे । यदि एक बार उन्हें कोई उपयुक्त स्थानापन्न तेल मिल जायेगा तो हमारे देश का यह बाजार सदैव के लिए नष्ट हो जायेगा और मूंगफली पैदा करने वालों को हानि उठानी पड़ेगी ।

मैं स्वीकार करता हूं कि मंत्रालय का कार्य सम्पूर्ण देश के चित्र पर विचार करना है किसी विशिष्ट क्षेत्र का नहीं; पर यह विषय भी विवाद्य तथा विचारणीय है ।

एक तर्क यह भी हमारे सम्मुख रखा गया कि इस तेल को हमारे देश की गरीब जनता प्रयोग में लाती है । पर इसके निर्यात रोकने का केवल यही कारण नहीं है कि इसका उपभोग बढ़ गया है । सस्ती चीज का उपभोग चढ़ ही जाता है मैं मानता हूं कि उपभोग बढ़ गया है पर क्या इसी कारण इस नीति को जन्म दिया गया है । आपका यह तर्क आधारहीन है ।

पिछले सत्र के बाद के दिनों में जब मैं अपने चुनावक्षेत्र की ओर गया था कुछ लोग जिनमें इसके छोटे तथा बड़े उत्पादक भी थे मेरे पास आये और पूछने लगे कि हमारी सरकार की क्या नीति है। मैं ने उन्हें उत्तर दिया कि जनता इस तेल को खाती है, तुम बिचौले हो तुम्हारे गोदामों में माल भरा हुआ है, तुम यह दिखलाना चाहते हो कि स्थिति नाजुक है और निर्यात करना चाहते हो ! मैं ने यह उत्तर केवल तर्क के रूप में दिया पर मुझे तनिक भी संतोष नहीं था ।

देश के अधिक भाग में उत्पन्न होने वाली ऐसी वस्तु के संबंध में एक मूल्य-तल होना चाहिए जिस पर कि उत्पादक निर्भर रह सके । तनिक विचार कीजिए, एक, डेढ़ मास पूर्व निर्यात के लिए एक कोटा निश्चित किया गया । उसी समय कृषकों को नये बीज की भी आवश्यकता हुई अतः जब कृषकों को बीज क्रय करना पड़ा तो मूल्य बढ़ा दिये गये ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है बल्कि उनमें कमी हो गई है।

श्री राघवाचारी: जब आप ने निर्यात का कोटा खोल दिया था तब तात्कालिक प्रतिक्रिया के रूप में मूल्यों में बृद्धि हो गयी थी।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: सत्य यह है कि उस समय मूल्यों में अचानक दस रुपया बढ़ गया था पर उस समय के पश्चात निरन्तर मूल्यों में कमी ही होती जा रही है ।

श्री राघवाचारी: मैं निर्यात और कोटा की नीति के सम्बन्ध में ही बता रहा हूं जिससे बाजार तथा जनता प्रभावित हुई । बीजों के क्रय करने का समय कुछ दिनों तक ही रहता है । उस समय निर्यात कोटा की स्वीकृति के कारण मूल्य बढ़ गये थे । पर जब मूंगफली की फसल तैयार हो गई तब निर्यात नीति कोटा का निश्चय नहीं करती । मूल्य कम हो गये हैं । मुझे भय है कि यह नीति सम्भवतः हमारी सब से अधिक महत्वपूर्ण और धनोत्पादक फसल के बाजार को नष्ट कर देगी । मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि सम्पूर्ण देश के लिए एक विशेष स्थायी कोटा के आधार पर देश की निर्यात नीति को निर्धारित करें । मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री ने कुछ कारण बताये हैं । वह कारण निर्यात करने वालों से सम्बन्धित हैं । उत्पादक कृषकों को मूल्य का लाभ उठाने की सुविधा देने के लिए निर्यात के लिए हर वर्ष एक कोटा निश्चित कर देना आवश्यक है ।

सभापति महोदय: दूसरे माननीय सदस्य को भाषण देने के लिए बुलाने के पूर्व में सभी सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि अनेक सदस्य प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ न कह कर सरकार की नीति के सम्बन्ध में भाषण करते हैं पर यह अनुचित है । अतः जब हम एक प्रस्ताव पर वाद विवाद करते हैं तो स्वभावतः हमें ध्यान रखना चाहिए हमारा वाद विवाद प्रासंगिक और प्रस्ताव की सीमा में ही रहे । इस प्रकार हम प्रस्ताव से सम्बन्धित विषयों पर ध्यान केन्द्रित करने में अधिक सफल रहेंगे ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी (चित्तूर): मुझ प्रसन्नता है कि इस वाद विवाद में उपभोक्ताओं पर से महत्व को हटा कर उत्पादकों को महत्व दिया गया है । मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री को बधाई

[श्री विश्वनाथ रेड्डी]

दूंगा कि उन्होंने मूंगफली तेल पर निर्यात-शुल्क में कमी कर दी है जिससे उत्पादकों को लाभ होगा ।

गत चार या पांच वर्षों में यह देखा गया है कि जब उत्पाद उत्पादकों के हाथ में रहती थी मूल्य कम रहता था सरकार की नीति की भी घोषणा नहीं की जाती थी । पर ज्यों ही वह उत्पाद, उत्पादकों के हाथ से बाहर हो जाती थी, सरकार अपनी नीति घोषित कर देती थी मूल्य में वृद्धि हो जाती थी और लाभ अन्य लोगों को होता था । पर इस वर्ष कार्यप्रणाली बिल्कुल उलटी है । उत्पादकों ने उत्पाद को अपने पास रख कर सरकार की नीति की घोषणा की प्रतीक्षा की पर सरकार ने नीति की घोषणा नहीं की अब जब सरकार ने निर्यात नीति की घोषणा की, तो मूंगफली तेल के निर्यात पर निर्यात शुल्क बहुत अधिक लगा दिया । परिणामस्वरूप मूल्यों में गिरावट हो गई और गिरावट इतनी अधिक हो गई कि उत्पादकों को उत्पादन व्यय के बराबर भी नहीं मिलता ।

मैंने अपने व्यक्तिगत ज्ञान तथा प्राप्त आंकड़ों से यह हिसाब लगाया है कि मूंगफली का उत्पादन प्रति एकड़ लगभग २५ मन है और इसका मूल्य ७५ रुपया के लगभग हुआ । बीज का मूल्य कृषि का व्यय, यातायात और उसे संग्रह करते रहने का व्यय भी उत्पादक को मिलना चाहिये । इस प्रकार उसको कुल शुद्ध लाभ १५ प्रति एकड़ मिलता है । इसी में से उन्हें शिक्षा तथा चिकित्सा सम्बन्धी व्यय भी देना पड़ता है और देश के कु भाग में केवल यही धनोत्पादक फसल होती है । मैं नहीं समझ पाता कि किस आधार पर माननीय मंत्री मूंगफली का उचित मूल्य १००० रु० प्रतिटन बतलाते हैं । मूंगफली की उपज में भी कमी हो रही है । कारण स्पष्ट है कि सरकार ने इसकी उपज वृद्धि के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया उधर उत्पादकों को उसका उचित मूल्य नहीं मिला । अतः मैं निवेदन करूंगा कि वर्तमान मूल्य तक उत्पादकों के लिये नितान्त अलाभ-दायक है । यदि दशा ऐसी ही रही तो एक दो वर्ष में मूंगफली के उत्पादन क्षेत्र में बहुत कमी हो जायेगी । मुझे अति प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने उत्पादकों की समस्याओं पर विचार किया और सभा को विश्वास दिलाया कि वह परि-स्थितियों का विशेष अध्ययन करते रहेंगे और अवसर पाने पर मूल्य में वृद्धि करने में चूकेंगे नहीं । पर कुछ उत्पादकों के पास अभी मूंगफली का माल काफी मात्रा में पड़ा हुआ है । पर वह बहुत दिनों तक नहीं रखा जा सकता । अतः यदि वास्तव में माननीय मंत्री उत्पादकों को तनिक भी अधिक मूल्य देने के पक्ष में हैं तो मूंगफली के तेल के निर्यात के अधिक कोटा की घोषणा करें और उस पर लगाये गये शुल्क का उन्मूलन भी कर दें । पर यदि शुल्क का सम्पूर्ण उन्मूलन संभव नहीं, तो उसे २२५ रु० प्रति टन से घटाकर १५० रु० प्रति टन तक अवश्य कर दें । वर्तमान समय में सरकार के पास प्रतिवर्ष की सम्पूर्ण उपज, सारे देश में उपभोग तथा निर्यात योग्य अति-रिक्त का अनुमान लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है । पर सरकार को कम से कम मूंगफली की उपज तथा निर्यात योग्य अतिरिक्त के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए ताकि फसल बाजार में आने के पूर्व

सरकार निर्यात नीति की घोषणा कर सके ताकि उत्पादकों को लाभ हो न कि अन्य लोगों को । और मेरी धारणा है कि उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों के हित आपस में विरोधी नहीं हैं ।

उत्पादकों से छीन कर उपभोक्ताओं को देने की नीति लाभदायक नहीं हो सकती । हो सकता है कि इस देश का उत्पादक शहर के निवासियों की भांति आन्दोलन नहीं कर सकता जैसा कि अभी हाल में बैंक कर्मचारियों ने किया, पर ऐसी स्थिति बहुत समय तक नहीं चल सकती । वह कोई आन्दोलन नहीं करते इसका अर्थ यह नहीं कि उनकी समस्या कोई महत्व नहीं रखती । वह बहुत दिनों से कष्ट सहन कर रहे हैं पर उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है । पर यदि सरकार उपभोक्ताओं को कम दाम पर मूंगफली का तेल दिलाना चाहती है तो मूंगफली की प्रति एकड़ उपज बढ़ानी पड़ेगी ।

गत पांच वर्षों से मैं देखता आ रहा हूं रायलसीमा के मूंगफली उत्पन्न करने वाले क्षेत्र की भूमि की उत्पादन शक्ति एक विशेष प्रकार की घास द्वारा बहुत क्षीण हो गई है । पर सरकार या किसी अन्य अभिकरण द्वारा इन रुकावटों को हटाने का कोई उपाय नहीं हो रहा है । और जब तक उत्पादन शक्ति की वृद्धि नहीं होगी उपभोक्ताओं का हित उत्पादकों को लूट कर नहीं पूरा किया जा सकेगा ।

अन्त में, मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार शहर के नहीं बल्कि देहात के हित में काम करे क्योंकि उत्पादक की सम्पन्नता का अर्थ उपभोक्ताओं की सम्पन्नता ही होता है ।

श्री गोपालराव : सर्वप्रथम मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मूंगफली की समस्या की तुलना चावल की समस्या से नहीं की जा सकती क्योंकि दोनों के आधार सर्वथा भिन्न हैं । मूंगफली का हमारे देश की कृषि सम्बन्धी आर्थिक दशा में महत्वपूर्ण स्थान है । यह देश के एक बड़े भाग में पैदा की जाती है । ११० लाख से १२० लाख एकड़ तक भूमि में इसकी कृषि होती है और लगभग ३५ लाख टन मूंगफली उत्पन्न होती है । इसका मूल्य सैकड़ों करोड़ होता है । अतः इसका बड़ा महत्व है और जब हम इस समस्या के हल पर विचार कर रहे हैं तो हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए । हमारे माननीय मंत्री ने बताया है कि इस वर्ष १९५३-५४ में मूंगफली की उपज सबसे अधिक लगभग ३७ लाख टन है । पर मूल्य में कमी होने के कारण यह सब सामान इकट्ठा पड़ा हुआ है । हमारे कुछ मित्रों ने बताया है कि इसकी उपज आवश्यकता से अधिक हो गई है पर ऐसी बात वास्तव में है नहीं क्योंकि यदि आप तेल और स्नेह की प्रति व्यक्ति की वार्षिक सम्पूर्ण उपलब्धि को देखें तो वह १०.२ पौण्ड है जबकि न्यूनातिन्यून पौष्टिक आवश्यकता प्रति व्यक्ति वार्षिक ४० पौण्ड का होता है । अतः आप स्थिति को भली भांति समझ सकते हैं । अब प्रश्न यह है कि इस इकठ्ठे हुए संग्रह को कैसे हटाया जाय ।

अभी माननीय मंत्री ने कहा कि वह उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कहां तक सत्यता है । यदि आन्तरिक आवश्यकता की पूर्ति न हो पाती या आन्तरिक बाजार में मूल्यों में असाधारण वृद्धि हो गई होती तो निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाना या निर्यात शुल्क को असाधारण रूप से बढ़ाना उचित था । पर वास्तव में यह स्थिति

[श्री गोपालराव]

आज नहीं है । इस वर्ष उपज में कमी नहीं है बल्कि आवश्यकता से अधिक उपज है । मूल्य के तल में भी गत एक वर्ष से कमी हो रही है यह उत्पादन के लिए अलाभदायक है पर आश्चर्य की बात यह है कि मूंगफली के मूल्य में इतनी कमी का प्रभाव मूंगफली के तेल के फुटकर मूल्य पर कुछ भी नहीं हुआ है । इस नीति से लाभ किसका है ? निर्यात-शुल्क का उद्देश्य आन्तरिक मूल्य पर नियंत्रण करना और लोगों की आन्तरिक आवश्यकतों की सुरक्षा करना है पर आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है । हमारे देश में आवश्यकता से अधिक उपज है । सरकार को सम्पूर्ण देश में उत्पादन तथा उपभोग का पता लगाने के लिए एक व्यापक योजना बनानी चाहिये ताकि अतिरिक्त संग्रह को हम विदेशों में निर्यात कर सकें और इस प्रकार अधिक धन उत्पन्न कर सकें ।

पर, आज की वास्तविक दशा क्या है ? मूंगफली के तेल के निर्यात पर असाधारण निर्यात शुल्क दर लगा दिया गया है जिसका अर्थ वस्तुतः निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाना है ।

निर्यात पर लगाये जाने वाले इस प्रतिबन्ध तथा निषेध का परिणाम क्या है । गत दो वर्षों में मूंगफली के तेल का मूल्य, मेरे राज्य में तथा अन्य राज्यों में, ४० प्रतिशत यहां तक कि कहीं कहीं ५० प्रतिशत कम हो गया है । मूंगफली के तेल की सब से अधिक खपत वनस्पति उद्योग में होती है । इस लिये निर्यात पर लगाई जाने वाली इस रोक से अन्तर्देशीय मूल्यों में जो कमी होती है उस का लाभ केवल मात्र वनस्पति उद्योग वाले ही उठाते हैं । वनस्पति उद्योग के मालिक मुख्यतः अंग्रेजी पूंजीपति ही हैं तथा इस उद्योग पर उनका एकाधिकार है । फुटकर बिक्री की दुकानों में इस कमी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है तथा उपभोक्ता को इससे कोई लाभ नहीं होता है । मूंगफली के उत्पादकों को भी इस से कोई लाभ नहीं होता है क्योंकि मूंगफ़ली की खेती उन के लिये प्रति दिन कम से कम लाभदायक होती जा रही है ।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इतना भारी निर्यात शुल्क लगाने की आवश्यकता क्या है । यदि आप उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना चाहते हैं तो आप अन्तर्देशीय खपत वाले तेल का अधिकतम मूल्य निर्धारित कर सकते हैं । इसके लिये आप को ज्ञात होना चाहिये कि देश की आवश्यकता कितनी है तथा देश में इसको खपाने की क्षमता कितनी है । इन सब का पता लगाने के बाद ही आप अधिकतम मूल्य निर्धारित कर सकते हैं । अधिकतम मूल्य निर्धारित करने में आपको साधारण जनता की क्रय शक्ति का ध्यान रखना होगा, साथ ही यदि आप लाखों उत्पादकों के हितों की रक्षा नहीं की तो इस उद्योग का उत्तरोत्तर विकास असंभव हो जायेगा । इस के अतिरिक्त आप को यह ध्यान में रखना होगा कि यह सामग्री कितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन करेगी ।

अभी अभी माननीय मंत्री ने बताया है कि गत वर्ष ६०,००० टन मूंगफली का तेल निर्यात किया गया था । गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष का उत्पादन २५ प्रतिशत अधिक है । पांच छै सप्ताह में नई फसल तैय्यार हो जायेगी । वर्षा

अनुकूल होने पर उत्पादन लगभग ४० लाख टन होगा, नहीं तो ३० लाख टन तो होगा हीं । इस के सम्बन्ध में सरकार की योजना क्या है ? सरकार को चाहिये कि आगामी कुछ सप्ताहों में जितनी कुल फ़सल आने की संभावना है उस पर तथा वर्तमान स्टाक पर विचार कर के एक योजना बनावे, अन्तर्देशीय खपत के तेल का अधिकतम मूल्य तथा उत्पादक की फ़सल का न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दे तथा शेष स्टाक विदेशों को निर्यात किया जाना चाहिये । इसके लिये हम को अपने को अंग्रेजी साम्राज्यवादी अभिकरणों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिये । जहां हमें अच्छे दाम मिलें हम उन देशों को निर्यात करें । इसीलिए मेरा सुझाव है कि निर्यात शुल्क घटा कर कम से कम १५० रुपये प्रति टन कर दिया जाये ।

श्री तुलसी दास (मेहसाना पश्चिम) : मूंगफली एक ऐसी सामग्री है जिसका उत्पादन हर वर्ष बदलता रहता है । फ़सल तैय्यार होने के पूर्व उसका अनुमान करना कठिन है क्योंकि देश के विभिन्न भागों में कहीं यह अक्तूबर नवम्बर में तैय्यार होती है और कहीं दिसम्बर जनवरी में ।

मूंगफली की कुल फ़सल का २॥ प्रतिशत से ५ प्रतिशत भाग ही निर्यात किया जाता है । फिर सरकार की निर्यात सम्बन्धी नीति से मूल्य प्रभावित होते हैं। अतिरिक्त मात्रा बहुत कम होती है इस लिये कुछ अधिक निर्यात होने से मूल्य बढ़ जाते हैं तथा कुछ कम निर्यात होने पर मूल्य गिरने लगते हैं ।

अभी अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिये जिस का उत्पादकों को पहले से ज्ञान हो । इस वर्ष आरम्भ में आज की अपेक्षा मूंगफली का मूल्य बहुत अधिक था तथा निर्यात की आज्ञा दे दिये जाने पर भी मूल्य घट गये क्योंकि निर्यात शुल्क लगा दिया गया था । गत वर्ष फ़सल के आरम्भ में मूल्य बहुत कम थे तथा बाद में बहुत अधिक हो गये । इस लिये निर्यात की नीति निर्धारित करने में बहुत कठिनाई है । मैं स्वीकार करता हूं कि दीर्घकालिक नीति सब के लिये लाभदायक होगी, परन्तु इसमें कठिनाईयां इतनी हैं कि मेरी समझ में नहीं आता कि क्या इस प्रकार की नीति बनाई जा सकती है या नहीं ।

निर्यात सम्बन्धी नीति कई और प्रश्नों से भी सम्बन्धित है । पहले हम मूंगफली का निर्यात किया करते थे । अब हम अधिक तेल का निर्यात करते हैं । अब एक और प्रश्न यह है कि हम तेल का निर्यात या वनस्पति घी का या उद्जनित तेल का निर्यात करेंगे । इस सम्बन्ध में अनेक प्रकार के प्रश्न उठाये जाते हैं।

एक और महत्वपूर्ण प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों का है । निर्यात के सम्बन्ध में सरकार की नीति रही है कि निर्यात मूल्य का सब से अधिक लाभ राज्य को मिले तथा जो कुछ शेष रहे वह निर्यात करने वालों को। अब तक यह नीति रही है क्योंकि बाज़ार विक्रेताओं का था और हम मनमाने मूल्य ले सकते थे । परन्तु अब परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब बाज़ार क्रय करने वालों का हो गया है। संभरण तथा मांग की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति ऐसी है कि अब शेष बहुत कम बचता है । परन्तु उसका प्रभाव मूल्यों पर बहुत पड़ता है । तेल तथा अन्य स्निग्ध पदार्थों का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य इतना अधिक है कि थोड़ी भी

[श्री तुलसी दास]

कमी मूल्यों को गिरा देती है। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार की नीति दीर्घकालीन हो ताकि जनता को उस का ज्ञान रहे यद्यपि मैं जानता हूं कि ऐसा करना बहुत कठिन है।

डा० जयसूर्य : जहां तक मुझे मालूम है, पिछले वर्ष की फसल के सम्बन्ध में सरकार और भारतीय तिलहन व्यापारी संगठन दोनों ही के अनुमान ग़लत थे। परन्तु एक विदेशी फर्म का अनुमान अधिक सही था और उसने तिलहन का बहुत अधिक स्टाक ले कर रख लिया। इसके फलस्वरूप भाव बहुत ऊंचे हो गए। वह एक वनस्पति फर्म थी और इस लिए बाज़ार में कच्चा तेल नहीं आ सका।

उनका कहना है कि उत्पादकों को पर्याप्त मुआवज़ा मिलना चाहिए। आप निर्यात करना चाहते हैं। सारी समस्या तो यही है। सच बात तो यह है कि वायदे के सौदों के भावों और अन्तिम भावों में काफी अन्तर रहता है। इस पर नियंत्रण रखने के आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस सम्बन्ध में बाद में अध्यादेश जारी करने से कोई लाभ नहीं हो सकता।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अध्यादेश की कोई आवश्यकता नहीं है।

डा० जयसूर्य : कहने का तात्पर्य यह है कि सट्टेबाज़ भावों को बढ़ा देते हैं, और आपको इसी चीज़ को नियंत्रित करना है। इसके लिए कोई नई व्यवस्था आवश्यक है। निर्यात के भाव के लिए आपको संसार के अन्य देशों के भाव पर निर्भर करना होगा। आपको तो ऐसा कोई बीच का रास्ता ढूंढ़ना है, ताकि सट्टेबाज़--तिलहन व्यपारी संगठन, कृत्रिम रूप से भावों को बढ़ा न सकें।

१२ मध्यान्ह

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्यों ने काफ़ी सोच विचार कर अपनी बातें कही है, परन्तु वे एक बात भूल गये, अर्थात् यह कि संकल्प में जिस स्थिति की कल्पना की गई है, वह अब नहीं है और संकल्प का उद्देश्य उस शुल्क की, जो हमने ९९७ टन पर लगाया है, ऊंची दर के लिए इस सदन की स्वीकृति प्राप्त करना मात्र है। जहां तक बाकी का सम्बन्ध है, यह नीति का प्रश्न है। सदन सदैव ही सरकार की नीति निर्धारित कर सकता है, और सरकार को उसी के अनुसार चलना है।

डा० जयसूर्य ने सदन के सामने तथ्य रख दिए हैं। उन्होंने ठीक ही कहा कि एक ऐसे समाज में जो स्पष्ट रूप से अर्जन कार्य में ही लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में जहां बहुत से सट्टेबाज और निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति हैं, सरकार की स्थिति इर्ष्या करने योग्य नहीं है। यह भी सच है कि अन्ततोगत्वा हमें संसार के अन्य देशों के भावों पर निर्भर करना है। परन्तु सौभाग्यवश आज कल हम लोग इतने असहाय नहीं हैं। हमारे पास आज लगभग २२५ रु० प्रतिटन की गुंजाइश है। मेरा अनुमान है कि यह गुंजाइश चालू मौसम कदाचित हमारा बचाव करेगी क्योंकि अन्य देशों में आधिक्य बहुत नहीं है—अनुमानित आधिक्य लगभग ३५०,००० टन है, और अधिकांशत: वह आधिक्य एक ही देश में है, और सारी दुनियां में बंटा हुआ नहीं है। इस प्रकार स्थिति उतनी निराशाजनक नहीं प्रतीत होती जितनी कि सदन में दिए गए भाषणों से मालूम होती है।

मैं समझता हूं कि श्री कादियाला गोपाल राव ने उत्पादकों के भावों के

बारे में चर्चा की थी। श्री विश्वनाथ रेड्डी ने कहा कि वर्तमान भाव, जिसे हम एक स्थान से दूसरे में--लगभग ४० रु० या ५० रु० के--अन्तरों की गुंजाइश करते हुए अनुमानतः १००० रुपये प्रति टन मान सकते हैं, पर्याप्त नहीं है। मुझे कहना पड़ता है कि माननीय सदस्यों से मेरा तर्क यह है कि यदि १००० रु० प्रति टन पर्याप्त नहीं है, तो अन्य सभी कृषि उत्पादों के भाव फिर से निर्धारित किये जाने चाहिएं।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : मेरा निवेदन है कि १००० रुपये प्रति टन तेल पर उत्पादक को मूंगफली के प्रति एकड़ केवल ७५ रुपये मिलेंगे।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रति एकड़ पैदावार भिन्न भिन्न है, और वह जगह जगह अलग अलग होती है। यदि मेरे माननीय मित्र किसी वर्ष विशेष की बात कह रहे हैं तो उनका कथन ठीक होगा।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : मैंने औसत आंकड़े बताये हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : औसत अत्यधिक त्रुटिपूर्ण होते हैं। पता नहीं उन्हें ये औसत कहां से मिले। सच तो यह है कि १००० रुपये काफी अच्छा भाव है और हम इसे बहुत दिनों से बनाए हुए हैं। मैं इस सदन को यह आश्वासन दे सकता हूं कि निर्यात शुल्क के रूप में हमारे पास २२५ रुपये की जो गुंजाइश है, उसकी सहायता से, मैं समझता हूं कि, हम १००० रुपये का भाव बनाये रख सकते हैं।

श्री राघवाचारी ने कहा कि सरकार तत्परता से कार्य नहीं करती है। मैंने कहीं पढ़ा है कि मिल ने कहा है कि लोग बहुत जल्दी जल्दी सरकारी हस्तक्षेप की मांग करते हैं और वे ही बहुत जल्दी जल्दी सरकारी हस्तक्षेप की निन्दा करते हैं। ये दोनों चीजें सदैव होती हैं। जब कुछ हो जाता है, तो वे कहते हैं कि सरकार को और पहले हस्तक्षेप करना चाहिये था और यदि कोई गड़बड़ी हो जाती है, तो सरकार को कदापि हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये था। इन दोनों के बीच यदि सरकार हस्तक्षेप करती है, तो यह भारी गलती नहीं है।

परन्तु मेरे माननीय मित्र को भी यह नहीं भूल जाना चाहिये कि, जैसा कि मैं कह चुका हूं, जब हम परिस्थिति को सम्पूर्ण रूप से देखते हैं, तब हम अनन्तपुर जिले की बोने या काटने की विशेष स्थिति को ध्यान में नहीं रख सकते हैं। यह एक कटु सत्य है। उनका कहना भी ठीक हो सकता है और मेरा भी। जहां तक अनन्तपुर की दशा के संबंध में सरकारी आलोचना का सम्बन्ध है, उनका कहना ठीक हो सकता है। परन्तु पोल्लाची, पूर्वी खानदेश या सौराष्ट्र की दशाओं के सम्बन्ध में सरकारी आलोचना के विषय में संभवतः उनका कहना ठीक न हो।

चीजों में अन्तर होता है और वस्तुतः सम्पूर्ण अनुमान के सम्बन्ध में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं। मेरे माननीय मित्र कादियाला गोपाल राव ने कहा कि वह लगभग ३४ लाख टन था। जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास ग्रीष्मकालीन फसल के बारे में दो प्राक्कलन हैं—एक तो २५,००,००० टन का है और दूसरा उससे ३,००,००० टन कम के उपभोग के प्राक्कलन भिन्न भिन्न हैं। इस सब का परिणाम यह होता है कि जब अनिश्चित मात्राओं का मामला आता है, तो एक मात्र नियंत्रण जो हम प्रयोग में ला सकते हैं, यह है कि आधिक्य होने पर हम निर्यात की अनुमति दे दें और

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

जब आधिक्य कम हो जाय तो उस पर नियंत्रण लगा द । मैंने अक्सर कहा है कि सरकारी कार्यवाही में विलम्ब हो सकता है, स्थिति का भली प्रकार अनुभव करने और कार्यवाही करने के बीच में थोड़े समय का अन्तर पड़ जाता है और फिर देश के विभिन्न भागों से सूचनायें भी तो मंगानी पड़ती हैं । मैं मानता हूं कि कभी कभी सरकारी कार्यवाही में विलम्ब हो जाता है, फिर भी चालू बाजार भाव निश्चित कर देती है और इसमें बाजार के दोष आ जाते हैं क्योंकि सटटेबाज अपना काम करते हैं । हम जानते हैं कि अडोनी में तेल का भाव १,०२० रुपये है, जब कि बम्बई में वह १,०४० रुपये होगा और भावों में यह अन्तर रेल के भाड़ों के कारण होगा । सट्टेबाजों के कारण बाजार की जो दशा होती है, उस से उत्पादक को यह अनुमान हो जाता है कि उसे क्या मिलेगा । यह कहना गलत है कि वह सर्वथा अनभिज्ञ व्यक्ति होता है । कृषक अनपढ़ भले ही हो, परन्तु मेरा तो यही अनुभव है कि वह बहुत चालाक व्यक्ति होता है . . . .

श्री गाडगील (पूना मध्य) : चालाक होने पर भी उसका शोषण किया जाता है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है । मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो यह है कि गांव के लोगों को दुनिया की हालतों के विषय में शहरी लोगों की अपेक्षा अच्छी जानकारी होती है । (**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं) । इस सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है । परन्तु मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सच बात तो यह है कि बाजार का हिसाब किताब ऐसा रहता है जिससे कि कभी कभी उत्पादक को अपना भाव जानने में सहायता मिलती है ।

अब मैं कुछ ऐसे तथ्यों को लेता हूं जिनके सम्बन्ध में श्री राघवाचारी ने कहा कि मुझे जानकारी है । यदि विदेश के भाव लगभग १२० पौण्ड हैं, तो शुल्क की वर्तमान दर पर यहां पर भारी मात्रा में खुले हुए रूप में जहाज द्वारा भेजे जाने पर वह लगभग १२१० रुपये और पीपों में भेजे जाने पर ११५० रुपये होगा । इसका अर्थ यह हुआ कि यहां पर भाव १००० रुपये या १०५० रुपये के लगभग है और यदि दलाल उसे पीपों में भेजता है, तो उसे लगभग १०० रुपये मिलेंगे । अभी कुछ ही दिन हुए रंगून से तेल को १,५६५ रुपये प्रति टन की दर से खरीदने का एक प्रस्ताव आया था जो ११८ पौण्ड के बराबर आता है । तो इसका अर्थ यह होगा कि खरीद के भाव और निर्यात के भाव में दलाल को लगभग १०० रुपये प्रति टन की गुंजाइश रहेगी । स्थिति इतनी निराशा-जनक नहीं है, जितनी कि कही जाती है क्योंकि भाव ११८ और १२० पौण्ड के बीच में है, और निर्यात शुल्क की वर्तमान दर पर दलाल को ८० रुपये से १०० रुपये प्रति टन प्राप्त हो सकते है । मुझे यह भी बताया गया है कि जिन व्यक्तियों को कोटा के बांट दिये जाने के कारण केवल ५ या ७ टन ही दिये गये हैं उन्हें भी ८० रुपये से १०० रुपये प्रति टन प्राप्त हो जायेगा । कुछ माननीय सदस्य मुझ से पूछते हैं, आप और अधिक कोटा क्यों नहीं देते हैं ? यदि भाव ऐसे ही रहते हैं और कोटा उठा लिया जाता है, तो उस काल के अन्त में अग्रेतर कोटा की घोषणा करना मेरा काम है । मौसम के आरंभ में मैं यह नहीं कह सकता कि कोटा ६०,००० टन होगा और अपने आपको वैसी बुरी दशा में

डालूं जैसी कि १९५३ में हुई थी। इस विषय में मुझे सोच समझ कर आगे बढ़ना है। जब कि मैं यह स्वीकार करता हूं कि इस विषय में मुझे संभल संभल कर आगे बढ़ना है देश में स्थायी भाव बनाये रखने में सहायता देनी है और आधिक्य का नियंत्रित रूप से निर्यात करने देना है, तो मैं इससे अच्छा और कुछ नहीं कर सकता हूं। मेरे माननीय मित्र की मांग यह थी कि २२५ रुपये के शुल्क को कम कर दिया जाय और श्री गोपाल राव ने सुझाव दिया कि इसके १५० रुपये उपयुक्त होंगे। म समझता हूं कि यदि अभी वर्तमान कोटा उठाया नहीं जा रहा है, तो कदाचित् मैं शुल्क घटा दूंगा। परन्तु इस अवसर पर निर्यात शुल्क में कमी की बात का प्रभाव यह होगा कि कोटा का उपयोग नहीं किया जायेगा क्योंकि वह समझते हैं कि निर्यात शुल्क कम हो जायेगा और उन्हें ७० रुपये का और लाभ हो जायेगा। इसी कारण उत्पादक को उतना नहीं मिलता है जितना कि वह चाहता है---केवल इसीलिये क्योंकि देश में आन्दोलन हो रहा है और शक्तिशाली हित निर्यात शुल्क को कम करा देंगे। कोटा-प्राप्त व्यापारी सोचता है : "मैं अभी क्यों खरीदूं ? मैं बाद में खरीद सकता हूं।" इस प्रकार सट्टेबाजी चलती रहती है।

मुझे विदित हुआ है कि दक्षिण भारत के एक प्रभावशाली व्यक्ति ने कहा है कि सरकार वनस्पति में रुचि रखती है। हां, सरकार को वनस्पति में रुचि अवश्य है किन्तु वह उससे प्राप्त होने वाले उत्पादन शुल्क तक ही सीमित है। यदि लोग वनस्पति की जगह मूंगफली का तेल खाना शुरू कर दें तो सरकार इस विषय में उदासीन रहेगी। सरकार को वनस्पति से कोई विशेष रुचि .....

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : यह ४ करोड से अधिक रुपये का मामला है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मामला अत्यन्त महत्वपूर्ण है। किन्तु इसके अतिरिक्त हमें वनस्पति में और कोई रुचि नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि आजकल वनस्पति के कारखाने भी ऐसे भावों म अपना माल बेच रहे हैं जो मूंगफली के तेल के विद्यमान भावों की तुलना में भी लाभप्रद नहीं हैं। इन बाजार भावों के बारे में हम बहुत कुछ कह सकते हैं। वायदे के सौदों के कई उदाहरण मैं जानता हूं। हम केवल यही देखना चाहते हैं कि सट्टेबाजों को कोई लाभ न हो। यदि वह लाभ उत्पादक को न मिलता हो तो उसका कुछ अंश सरकारी खजानों में जाता है। यदि हम निर्यात शुल्क नहीं लगाते हैं तो किसी बिचौलिये को २२५ रु० का लाभ होगा। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य चाहेंगे कि वह लाभ सरकार को मिले।

इस समय हम निर्यात के लिए बाजार व्यवस्था का ही उपयोग कर रहे हैं और उसे नियंत्रित रखने का अधिकतम प्रयत्न करेंगे। इस स्थिति में, मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम मूल्य को १००० रु० के नीचे नहीं गिरने देंगे। क्योंकि हमारे पास यह गुंजाइश है जिसका उपयोग हम उत्पादक के हित में करेंगे। इस विषय में मैं केवल इतना ही कह सकता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ (१९३४ का ३२वां) की धारा ४--क की उपधारा (२) के अनुसरण में लोक-सभा भारत सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की २९ जुलाई की उस अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २५२०

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

दिनांक २९ जुलाई, १९५४ का अनुमोदन करती है जिसके द्वारा उक्त अधिसूचना की तिथि से, मूंगफली के तेल पर ३५० रुपये प्रति टन का निर्यात-शुल्क लगा दिया गया था ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विशेष विवाह विधेयक--जारी

खंड ४--(विशेष विवाह संपन्न करने के सम्बन्ध में शर्तें)--जारी

सभापति महोदय : २ सितंबर, १९५४ को खंड ४ के कई संशोधन प्रस्तुत किये गये थे और ३ सितम्बर, १९५४ को इनकी चर्चा समाप्त नहीं हुई । हम इस पर लगभग साढ़े तीन घंट चर्चा कर चुके हैं । यदि हम इसी गति से चलेंगे तो कई घंटे और भी लग जायेंगे । अत: हमें जल्दी करनी चाहिये ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : यह विधान आधुनिक विचारों के व्यक्तियों की सुविधा के लिए बनाया गया था । जो लोग आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हैं तथा अपने भवितव्य के बारे में स्वयं निर्णय कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए यह विधान बनाया गया था । लेकिन चर्चा के बीच इस उद्देश्य को ही उलट पलट कर दिया गया है । अब आप आयु मर्यादा को घटा कर संरक्षकों को बीच में लाना चाहते हो । यह रोड़े क्यों अटकाये जा रहे हैं ? क्या आप यह मानते हो कि आज की नौजवान पीढ़ी की अपेक्षा उनके संरक्षकों के विचार अधिक आधुनिक हैं ?. मुझे भय है कि संरक्षकों का उपबंध करने से यह सारा विधान प्रभावहीन बन जायेगा ।

श्री वेंकटरामन् (तंजोर) : १८७२ के विद्यमान अधिनियम के अनुसार भी संरक्षक की अनुमति आवश्यक होती है । हम कोई नई चीज नहीं ला रहे हैं ।

श्री राघवाचारी : मेरी राय में आप एक हाथ से जो सुविधा दे रहे हैं उसे दूसरे हाथ से छीन रहे हो । यह ठीक है कि लोक संख्या नियंत्रित करने के हेतु या स्वास्थ्य रक्षा के हेतु योजना आयोग या स्वास्थ्य मंत्रालय २१ वर्ष की आयु सीमा पर आग्रह करें । परन्तु यह दूसरी बात होगी । हमारे मन में उद्देश्यों के विषय में गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की जा रही है और पुरातन कल्पनाओं को इस विधान में स्थान दिया जा रहा है । इसमें संरक्षकों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए । हमें अपने नवयुवकों को अपने भाग्य के विधाता बनने का स्वातंत्र्य देना चाहिये मेरा प्रमाणिक मत यह है कि आयु सीमा दोनों के लिए २१ की ही रखी जानी चाहिये । १८ वर्ष की आयु में आज कदाचित ही कोई व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होता है । अत: दोनों के लिए २१ वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिये । मैं संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री गाडगील (पूना मध्य) : मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि राज्य-सभा ने इस विधेयक को पारित करते समय आयुसीमा २१ वर्ष तक बढ़ा दी । प्रवर समिति ने वधू वरों की आयु २१ वर्ष से कम होने पर संरक्षकों की अनुमति आवश्यक कर दी थी । आयु सीमा २१ वर्ष तक बढ़ा देने से यह विधान अधिक उदार बनने वाला नहीं है । मेरी राय में इसे १८ वर्ष तक कम कर देना ठीक होगा और संरक्षकों की अनुमति की कोई आवश्यकता न होनी चाहिये । भारतीय वयस्कता अधिनियम के अनुसार, १८

वर्ष के युवक या युवति को संपत्ति के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। १८ वर्ष का युवक सेना में भर्ती होकर देश के लिये कुर्बान हो सकता है फिर विवाह के लिए ही सरक्षकों की अनुमति क्यों चाहिए ? और उस अवस्था में उस के संरक्षक भी कौन होंगे ? यदि माता-पिता हों तो वे लड़के अथवा लड़कियों की कठिनाइयों को सहानुभूतिपूर्वक समझ सकते हैं, परन्तु यदि हिन्दू अथवा मुस्लिम विधि के अधीन क्रमशः संरक्षकों का लम्बी पंक्ति का उपबंध कर दिया गया तो इस का परिणाम अच्छा नहीं होगा। अतः मेरा यह मत है कि लड़के और लड़की दोनों की १८ वर्ष की आयु कर दी जाय और स्वीकृति अनिवार्य न की जाय।

सभापति महोदय : जिन के संरक्षक नियुक्त किये जाते हैं उन के मामले में क्या होता है ?

श्री गाडगील : इस से क्या अन्तर पड़ता है। यदि किसी लड़के या लड़की की सम्पत्ति का प्रबंध न्यायालय करे तो इन का यह अभिप्राय नहीं कि उस लड़के को अपने मामले के निर्णय का अधिकार नहीं रह जाता। यदि कुछ व्यक्ति यह समझते हैं कि लड़कियां अधिक चालाक होती हैं और वे १८ वर्ष के लड़के को धोखा दे सकती हैं तो २१ वर्ष की आयु रहनी देनी चाहिये और लड़कियों की आयु-सीमा १८ वर्ष रखनी चाहिये। परन्तु संरक्षक की स्वीकृति किसी भी अवस्था में आवश्यक नहीं होनी चाहिए।

श्री बोगावत (अहमदनगर–दक्षिण) : मैं ने संशोधन सं० ११० में, जो मेरी अनुपस्थिति के कारण प्रस्तुत नहीं किया गया, यह सुझाव रखा था कि आयु-सीमा १८ वर्ष रखी जाए और उसके साथ यह परन्तुक हो कि उस पुरुष अथवा स्त्री को अपने संरक्षक की स्वीकृति लेनी ह

श्रीमान् हमारा देश भूमध्य रेखा के क्षेत्र का देश है है और यहां १६ से १८ वर्ष की आयु में ही लड़के और लड़कियां परिपक्व हो जाते हैं। अतः यदि हम यौवन प्राप्त दम्पतियों को इस विधेयक का लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आयु-सीमा १८ वर्ष निर्धारित करनी चाहिये, अन्यथा २१ वर्ष का उपबंध रखने से बहुत से विवाहेच्छुक लड़के तथा लड़कियां विधान के लाभों से वंचित रह जायेंगे।

सामान्यतः लोग १८ वर्ष की आयु में विवाह करना चाहते हैं। उच्च आयु-सीमा निर्धारित करने से माता-पिता अपने बच्चों को अपने ही धर्म जाति में ब्याहेंगे और इस से अन्तर्जातीय विवाहों का उद्देश्य असफल हो जायेगा।

वस्तुतः १८ वर्ष की लड़की के साथ १८ वर्ष के लड़के का विवाह कोई नहीं करेगा। परन्तु ऐसे अपवाद के विवाह भी क्यों न होने दिये जायें। कल्पना कीजिये कि कोई १९ वर्ष का लड़का बहुत स्वस्थ और सशक्त हो तो वह १८ वर्ष की लड़की के साथ विवाह कर सकता है। ४००० महिलाओं ने याचिका समिति को जो प्रार्थना पत्र भेजा है उसमें १८ वर्ष की आयु-निर्धारण के लिए प्रार्थना की है। सभा को इसे स्वीकार करना चाहिये।

माता-पिता अथवा संरक्षक की स्वीकृति का उपबंध अच्छा बचाव है माता-पिता अथवा संरक्षक अपने बच्चों अथवा रक्षितों के हितों को भली प्रकार जानते हैं और २१ वर्ष से कम आयु के व्यक्ति इतने अनुभवी नहीं होते।

अतः मेरी प्रार्थना है कि समाज और बाल संतति का ध्यान रखते हुए

[श्री बोगावात]

स्वीकृति के उपबंध सहित १८ वर्ष की आयु निर्धारित की जाये ।

श्री कनावडे पाटिल (अहमदनगर-उत्तर): लड़के तथा लड़की के विवाह की आयु का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है । सभा को इस का विभिन्न पहलुओं से अध्ययन करना चाहिये । कुछ लोग विचार करते हैं कि शास्त्र, स्मृति तथा श्रुतियों की शिक्षाओं का पालन करना चाहिये । देखना यह है कि विवाह के लिए उपयुक्त आयु क्या है ।

अत्यंत प्राचीन और प्रमाणिक पुस्तक ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा है कि विवाह के लिए उपयुक्त आयु लड़के के लिए २४ वर्ष और लड़की के लिए १६ वर्ष है । कुछ माननीय सदस्यों के इस मत पर कि दोनों की आयु बराबर भी हो सकती है, मुझे आश्चर्य होता है । मेरा यह मत है कि दोनों अर्थात् वर-वधू की आयु में कम से कम ७ से १० वर्ष तक का अन्तर होना चाहिए ।

१६ वर्ष की आयु में लड़की काम-वासना का अनुभव करती है और लड़की के लिए विवाह की आयुक्त आयु १६ से १९ वर्ष तक है । १९ वर्ष की आयु के पश्चात् लड़की का शारीरिक सौंदर्य प्रायः नष्ट हो जाता है । अतः हमें विशेष विवाह अधिनियम के अधीन १६ वर्ष की लड़की को भी माता-पिता की स्वीकृति से विवाह करने देना चाहिये ।

जो लड़कियां २१ वर्ष की आयु के पश्चात् विवाह करती हैं वे अपनी जनन शक्ति भी खो बैठती हैं । इस के पक्ष में मेरे पास प्रमाण हैं । यह सभा जनसंख्या के प्रश्न से कुछ भयभीत दिखाई देती है। परन्तु ईश्वर सब तत्वों का नियामक है और वह उनकी रक्षा करता है । अमरीका और यूरोप की स्थिति भिन्न है । वहां परिवारों की तुलना में होटल अधिक हैं और लड़कियां बड़ी आयु तक बच्चे पैदा नहीं करना चाहतीं । २१, २२ और २४ वर्ष की आयु में विवाह करने वाली लड़कियों का सौंदर्य तथा नारी सुलभ कोमलता नष्ट हो जाती है और उन के लिए उपयुक्त वर नहीं मिल सकते ।

विधि मंत्री को इस पर विचार करना चाहिए कि विवाह के लिए अत्यधिक उपयुक्त आयु १६ से १९ तक है ।

विधि तथा अल्प-संख्यक कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : आप वैयक्तिक अपील न करें.....

श्री कानावडे पाटिल: मुझे इस सुझाव पर बहुत आश्चर्य हुआ था कि वर-वधू की आयु बराबर होनी चाहिए । मेरा यह विश्वास है कि दोनों की आयु में ७ से १० वर्ष तक का अन्तर होना चाहिए । जीव विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान के पण्डितों ने इन बातों का समर्थन किया है ।

अन्त में मेरा यह निवेदन है कि यदि लड़का और लड़की बड़ी आयु में विवाह करना चाहें तो उन्हें संयम और ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करना चाहिए, अन्यथा परिणाम भोग सम्बन्धी और सामाजिक नैतिकता के लिए बहुत हानिकारक होगा । समाज तथा सामाजिक स्थायित्व के हित के लिए यह आवश्यक है कि हम आयु की आयुक्त सीमाएं निर्धारित करें ।

पंडित के० सी० शर्मा (जिला मेरठ-दक्षिण) : सभापति जी, जब मैं ने इस मसले पर गौर किया और जब यह बिल आया तो मैं अपने शहर में गया और अपने उन दोस्तों की फेहरिस्त निकाली जिन्होंने इस कानून में शादी की थी । तो मैं ने देखा कि दस में से केवल

एक सौभाग्यवती ऐसी निकली जिस की सास ने उस को कबूल किया । दस में से नौ औरतों को जो निहायत खूब-सूरत, पढ़ी लिखी, और अच्छे घरों की थीं उन की सासों ने लेने से मना कर दिया । तो आजकल की दुनिया में लोग खूबसूरती की उतनी कद्र नहीं करते जितना कि मेरे दोस्त कहते हैं ।

आप देखिये कि जो आदमी बाजार जाते हैं उन में से कितने गुलाब का फूल खरीदने जाते हैं और कितने आदमी कपड़ा, अनाज और जिन्दगी की जरूरत की चीजें खरीदने जाते हैं । जिन्दगी का काम गुलाब के फूलों से नहीं चलता । जिन्दगी की जो आम जरूरतें हैं उन को पूरा करने से ही जिन्दगी का काम चलता है । जो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादियां होती हैं उन में देखी जाती है औरतों की खूबसूरती, उन के बात करने का तरीका, उन का क्लब में जाना, उन का खेलकूद, उन का नाचना और गाना । लेकिन नाचने और गाने से जिन्दगी का उतना ही सम्बन्ध है जितना गुलाब के फूल से । देखने में वह बहुत अच्छा लगता है लेकिन उस से घर का काम तो नहीं चल सकता ।

दूसरी बात यह है कि आजकल की जो सोसाइटी है उस में हर एक आदमी यह देखता ह कि तुम्हारे पास जिन्दगी की जरूरियात की क्या क्या चीजें हैं । जो शादियां मां बाप के जरिये से होती हैं उन में बहुत सा जेवर आता है, कपड़े आते हैं, जिन में से बहिनों को और सास को मिलता है । यह चीज इस मुहब्बत-बाजी में खत्म हो जाती है । उन को इस से कोई ज्यादा लाभ नहीं होता । तो जो बात मैं कह रहा हूं वह यह है कि अगर मां बाप एक नव वधू के आने पर खुश नहीं होते हैं और उस को स्वीकार नहीं करते हैं तो उस के लिए दूसरा क्या चारा है । इस का इलाज यही है कि जो साहब इस मुहब्बत के बाजार में शादी के लिए कदम बढ़ायें वह इस लायक हों कि उस लड़की को एक अच्छे मकान में रख सकें और उस के लिए एक अच्छी जिन्दगी मुहय्या कर सकें । यह कब मुमकिन है ? यह तभी सम्भव है जब कि उस लड़के की आयु इतनी ज्यादा हो कि वह खुद अपनी रोटी पैदा कर सके । तो ऐसा करने के लिए दो बातें होनी चाहिएं । या तो उस के घर में रुपया पैसा हो, जायदाद हो और या वह कमा सके । लेकिन जो जायदाद वाला है, वह इस स्पेशल मैरिज में नहीं जाने वाला है, क्योंकि वह इनहैरिटेंस (विरासत) में विश्वास करता है, मां-बाप के रुपये में विश्वास करता है । यह वही आदमी है जो शास्त्र में भी विश्वास करता है । यह आदमी पीछे देखने वाला होता, यह रिवाज को देखता है, ट्रेडीशन को देखता है । उस की निगाह फ्यूचर (भविष्य) की तरफ नहीं होती । वह आयन्दा की जिन्दगी से घबराने वाला होता है । इसलिए जिस आदमी के पास रुपया है और जो बाप की जायदाद पर अपनी जिन्दगी बसर करना चाहता है वह इस कानून में शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा ।

तो कौन इस कानून का फायदा उठायेगा ? यह वही नवयुवक होगा जो कि भविष्य की तरफ देखने वाला है । और जो भविष्य की तरफ देखने वाला है उस को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा । इसलिए मैं चटर्जी साहब के संशोधन से इतिफाक करता हूं कि उस की उम्र २५ साल से बिल्कुल कम न होनी चाहिए । ताकि वह लड़की का पालन पोषन कर सके ।

[पंडित के० सी० शर्मा]

मेरे दोस्त ने कहा कि साहब लड़की का चार्म जाता रहता है । मैं उन से पूछता हूं कि वह कितनी बार बाज़ार में गुलाब के फूल खरीदने जाते हैं और कितनी बार कपड़ा, अनाज वगैरह खरीदने जाते हैं । आजकल की दुनिया फूलों की दुनिया नहीं है । मेरा ख्याल है कि ज्यादा से ज्यादा एक करोड़ में से दो चार ऐसे आदमी होते होंगे जो कि फूलों की दुनिया में जिन्दगी बसर करते करते दूसरी दुनिया में चले जाते हैं । आम आदमी को तो मेहनत, मशक्कत करनी पड़ती है । शायद नवाबों के ज़माने उन के लिए लखनऊ में फूलों की दुनिया रही हो लेकिन आज तो सख्त जिन्दगी है और मुसीबत की जिन्दगी है ।

मेरे दोस्त डाक्टर साहब ने कहा कि १८ वर्ष की उम्र में लड़का इस काबिल हो जाता है कि वह शादी कर सकता है । बिल्कुल ठीक है । लेकिन उस के दिमाग को पकने में भी तो कुछ देर लगती है । पब्लिक सर्विस कमीशन के सवालों के जो जवाब आते हैं उन को देख कर आप अन्दाज़ा लगाइये कि १८ वर्ष की उम्र में लड़का मामूली बातों को कितना समझ सकता है । जो आदमी मामूली बात नहीं समझ सकता, जो बाजार में जाकर कपड़ा नहीं पहचान सकता, जो सड़क पर बिना पूछे रास्ता नहीं मालूम कर सकता, क्या वह शादी के लायक समझा जा सकता है ? मैं समझता हूं कि ५० फीसदी लड़के ऐसे होंगे जो साइनबोर्ड देख कर नहीं समझ सकते कि यह सड़क मथुरा को जाती है बल्कि दूसरों से पूछते हैं कि भाई यह रास्ता कहां जाता है । जिस आदमी को यह विश्वास नहीं है कि वह निशान के खम्भे को देख कर जहां जाना चाहता है वहां पहुंच सकता है या नहीं, क्या ऐसे शख्स के लिए यह सम्भव हो सकता है कि वह अपने मां-बाप के खिलाफ एक लड़की को अपने घर में ला सकेगा और उस का पालन-पोषण कर सकेगा । यह एक असम्भव बात है ।

इसलिये मैं समझता हूं कि चटर्जी साहिब का जो संशोधन है वह बिल्कुल ठीक है कि २५ वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी नहीं होनी चाहिये और २१ वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं करनी चाहिये फिज़िकली तो हो सकता है कि वह फिट हों, उनका बदन गठीला और मज़बूत हो, लेकिन शादी के लिये दिमाग भी तो होना चाहिये, उस लायक समझ भी तो होनी चाहिये

डा० राम सुभग सिंह (शाहबाद-दक्षिण): दिमाग इंजन की तरह तेज़ चलता हो ।

पंडित के० सी० शर्मा : हां, रेलवे इंजन की तरह दिमाग चलता हो, लेकिन इंसानी दिमाग तो उससे भी तेज़ चलने वाला होता है । मैं मानता हूं कि इंजन बहुत काम करता है लेकिन इंसानी दिमाग उससे भी ज्यादा है, सुन्दरता और कला आदि चीज़ें वह रेल के इंजन या लोहे में नहीं होती । आज जो समस्या हमारे सामने पेश है वह यह है कि हम अच्छे से अच्छे नागरिक पैदा कर सकें । मैं समझता हूं कि १८ वर्ष की लड़की की शादी होने के बाद १९ वर्ष की उम्र में जो बच्चा होगा, स्पेशल मैरिज एक्ट में जिस क़िस्म की शादियां होती हैं वह बच्चा उन दोनों के लिये बोझ साबित होगा और आप समझ सकते हैं कि उस बच्चे की क्या दुर्गति होगी कि जिसे पैदा करने के बाद न मां चाहती है और न बाप चाहता है और मैं यकीन दिलाता हूं कि जितनी शादियां इस स्पेशल मैरिज ऐक्ट में या जितनी मोहब्बत की शादियां होती हैं और उनके पहले

औलाद १९ वर्ष या २० वर्ष में हो गयी, उनकी दुर्गति आप उनके मां बाप से जान सकते हैं। जो लड़कियां मोहब्बत की वजह से शादियां करती हैं और जिनको सास मानने के लिये तैयार नहीं है वह कभी भी १९ वर्ष की उम्र में बच्चा पैदा करने के बाद उसको मां की मोहब्बत नहीं दे सकती और वह बच्चा उसके लिये एक मुसीबत हो जाता है।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य कृपया सभापति को सम्बोधित करें।

पंडित के० सी० शर्मा: मैं यह बात अपने तजुर्बे की बिना पर कहता हूं। दो लड़कियां मेरी नौलेज में ऐसी आईं कि जिन्होंने लव मेरिजेज़ कीं और एक साल के बाद ही उनके बच्चा पैदा हो गया और मैं आप को बतलाऊं कि वे दोनों लड़कियां बहुत परेशान हैं, उन्हें लाचार हो कर बच्चे की मां की हैसियत से परवरिश तो करनी ही पड़ती है, न करें तो सोसायटी उनको बुरा कहे लेकिन हकीक़त यह है कि न मां उस औलाद को चाहती है और न बाप चाहता है। दोनों जने इसको अपने ऊपर एक मुसीबत और बोझा ही समझते हैं, हालांकि यह उन्हीं कामों का नतीजा है। जिस तरह की आजकल ज़िन्दगी चल रही है और मुश्किल ज़माने से हम गुज़र रहे हैं उसके अन्दर और खास तौर पर उस क़िस्म के आदमियों में जहां पर कि सास और बाप लड़की को कबूल करने को तैयार नहीं हों छोटी उम्र में बच्च का पैदा होना और उसका पालन-पोषण लड़की के लिये एक मुसीबत हो जाती है, उसका लालन-पालन भी ठीक नहीं होता और उस बच्चे को मां-बाप की मुहब्बत भी नसीब नहीं होती इसलिये मैं कहता हूं कि लड़के की उम्र २५ की होनी चाहिये और लड़की की उम्र २१ वर्ष होनी चाहिये ताकि उनके बदन भी मज़बूत हों और उनके दिमागों में इतनी समझ और अक्ल भी हो जिससे वह अपने बाल बच्चों की ठीक से परवरिश कर सकें। बस मुझे इतना ही कहना है।

श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन: (डिंडीगल) मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन (सं० २२७) का समर्थन करती हूं जिस में पुरुष की २१ वर्ष और स्त्री की १८ वर्ष की आयु का उपबंध रखा गया है।

जहां तक लड़कों का सम्बंध है, उन के लिए विवाह से पूर्व शिक्षा पूरी करनी आवश्यक है और वे २१ बर्ष की आयु से पूर्व शिक्षा पूरी नहीं कर सकते। अत: वस्तुत: वे २४,२५ वर्ष की आयु से पूर्व विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी आयु पर ही वे स्वतंत्र रूप से जीविकोपार्जन कर सकेंगे।

बहुत से माननीय सदस्य ऐसे कह रहे हैं जैसे विशेष विवाह अधिनियम के अधीन नित्य प्रति विवाह हुआ करेंगे। मैं इसे सत्य नहीं मानती. अन्तिम वक्ता ने जो यह कहा है कि १८ वर्ष की आयु में विवाह करने से लड़कियां अपने बच्चों से प्रेम नहीं करेंगी, ऐसा कहना सर्वथा आश्चर्य की बात है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम से पूर्व इस देश में ९ वर्ष से लेकर १५ वर्ष तक की लड़कियों का विवाह हुआ करता था, तो क्या वे माताएं अपने बच्चों से प्रेम नहीं करती थीं।

मैं समझती हूं कि इस देश में प्रत्येक लड़की के लिए विवाह करवाने की ठीक आयु १८ बर्ष की है। १८ वर्ष की आयु में उसे कोई डरा धमका कर विवाह के लिये बाध्य नहीं कर सकता और वह स्वतन्त्रता से अपना निश्चय कर सकती है।

मैं यह भी अनुभव करती हूं कि एक और कारण से भी लड़कियों के लिये आयु २१ वर्ष तक नहीं बढ़ानी चाहिये। वह कारण यह है कि यौवनकाल में ही

[श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन]

उनके बच्चे होने चाहियें । मै ने विदेशों में देखा है कि जब बच्चे होते हैं तो माताएं बहुत बूढ़ी हो चुकी होती हैं और बच्चे यह अनुभव करते हैं कि उनकी माताएं उनके साथ खेलने के लिए उन्हीं की समान आयु की होनी चाहिय थीं ।

मैंने एक और आश्चर्य की बात यह दखी है कि हमारे बहुत से सदस्य जो हिन्दु समाज में रहते हुए अपनी बेटियों और बहनों इत्यादि का पंद्रह वर्ष की आयु म विवाह कर देने का अनुरोध करते रहते हैं, वे विशेष विवाह अधिनियम के अधीन २१ वर्ष की आयु के लिए आग्रह कर रहे हैं । मैं उनके इस आग्रह का यह कारण समझती हूं कि वे इस विधेयक के पक्ष में नहीं हैं । परन्तु मैं आशा करती हूं कि माननीय मंत्री इस संशोधन की ओर ध्यान देंगे और सदन के बहुत से सदस्यों की इस इच्छा पर विचार करेंगे कि लड़की की आयु १८ वर्ष और लड़के की आयु २१ वर्ष होनी चाहिए ।

संरक्षक के सन्बन्ध में मैं श्री गाडगील से सहमत हूं कि विवाह के लिए मंजूरी देने के लिए संरक्षक की आवश्यकता नहीं है । जब भारत में १८ वर्ष की आयु में हम वयस्क हो जाते हैं तो संरक्षक की क्या आवश्यकता है ? यदि माता-पिता जीवित हैं तो विशेष विवाह के लिए उन को मंजूरी प्राप्त कर लेना तो पर्याप्त है परन्तु इस प्रयोजन के लिए संरक्षक नियुक्त करना कुछ खतरनाक है । परन्तु मैं ने संरक्षक न नियुक्त करने से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के बारे में सुना है अतः मैं इस सम्बन्ध में आग्रह नहीं करती ।

मैं आशा करती हूं कि माननीय मंत्री इस संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

श्री एस० एस० मोरे : संविधि पुस्तक में कई विधियों में विवाह करने वाले व्यक्तियों की आयु सम्बन्धी भिन्न-भिन्न उपबन्ध हैं । हमें इस अवसर पर इस विशाल देश के विधान में विवाह योग्य आयु के सम्बन्ध में एकरूपता लाने का प्रयास करना चाहिए । अतः मैं तुलना के उद्देश्य से विभिन्न उपबन्धों का उल्लेख करूंगा ।

इसी विधान को लीजिए । जब यह पुरःस्थापित किया गया था तो वर-वधू दोनों की आयु १८ वर्ष रखी गई थी । प्रवर समिति ने इसी का समर्थन किया । परन्तु राज्य सभा ने अपने बड़े होने की परिभाषा को सार्थक करते हुए कहा कि यह आयु २१ वर्ष होनी चाहिए ।

१८७२ का विशेष विवाह अधिनियम इस विधान की अपेक्षा अधिक उदार था, क्योंकि उस में वर-वधू की आयु १८ और १४ वर्ष रखी गई थी । हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक में, जो प्रवर समिति को भेजा गया है, लड़कों की आयु १८ और लड़कियों की १५ वर्ष रखी गई है । अब पुराने विधान को लीजिए । १८५६ के हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में कहा गया था कि यदि लड़को अवयस्क हो अर्थात् १८ वर्ष से कम आयु की हो तो संरक्षक की मंजूरी लेनी होगी । भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम में भी इसी प्रकार का उपबन्ध था । मेरी विधि मंत्री से यह अपील है कि हमें विवाह के सम्बन्ध में भिन्नता नहीं रहने देनी चाहिए ।

श्री बिस्वास : विधि मंत्री से वैयक्तिक अपीलें की जा रही हैं । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सब निर्णय सभा पर छोड़ दिया जायेगा ।

श्री एस० एस० मोरे : हमें मुस्लिम ईसाई, हिन्दू और पारसियों की विभिन्न संविधियों को समाप्त कर देना चाहिए। यह विभिन्नता क्यों रहे ? एक ही जल-वायु में विभिन्न मतावलम्बियों में परि-पक्व अवस्था की आयु तो एक ही है। कोई भी व्यक्ति १८ वर्ष की आयु में कोई मान्य संविदा करने का अधिकारी हो जाता है, तब वह मदनशर का आघात पा अपना हृदय क्यों किसी को नहीं दे सकता। अतः मेरा निवेदन है कि उन व्यक्तियों की आयु में एकरूपता लाई जाय जिन पर विभिन्न विधान लागू होते हैं।

मेरा यह विश्वास है कि लड़के और लड़कों को जीवन में शीघ्रातिशीघ्र संसारिक जीवन का उपभोग करने का अवसर देना चाहिए। आज ऐसा युग है जिस में हमें अत्यधिक अनुभवी होना चाहिये। अतः युवक तथा युवतियों को प्रयोग और गलतियों को ठीक करने का ढंग अपनाने देना चाहिये।

हम बाज़ार से कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं और अन्य लोग हमें विश्वास दिला देते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। इसी प्रकार प्रेम के बाज़ार में भी धोखे की संभावना है। हमारी सामाजिक समस्याओं की और विशेषतः ऐसी समस्याओं को कि जिनका प्रभाव हृदय पर पड़ता है, विभिन्न प्रतिक्रियाएं होती हैं।

मेरे मित्र श्री चटर्जी ने कहा था कि यह आयु २५ वर्ष की होनी चाहिये। परन्तु वे शास्त्रों को मानते हैं और शास्त्रों में कहा गया कि "अष्टवर्षा भवेत् कन्या" हमारे संविधान में यह उपबन्ध है कि संसद् का सदस्य बनने के लिए २५ वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसका यह अभिप्राय है कि श्री चटर्जी समझते हैं कि विवाह विधायन कार्य के समान ही दुष्कर और उत्तरदायित्वपूर्ण है। परन्तु हम में से बहुत से इस आयु में अपने आप को इस सभा के अयोग्य पाते हैं। तब तो सदस्य बनने के लिये आयु ६० वर्ष तक बढ़ा देनी चाहिये।

एक विशेष आयु में लोग बहुत सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि वे तब तक इतनी गलतियां कर चुके होते हैं कि वे चाहते हैं कि उनके बच्चे वैसी गलतियां न करें। परन्तु हमारे युवक देश की रक्षा करना चाहते हैं, सेना में भर्ती होना चाहते हैं उन्हें अपने उष्ण रक्त की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने देना चाहिये वे युवक-युवतियों के सुख में बाधा डालते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि ईसाई, पारसी, मुसलमान और हिन्दू सब के लिये विवाह सम्बन्धी विधि एक सी होनी चाहिये, क्योंकि वे एक सी परिस्थितियों में रहते हैं और सब में एक सा स्नेह होता है। मैं इसमें आधुनिकतावादी नहीं बन रहा हूं। इंग्लैंड के विवाह अधि-नियम १९४९ में यह उपबन्ध है कि १६ वर्ष से कम आयु का लड़का अथवा लड़की विवाह नहीं कर सकते। जहां हम ने अंग्रेज़ों की और कई बातें अपनायी हैं वहां यह भी अपना लें तो यह बड़ी बुद्धिमता होगी।

संरक्षक के बारे में मैं श्री गाडगील के साथ सहमत हूं कि जब लड़का अथवा लड़की वयस्क हो जाये तो उसके विनिश्चय में हस्ताक्षेप करने का किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि आवश्यक नहीं कि संरक्षक का निर्णय ठीक और सदा के लिये मान्य हो। हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम १८५६

[श्री एस० एस० मोरे]

में भी कई परिस्थितियों में संरक्षक की स्वीकृति लेने के लिये कहा गया है। भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम की धारा १९ में भी संरक्षक अथवा स्वीकृति देने योग्य व्यक्ति की ओर संकेत किया गया है। मैं समझता हूं कि यदि संरक्षक के उपबन्ध को उड़ा दिया जाये तो यह हमारी बड़ी बुद्धिमता होगी।

हो सकता है कि संरक्षक और संरक्षित की आयु में बड़ा अन्तर हो, उनके विचारों में बड़ा अन्तर हो, क्योंकि संरक्षक की नस नस में भूतकाल और इसकी परम्परायें समायी हुई होंगी और युवक के विचार आधुनिकतम होंगे इस से वे एक दूसरे का विरोध करेंगे। संरक्षक अपना निश्चय संरक्षित की भलाई को सामने रख कर नहीं बल्कि अपने विचारों के अनुसार देगा। और यदि उसे जोड़ी पसन्द न हो तो स्वाभाविक है कि वह अड़चन पैदा करेगा।

इसलिये मैं कहता हूं कि संरक्षक की स्वीकृति को हटा दिया जाये। बुद्धिमान माता-पिता अपनी शुभ कामनायें दे सकते हैं। हो सकता है कि लड़की का भाई ही उसका संरक्षक हो और उस लड़की का होने वाला पति धनाढ्य हो तो संरक्षक को धन का लालच हो सकता है। ऐसा होना स्वाभाविक है। क्योंकि माता-पिता और संरक्षक में बड़ा अन्तर होता है।

इसी लिए मैं कहता हूं कि हमें अंग्रजी विवाह अधिनियम १९४९ की धार ३ के समान उपबन्ध बनाना चाहिये, उस के अनुसार यदि संरक्षक अपनी स्वीकृति देने से इनकार कर दे तो न्यायालय को आवेदन करके स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है जोकि संरक्षक की स्वीकृति के समान मानी जायेगी। यह उपबन्ध बहुत आवश्यक है। इसके होते हुए संरक्षक अपने आप, तानाशाही विनिश्चय नहीं कर सकेगा और यह सब कुछ उन वर-वधुओं के सुख और सुबिधा को सामने रखते हुए करना चाहिए जो विवाह बन्धन में बंधना चाहते हों।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : मैं समापन प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं हम पर्याप्त चर्चा कर चुके हैं। (**अन्तर्बाधाएं**)

डा० राम सुभग सिंह : हमारी कठिनाई यह है कि प्रवर समिति के सदस्य स्वयं बोलने के पश्चात् समापन प्रस्ताव प्रस्तुत कर देते हैं। वे दूसरों की राय की परवाह नहीं करते।

सभापति महोदय : समापन प्रस्ताव की छोटी सी बात पर आवेश में आना ठीक नहीं, क्योंकि नियमानुसार कोई भी व्यक्ति समापन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। मेरा विचार है कि श्री झुनझुनवाला अपना भाषण आरम्भ करें और कल आरम्भ में ही हम इस बात का निश्चय करेंगे कि इसे कब समाप्त किया जाये।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य) : उठे—

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) कौन बोलेगा ?

सभापति महोदय : मैं श्री झुनझुनवाला को बोलने के लिये कह चुका हूं। मेरा विचार है कि मैं २ मिनट पहले ही सभा स्थगित कर दूं।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, ७ सितम्बर, १९५४ को सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

GIPD—HS—353 L.S.D.—6-1-55—285